Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का १२वां दिवस [संख्या ९

बुधवार,
दिनांक ९ मार्च, १९६६
(प्रातः कालीन)

विधान सभा की बैठक म. पू० ११.०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक १९६६-६७ की प्रस्तुति एवं आय-व्ययक भाषण

श्री अध्यक्ष: श्री बालकृष्ण कौल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): इनका भाषण भी पढ़ा हुआ मान लिया जाये । यह भी मेज पर रख दें ।

श्री अध्यक्ष: आप ही एतराज करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एतराज तो करेंगे साहब ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्रीमन्, आपकी इजाजत से में सदन में राजस्थान राज्य का १९६६-६७ का बजट पेश कर रहा हूं ।

प्रस्तावना

इससे पहले कि बजट की तफसीलें सदन के सामने रखूं, मैं इस बजट की पृष्ठभूमि पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): रोशनी तो पड़ रही है ।

श्री बालकृष्ण कौल: पिछले साल के बजट भाषण में मैंने बताया था कि चालू साल तीसरी योजना का आखिरी साल होगा और अगला साल, यानी १९६६-६७, चौथी योजना का पहला साल होगा । १९६५-६६ में राजस्व खाते का लगभग सारा योजना-खर्च १९६६-६७ में कमिटेड गैर-योजना खर्च माना जायगा । मतलब यह है कि तीसरी योजना के आखिर तक विकास-खर्च जिस स्तर पर पहुंच जायगा उसे चौथी योजना में राज्य सरकार को अपने साधनों से बरकरार रखना होगा । इस कारण १९६६-६७ का बजट खास अहमियत रखता है । इसके अलावा, यह बजट मौजूदा विधान सभा का पांचवां और आखिरी बजट भी है । होनहार की बात है कि इन पांच बरसों के दौर में हमारे देश को, और हमारे राजस्थान को, कई नागहानी मुसीबतों का शिकार होना पड़ा । शुरू में चीन का हमला और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मौत; फिर अचानक पाकिस्तान से लड़ाई और लालबहादुर शास्त्री का इन्तकाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यही होगा आपके रहते ।

श्री बालकृष्ण कौल: इन दुर्घटनाओं का कुछ ऐसा अजीब सिलसिला बना, जिसका किसी को गुमान व इमकान भी नहीं हो सकता था । और इन सबके ऊपर प्रकृति के कोप ने गोया यह साबित कर दिया कि मुसीबतें

Page No. 2

(श्री बालकृष्ण कौल)

अहेतो नहीं आतीं। लेकिन हमारे राष्ट्र को अन्दरूनी ताकत ने इन सब आफतों का डट कर मुकाबला किया। पस्त होने के बजाय हमारे देश की आत्मा तिलमिला कर जाग उठी। हमने दुनिया को दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में भारत का बच्चा बच्चा, चाहे वह किसी प्रदेश का हो, कोई भाषा बोलता हो, किसी मजहब को मानता हो, किसी जाति या सम्प्रदाय का हो, सारे भेद-भाव भूल कर एक राष्ट्र की तरह उठ खड़ा हुआ और देश की अखंडता व लोकतंत्र की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होकर सीसा दीवार बन गया। एक तरफ तो हमारे जवानों ने जां-निसारी से लड़ाई का मोर्चा संभाला; दूसरी तरफ, दो बार नये प्रधान-मंत्रियों का चुनाव बड़ी शांति के साथ लोकतंत्री ढंग से करके, हमने अपनी बुर्दबारी और सियासी पुख्तगी का सुबूत दिया। इससे तमाम दुनिया की निगाह में हमारा रुतबा ऊंचा हुआ है और हमारा राष्ट्र लोकतंत्र का एक पुश्ता माना जाने लगा है।

जब चालू साल का बजट बनाया गया था, तब किसे खबर थी कि यकायक पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ जायगी। यह भी किसे पता था कि इस साल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सूखा पड़ेगा और अकाल का भूत फिर सामने आकर खड़ा हो जायगा।

लड़ाई के दौरान सिविल डिफेन्स का इन्तजाम और मोर्चों पर घायल या काम आये जवानों व उनके परिवारों को मदद पहुंचाना,—ये दो भारी जिम्मेदारियां इस सरकार पर आ पड़ीं। इनका खर्च उठाना न सिर्फ लाजिमी बल्कि एक राष्ट्रीय फर्ज था। और हमने अपनी बिसात की परवाह न करके यह फर्ज अदा किया।

दूसरी तरफ, अकाल से हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ी। एक तो अकाल-राहत पर बढ़ता हुआ खर्च, दूसरे लगान और उधार-वसूलियों की आमदनी में कमी। १९६३ के अकाल के बाद, १९६४ में कुछ अच्छी बारिश से उम्मीद बंधी थी कि १९६५-६६ में हमारी आर्थिक हालत सुधर जायेगी। मगर जो सोचा था वह नहीं हुआ। इसकी एक खास वजह यह भी है कि राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था बुनियादी तौर पर खेती पर निर्भर है। राजस्थान के गांव इसकी रीढ़ हैं और, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, "अगर गांव मरता है तो देश मरता है।" तो, इस गांव को बचाने के लिए सरकार ने जितना हो सका उतना खर्च उठाया और उठा रही है।

जाहिर है कि हमारी मौजूदा माली हालत पर बड़ा भारी बोझ आ पड़ा है। ऐसे वक्त में हमारे राज्य में कायम किये गये उद्योगों की वजह से यह बोझ कुछ हल्का हुआ है। सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में नये-नये कल-कारखाने खोलने की जो दूरन्देश नीति सरकार ने अपनायी है उससे हमारा आर्थिक ढांचा कुछ मजबूत हुआ है और उसमें धक्के बर्दाश्त करने की सामर्थ्य पैदा हुई है।

लड़ाई व अकाल, दोनों के मुश्तरका असर ने चालू साल के हमारे बजट तखमीनों को दरहम-बरहम कर दिया। कुछ दीगर वजूहात ने, जिनका बयान मैं आगे चल कर करूंगा, खर्च में और इजाफा कर दिया। हकीकत यह है कि बजट का संतुलन रखने की सारी कोशिशों के बावजूद, चालू साल में करीब १३ करोड़ के घाटे की सूरत पैदा हो गई

Page No. 3

(श्री बालकृष्ण कौल)

जिन वजूहात से यह घाटा हुआ है, उन्हें मैं सदन के सामने रखना मुनासिब समझता हूं।

(१) अकाल के कारण ३ करोड़ ६० लाख का घाटा रहा क्योंकि लगान में १ करोड़ ६० लाख की कमी हो गई, १ करोड़ ५० लाख की उधार वसूल नहीं हो सकी और अकाल पर खालिस खर्च ५० लाख ज्यादा हुआ।

(२) जमीनों की बिक्री कम हुई और बैटरमेन्ट लेवी कम वसूल हुई जिससे १ करोड़ ५६ लाख की कमी हुई;

(३) गांधी सागर बांध में पानी के अभाव से राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आमदनी में कमी होने से ३ करोड़ ३० लाख का फर्क पड़ गया;

(४) राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी कायम न होने से नहर के ऋण पर २ करोड़ ७१ लाख ब्याज चुकाना पड़ा;

(५) स्पेशल आर्म्ड फोर्स कायम होने से और इमरजेन्सी के कारण पुलिस पर ५६ लाख ज्यादा खर्च हुआ;

(६) शिक्षकों के वेतनों का फिक्सेशन किया गया जिससे बकाया का ५३ लाख चुकाया गया;

(७) दीगर मुख्तलिफ़ बढ़त और घटत का हिसाब लगाने के बाद ४१ लाख की खालिस घटत हुई।

इन सबका नतीजा यह हुआ कि कम आमदनी और ज्यादा खर्च की सूरत में सरकार को रिजर्व बैंक से उधार लेनी पड़ी। इसके सिवा कोई चारा ही न था और हालात से मजबूर होकर ही सरकार ने ऐसा किया। साथ ही सरकार ने जनता के सहयोग से आमदनी बढ़ाने और सरकारी खर्च घटाने की भी भरसक कोशिश की। १९६५-६६ का यह घाटा पूरा करने के वास्ते भारत सरकार से १३ करोड़ का एडहॉक कर्जा लेने की दरख्वास्त की गई है।

१९६५-६६ का तरमीमशुदा तखमीना

इस भूमिका के बाद मैं बजट के आंकड़ों पर आता हूं और सबसे पहले १९६५-६६ का तरमीमशुदा तखमीना सदन के सामने रखता हूं। चालू साल के लिए वसूलियों का मूल तखमीना यह था :—

साधारण वसूलियां	७० करोड़ १३ लाख
सीलिंग के अन्दर केन्द्र से सहायता	५ करोड़ ३६ लाख
सीलिंग के बाहर केन्द्रीय-स्कीमों के लिये केन्द्र से सहायता	३ करोड़ ५१ लाख
चौथी योजना की अगाऊ कार्यवाही के लिए केन्द्र से सहायता	६८ लाख
कुल—	७९ करोड़ ६८ लाख

नये टैक्स १ करोड़ ६९ लाख

इसके मुकाबले वसूलियों का तरमीमशुदा तखमीना यह है :—

साधारण वसूलियां	८६ करोड़ ७१ लाख
सीलिंग के अन्दर केन्द्र से सहायता	५ करोड़ ६१ लाख
सीलिंग के बाहर केन्द्रीय-स्कीमों के लिये केन्द्र से सहायता	२ करोड़ ६३ लाख
चौथी योजना की अगाऊ कार्यवाही के लिये सहायता	६० लाख
कुल—	९५ करोड़ ९५ लाख

Page No. 4

(श्री बालकृष्ण कौल)

१९६५-६६ के बजट में लगाये गये टैक्स	१ करोड़ ६० लाख
चालू साल के दौरान लगाये गये टैक्स	४० लाख

साधारण वसूलियों में ७० करोड़ १३ लाख से ८६ करोड़ ७१ लाख की बेशी सिर्फ हिसाब के समायोजन की वजह से है जिसकी कुल रकम १६ करोड़ ७३ लाख है। इस समायोजन के अलावा बिक्री-कर में १ करोड़ ४४ लाख की और भारत सरकार से अनुदान में १ करोड़ १९ लाख की मुख्य बेशियां हुई हैं। दूसरी तरफ, अकाल की वजह से जमीन के लगान में १ करोड़ ९० लाख की और असाधारण वसूलियों, मसलन—जमीन की बिक्री, बैटरमेन्ट लेवी, वगैरा में १ करोड़ ५६ लाख की कमी हुई है। लेकिन देखा जाय तो समायोजन के हिसाब को छोड़कर बेशी व कमी करीब करीब बराबर हो जाती हैं और तमाम स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

राजस्व खाते के खर्चों का मूल तखमीना यह था :—

चालू गैर-योजना मदों पर	६४ करोड़ ५ लाख
नयी गैर-योजना मदों पर	२ करोड़ ५२ लाख
कुल गैर-योजना खर्च	६६ करोड़ ५७ लाख
सीलिंग के अन्दर योजना-स्कीमों पर	१५ करोड़ ११ लाख
सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों पर जिनमें केन्द्रीय स्कीमें शामिल हैं	३ करोड़ ७८ लाख
चौथी योजना की अगाऊ कार्यवाही के लिए	६८ लाख
कुल:	८६ करोड़ १४ लाख

इसके मुकाबले खर्च का तरमीमशुदा तखमीना यह है :—

गैर-योजना स्कीमों पर	८२ करोड़ ६७ लाख
सीलिंग के अन्दर योजना-स्कीमों पर	१५ करोड़ ८० लाख
सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों पर जिसमें केन्द्रीय स्कीमें और चौथी योजना की अगाऊ कार्यवाही के खर्च शामिल हैं	३ करोड़ ४६ लाख
कुल:	१०१ करोड़ ९३ लाख

गैर-योजना खर्च के तरमीमशुदा तखमीने में जो फर्क नजर आता है, वह भी १० करोड़ ६४ लाख के समायोजन की वजह से है। इसके अलावा "१७-कर्ज घटाने या बचाने के लिये विनियोग"—इस मद में ५५ लाख कम खर्च हुआ है क्योंकि जमीन की बिक्री और बैटरमेन्ट लेवी से आमदनी कम हुई और सिंकिंग फंड में कम रकम डालनी पड़ी। "५०—सार्वजनिक निर्माण" की मद में ४५ लाख कम खर्च हुआ क्योंकि किफायत की गरज से इमारतों की मरम्मत पर कम रुपया लगाया गया। जिन मदों में ज्यादा खर्च हुआ है वह ये हैं :—

१६—कर्ज व दीगर देनदारियों पर ब्याज का ३ करोड़ ३५ लाख, इसमें राजस्थान नहर के कर्ज पर ब्याज का २ करोड़ ७१ लाख भी शामिल है;

६४—अकाल पर खर्च, १ करोड़ ५० लाख, यह रकम बजट में दिखायी गई ४० लाख की रकम के अलावा है;

(श्री बालकृष्ण कौल)

२८–शिक्षा पर ५३ लाख, इस बेशी की वजह यह है कि शिक्षकों के पे-फिक्सेशन की कार्यवाही पूरी करने की खास मुहिम चलाई गई जिससे उन्हें वेतनों की बकाया चुकानी पड़ी और इस वजह से पंचायत समितियों को भी ज्यादा अनुदान देना पड़ा।

पूंजीगत खर्च का मूल तखमीना २६ करोड़ ५० लाख था। इसमें जागीरी मुआवजों का ५ करोड़ १२ लाख, सीलिंग के भीतर योजना-खर्च का १८ करोड़ ४४ लाख, सीलिंग के बाहर की स्कीमों पर खर्च का १ करोड़ ६९ लाख और गैर-योजना मदों का १ करोड़ २५ लाख—ये चार खर्च शामिल हैं। तरमीमशुदा तखमीना ३६ करोड़ ६० लाख है। इसमें ३ करोड़ ५० लाख जागीरी मुआवजों का है, २ करोड़ ६१ लाख गैर-योजना खर्च का है, २० करोड़ ४० लाख सीलिंग के भीतर योजना खर्च का है और ९ करोड़ ७९ लाख सीलिंग के बाहर स्कीमों व चौथी योजना की अगाऊ कार्यवाही के लिए है।

ऋण खाते की सूरत यह है कि तमाम भुगतानों के बाद आमदनी में ३३ करोड़ ७८ लाख की खालिस बाकी का अन्दाजा था। ३४ करोड़ २४ लाख सीलिंग के अन्दर केन्द्रीय-ऋण-सहायता का, और २ करोड़ ६५ लाख सीलिंग के बाहर स्कीमों के लिए मिलना था। अब अन्दाजा यह है कि खालिस बाकी ५९ करोड़ ३० लाख होगी। ३८ करोड़ ५ लाख सीलिंग के अन्दर केन्द्रीय ऋण-सहायता के और ११ करोड़ ३१ लाख सीलिंग के बाहर खर्च के केन्द्र से मिलेंगे जिसमें चौथी योजना की अगाऊ कार्यवाही भी शामिल है। बड़ा फर्क यह है कि बजट का घाटा पूरा करने के वास्ते भारत सरकार से १३ करोड़ की एड्-हॉक उधार लेने का प्रावधान किया गया है। इस घाटे की वजूहात मैं बयान कर ही चुका हूं। माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि तरमीमशुदा तखमीनों में वसूलियों और अदायगियों के जो मोटे आंकड़े दिये गये हैं वह मूल तखमीनों के मुकाबले बहुत ऊंचे हैं। इसकी वजह यह है कि कुल मिलाकर बैंकों से करीब ७० करोड़ का लेन देन हुआ जबकि मूल तखमीना सिर्फ ५ करोड़ का ही था।

उधार व पेशगी खाते के मूल तखमीनों में २० करोड़ ७३ लाख, उधार बांटने का प्रावधान था। इसमें १३ करोड़ १२ लाख सीलिंग के अन्दर योजना-स्कीमों के लिए और १ करोड़ २० लाख सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों के लिए था। तरमीमशुदा तखमीना २९ करोड़ ६४ लाख है। इसमें सीलिंग के अन्दर योजना-स्कीमों का १४ करोड़ ६० लाख और सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों का १ करोड़ ५५ लाख शामिल है। खालिस उधारों का मूल तखमीना १२ करोड़ ६२ लाख था। उसके मुकाबले तरमीमशुदा तखमीना २२ करोड़ ६५ लाख है।

सार्वजनिक लेखा में खालिस जमा का तखमीना ६ करोड़ ६८ लाख था। अब तरमीमशुदा तखमीना ४ करोड़ ६८ लाख है।

ऋण खाते की असलियत:—पूंजी खाते की वसूलियों और अदायगियों की जो स्थिति है, वह मैंने सदन को बता दी। ऋण खाते का आकार, जो बराबर बढ़ता जा रहा है, उससे कुछ हलकों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिये इसकी असलियत और सही मंशा बयान कर देना मुनासिब है। कभी कभी यह अंदेशा जाहिर किया जाता है गोया आगे की पीढ़ी पर कर्जों का बोझ लादा जा रहा है या सरकार की लगातार

(श्री बालकृष्ण कौल)
कर्जदारी राज्य की बरबादी का सबब बनती जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो सही है ।

श्री बालकृष्ण कौल : आम बोलचाल में कर्ज और कर्जदारी, ये अलफ़ाज ऐसे हैं जिनसे यह वहम हो जाता है कि कोई अपने बूते से ज्यादा खर्च कर रहा है । इसीलिये कुछ लोगों के दिमाग में यह वहम सरकार के कर्ज के साथ भी जुड़ जाता है । लेकिन मैं साफ़ कर देना चाहता हूं कि सरकारी कर्ज को हैसियत बिल्कुल दूसरी तरह की होती है । सरकारी कर्ज वह पैमाना है जिससे यह नापा जाता है कि लोगों का अपनी सरकार पर कितना भरोसा है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): दिवाला निकला जा रहा है और भरोसे की बात करते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : जो बचत आमदनी और खर्च के फर्क से होती है वह आयन्दा विकास के कामों में लगा दी जाती है । जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वही सारे समुदाय पर भी होती है ।

वाणिज्य और उद्योग की दुनिया में, जो रुपया वाणिज्य, व्यापार और उद्योगों के विस्तार के लिए उधार लिया जाता है, वह खास अहमियत रखता है । यह रुपया पूंजी का ही हिस्सा शुमार किया जाता है । सरकारी वित्त व्यवस्था में सरकार के कर्जों की भी यही हैसियत है । कोई व्यक्ति छोटी बचत वगैरह में रुपया लगाकर सरकार को नुमायां कर्ज देता है । कोई जीवन-बीमा, बैंक डिपोजिट या दीगर जरियों से सरकारी कर्ज में हिस्सा बंटाता है । इस कर्ज के एवज में सरकार या तो व्यक्तियों और संस्थाओं को उधार देती है, या कारोबार में लगाती है । इस तरह निवेश के कुछ मामले तिजारती ढंग के होते हैं । कुछ गैर-तिजारती ढंग के भी होते हैं जिनसे आगे चल कर देश की माली हालत में तरक्की होती है । कुछ निवेशों के फ़ायदे गैर-नुमायां होते हैं । मसलन, सड़कें, जिनसे आमद-रफ्त की सहूलियत होती है, स्कूलों की इमारतें, जिनसे शिक्षा का विस्तार होता है; अस्पताल व तन्दुरुस्ती के प्रोग्राम, जिनसे राष्ट्र तन्दुरुस्त होता है; यहां तक कि अकाल-राहत भी, जिससे हमारा पशुधन बढ़ता है और जनता का हौसला बढ़ता है । अकाल-राहत पर खर्च तो दर असल एक समाजी मकसद भी पूरा करता है । और इस लिहाज से यह ऐसा निवेश है जो इन्सानियत के खजाने को भरता है । इसलिए सरकार की बढ़ती हुई कर्जदारी अन्देशे की चीज नहीं है । अमेरिका जैसे बहुत मालदार देशों पर भी सरकारी कर्ज की जबरदस्त देनदारी चढ़ी हुई है । हकीकत यह है कि ज्यों-ज्यों देश की माली हालत सुधरती जाती है, और दौलत जमा होती जाती है, त्यों-त्यों सरकार की सरगर्मियां भी बढ़ती जाती हैं । और साथ ही कर्जे भी बढ़ते जाते हैं । चालू साल के आखिर तक राजस्थान के ऋण खाते की कुल देनदारी ३३३ करोड़ होगी । इसमें २७० करोड़ भारत सरकार से ली हुई उधार है, १५ करोड़ जागीर बॉन्डों के देने हैं, और ४८ करोड़ के कर्ज के पब्लिक से या जीवन बीमा निगम वगैरह से लिये गये हैं । इस देनदारी के मुकाबले में बांध, इमारतें, सड़कें, मशीन, वगैरह की शक्ल में जो मुस्तकिल मालमता राजस्थान के पास है उसकी कीमत २४८ करोड़ से कम नहीं है । राज्य सरकार जो रुपया उधार देती है उसके दो रूप हैं । एक तो वह उधार है जो वापस वसूल हो जाती है । दूसरी वह है जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी

Page No. 7

(श्री बालकृष्ण कौल)
बोर्ड, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वगैरह, सरकारी निगमों में पूंजी के रूप में लगी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का असेसमैन्ट इसमें नहीं आता है।

श्री बालकृष्ण कौल : इनका जोड़ १०७ करोड़ है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि करीब ३५५ करोड़ का यह कुल माल-मत्ता ऋण-खाते की देनदारी से कहीं ज्यादा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह जो ३५५ करोड़ का आपने बताया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और बांध वगैरा आते हैं क्या?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो जब बजट पर बहस होगी तब बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अभी हाउस में बताइए, आप गलत कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : आपने तो नक्शा ऐसा बता दिया कि हमारी सरकार पर तो कुछ है ही नहीं।

बालकृष्ण कौल :

१९६५-६६ की सालाना योजना

अब मैं १९६५-६६ की सालाना योजना और तमाम तीसरी योजना के वित्तीय पहलुओं को मुख्तसर बयान करना चाहता हूं। १९६५-६६ के बजट में अन्दाजा लगाया गया था कि योजना खर्च ५४ करोड़ २७ लाख होगा। इसमें ४६ करोड़ ६० लाख सीलिंग के अन्दर और ७ करोड़ ३७ लाख सीलिंग के बाहर खर्च के शामिल किये गये थे। तरमीमशुदा तखमीने के मुताबिक ६६ करोड़ ६८ लाख खर्च होगा। **इसमें सीलिंग** के अन्दर **खर्च** का ५१ **करोड़** २७ लाख शामिल हैं। इससे जाहिर होगा कि सीलिंग के अन्दर खर्च की रकम ४ करोड़ ३७ लाख बढ़ गई है। वजह यह है कि खेती के प्रोग्राम के लिये केन्द्रीय सरकार ज्यादा रुपया देगी। सीलिंग के बाहर खर्च में बेशी दो वजह से है। एक तो ब्याज की रकम को पूंजी खाते में डालने का समायोजन किया गया है। दूसरे, व्यास प्रोजेक्ट में जो ज्यादा खर्च पहले हो चुका था उसका समायोजन १९६५-६६ में किया गया।

तीसरी योजना

तीसरी योजना तैयार करते वक्त राज्य की सीलिंग २३६ करोड़ आंकी गई थी। इस लागत में राज्य को ८० करोड़ का हिस्सा लगाना था और बाकी १५६ करोड़ केन्द्रीय सरकार का हिस्सा था। १९६५-६६ के बजट भाषण में मैंने कहा था कि तीसरी योजना की लागत २०३ करोड़ ६० लाख हो सकती है। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा ४२ करोड़ ३ लाख होने की उम्मीद थी। चार सालों के असल खर्च और १९६५-६६ के तरमीमशुदा तखमीनों के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि तीसरी योजना का कुल खर्च २०९ करोड़ ६५ लाख होगा। यह खर्च सीलिंग के अन्दर का है और इसमें अगाऊ कार्यवाही व गैस-टरबाइन का खर्च शामिल नहीं है। पिछले चार बरसों के असल खर्च और १९६५-६६ के तरमीमशुदा तखमीने के आधार पर योजना के लिये केन्द्र से सिर्फ १६४ करोड़ ८४ लाख की सहायता की उमीद है। इसी आधार पर राज्य का हिस्सा सिर्फ ३० करोड़ ५६ लाख होगा। बाकी का करीब १३ करोड़, १९६५-६६ का वह घाटा है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। केन्द्रीय स्कीमों पर खर्च की रकम करीब १४ करोड़ होगी।

(श्री बालकृष्ण कौल)

साधन जुटाने के मामले में राज्य सरकार की खास कोशिशों के बारे में यही कहा जा सकता है कि हमने नये टैक्सों के जरिये ३२ करोड़ जुटाने का अपना वायदा पूरा कर दिखाया है। नये टैक्सों से होने वाली कुल आमदनी का अन्दाजा ३२ करोड़ ४ लाख है। इसी तरह ऋण खाते में और छोटी बचतों से ३० करोड़ जमा करने का हमारा वायदा भी पूरा हो गया है। साथ ही गैर-योजना खर्च में भारी किफायतें की गई हैं। मगर इन कोशिशों के बावजूद तीसरी योजना के काफी साधन जुटाने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। इसके खास कारण यह है कि एक तो अकाल पर खर्च, और तीसरी योजना के दौरान मंहगाई भत्ते में तीन बार इजाफों से, गैर-योजना खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरे, जमीनों की बिक्री व बैटरमेंट लेवी से बहुत कम आमदनी हुई।

चौथा वित्त कमीशन

१९६६-६७ का बजट तखमीना पेश करने से पहले मैं कुछ अहम बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिनका असर इस बजट पर पड़ता है।

चौथी वित्त कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १९६५ में पेश की थी। इसकी सिफारिश के मुताबिक चौथी योजना की अवधि में राजस्थान को करीब ६६ करोड़ ७६ लाख की रकम केन्द्रीय टैक्सों के हिस्से की शक्ल में केन्द्रीय सरकार से मिलेगी। तीसरी योजना में यह रकम ६२ करोड़ १० लाख है। संविधान के अनुच्छेद २७५ के मातहत चौथी योजना में ३३ करोड़ ६५ लाख का अनुदान मिलेगा। तीसरी योजना में यह अनुदान २६ करोड़ २५ लाख का रहा।

चौथी योजना के साधन

चौथी वित्त कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को चौथी योजना के वास्ते अपने साधनों का तखमीना तैयार करना था। लेकिन लड़ाई के सबब से, और देश के ज्यादातर हिस्सों में फसल की खराबी से, चौथी योजना की कुल अवधि के साधनों का तफसीलवार और सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सका। इस मामले पर चौथी योजना के पहले साल के दौरान चर्चा किया जायगा।

राजस्थान नहर परियोजना

हमारे राज्य की योजना-स्कीमों में राजस्थान नहर परियोजना सबसे ज्यादा महत्व रखती है। भारत सरकार ने मान लिया है कि इस परियोजना के लिये कानून के जरिये राजस्थान केनाल आॅथोरिटी कायम की जाय। नहर और उसकी शाखों की खुदाई का काम और साथ ही नहरी इलाके का आर्थिक विकास, इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी इस आॅथोरिटी पर होगी। इसलिए मौजूदा स्टाफ ठेकेदारों के बिल, खरीदे गये सामान की कीमत, और इस्तेमाली सरंजाम पर खर्च के लिए सिर्फ १ करोड़ का प्रावधान किया गया है। नहर के तामीरी-खर्च के वास्ते भारत सरकार हमको उधार देती आई है। मगर साथ ही यह भी इसरार करती रही है कि हर कर्ज की तारीख के पांच साल बाद, उसका ब्याज अदा किया जाय। इससे राज्य पर जबर्दस्त वित्तीय बोझ पड़ता है क्योंकि फिलहाल आमदनी तो होती नहीं, और इस योजना को बारहमासी सिंचाई का पूरा लाभ देने में अभी बरसों लगेंगे। ब्याज की देनदारी के अलावा, राज्य के पास इतने साधन भी नहीं हैं कि नहरी

Page No. 9

(श्री बालकृष्ण कौल)

इलाके में सड़कें बनाने, कस्बे व गांव बसाने, स्कूल व अस्पताल खोलने, पीने का पानी व दीगर सहूलियतें मुहैया करने वगैरह, पर जरूरी खर्च कर सकें। अब इस अॉथोरिटी के कायम हो जाने पर भारत सरकार की वित्तीय-सहायता से इस इलाके का आर्थिक-विकास तेजी से हो जायगा, ऐसी उम्मीद है।

१९६६-६७ के बजट तखमीने

अब मैं १९६६-६७ के बजट तखमीने सदन के सामने रखता हूं। इसके गैर-योजना खर्च के तखमीने में तीसरी योजना का ८ करोड़ ५ लाख का कमिटेड खर्च शामिल है। दूसरी तरफ, चौथे वित्त कमीशन की सिफ़ारिशों के मुताबिक, अगले साल से राज्य सरकार को केन्द्रीय टैक्सों का हिस्सा मिलेगा और अनुच्छेद २७५ के मातहत अनुदान-सहायता मिलेगी।

राजस्व वसूलियां १९६६-६७

१९६६-६७ में राजस्व वसूलियों का तखमीना ९६ करोड़ ५६ लाख रखा गया है। इसमें सीलिंग के भीतर केन्द्रीय सहायता का ५ करोड़ और सीलिंग के बाहर सहायता का २ करोड़ ८२ लाख शामिल है।

१९६५-६६ के तरमीमशुदा तखमीने के मुकाबले जिन मदों में खास इजाफे दिखाये गये हैं वे ये हैं:—

४-निगम कर के अलावा आय पर कर	३० लाख
९-लगान	८५ लाख
१०-आबकारी महसूल	१ करोड़ १० लाख
११-मोटर गाड़ियों पर कर	१३ लाख
१२-बिक्री कर	१ करोड़ ६० लाख
१३-दूसरे कर व वसूलियां	४५ लाख
२४-जन स्वास्थ्य ..	४० लाख
३२-विविध समाजिक व विकासीय संगठन ..	३८ लाख
४५-संघीय आबकारी महसूल में राज्य का हिस्सा ..	२ करोड़ ४० लाख
४६-केन्द्रीय सरकार से अनुदान-सहायता	२ करोड़ ७७ लाख
५०-असाधारण वसूलियां	२ करोड़ ५० लाख

जिन मदों में खास गिरावट दिखाई गई है वे ये हैं:—

१६-ब्याज	१२ करोड़ ७३ लाख
२७-पशुपालन ..	५४ लाख
४१-विविध ..	१ करोड़ ३ लाख

राजस्व खाते से खर्च:—राजस्व खाते से खर्च होने वाली रकम का तखमीना ९८ करोड़ ४९ लाख है। इसकी तफसील यह है:

गैर-योजना खर्च की जारी रहने वाली मदें	७७ करोड़ ६८ लाख
तीसरी योजना का कमिटेड खर्च	७ करोड़ ९५ लाख
नई गैर-योजना मदों पर	३३ लाख
सीलिंग के भीतर योजना-स्कीमों पर	९ करोड़ ५४ लाख

(श्री बालकृष्ण कौल)

सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों पर	२ करोड़ ६६ लाख

१९६५-६६ के तरमीमशुदा तखमीनों के मुकाबले कमिटेड खर्च की वजह से ज्यादातर मदों में इजाफे दिखाये गये हैं। मगर गैर-विकास मदों में खास इजाफे इनमें किये गये हैं :--

१८-संसद, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधान सभायें	१५ लाख
२३-पुलिस	२० लाख
६४-अकाल	१ करोड़ ६० लाख
६५-पेंशन व दूसरे पेंशनरी लाभ	१४ लाख

राजस्व खाते में घाटा:--मौजूदा दरों पर टैक्सों की वसूलियों और कुल खर्च का हिसाब लगाने के बाद राजस्व खाते में १ करोड़ ६३ लाख का घाटा रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछले साल ४२ लाख बताया था, वह १३ करोड़ हो गया।

श्री बालकृष्ण कौल : **पूंजीगत खर्च**:--खालिस पूंजीगत खर्च का अन्दाजा १७ करोड़ ४३ लाख है। इसमें जागीरी मुआवजों का ३ करोड़ ४० लाख, योजना के लिये १२ करोड़ ३३ लाख और सीलिंग के बाहर योजना स्कीमों के लिए १ करोड़ ५२ लाख शामिल है।

ऋण खाता:--केन्द्रीय सरकार से ली गई उधार की अदायगी के लिए १७ करोड़ ३७ लाख का प्रावधान है। इसमें भारत सरकार के दो कर्जों की भुगतान की किश्तें शामिल हैं। १ करोड़ ७६ लाख तो १५ करोड़ के उस कर्जे की किश्त है जो हमने १९६१ में लिया था। और अब १९६५-६६ का घाटा पूरा करने के वास्ते १३ करोड़ की जो उधार मांगी गई है, उसके भुगतान की पहली किश्त का ४ करोड़ ३० लाख, यानि कुल रकम का एक-तिहाई रखा गया है। सीलिंग के अन्दर योजना-स्कीमों के लिए उधार के तौर पर केन्द्रीय सहायता २३ करोड़ होगी। यह मान लिया गया है कि राजस्थान कैनाल आथोरिटी बहुत जल्द कायम हो जायगी। इसलिए इस मद में सिर्फ १ करोड़ के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। इसी हिसाब से केन्द्रीय उधार-सहायता भी १ करोड़ मानी गयी है। पब्लिक से ५ करोड़ का ऋण लेने की भी तजवीज है। छोटी बचतों की खालिस जमा में से राज्य का हिस्सा २ करोड़ आंका गया है। यह पिछले ८ साल के आंकड़ों से काफी ज्यादा है। इससे जाहिर है कि छोटी बचत के दोहरे फायदों को दिन पर दिन ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इससे न सिर्फ हर व्यक्ति को बचत होती है, बल्कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के साधन भी बढ़ते हैं। छोटी बचत के लिए और भी ज्यादा उत्साह पैदा करने की गरज से इस साल एक स्कीम जारी की गई है। इसके मुताबिक हर जिले को उसकी जमा की गई रकम के आधार पर नकद सहायता दी जायगी। इन सब रकमों, और रिजर्व बैंक व लाइफ इन्श्योरेन्स कोर्पोरेशन से लेन-देन का हिसाब जोड़ने के बाद ऋण खाते में २४ करोड़ की खालिस आमदनी होगी।

सरकार की ओर से उधार व पेशगी:--राज्य सरकार की तरफ से रुपया उधार देने

(श्री बालकृष्ण कौल)

के लिए २४ करोड़ ६७ लाख का प्रावधान है। इसमें १५ करोड़ ७० लाख सीलिंग के अन्दर योजना-स्कीमों के लिए और १ करोड़ ७१ लाख सीलिंग के बाहर योजना-स्कीमों के लिए दिये जायेंगे। वसूली को ध्यान में रखते हुए, उधार की खालिस रकम १७ करोड़ ३० लाख होगी।

सार्वजनिक लेखा:—प्रोविडेन्ट फण्ड, इन्श्योरेन्स फण्ड सिंकिंग फण्ड वगैरह के मुख्तलिफ जमा-खातों में जो खालिस वसूलियां शामिल होंगी, उनका हिसाब लगाने के बाद सार्वजनिक लेखा की खालिस बाकी में ६ करोड़ ५९ लाख के इजाफे की उम्मीद है। मैं यह बता दूं कि तीसरे वित्त कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक हम हर साल ४० लाख अकाल राहत फण्ड में डालते रहे हैं। अब चौथे वित्त कमीशन की सिफारिश के लिहाज से १९६६-६७ में और फिर हर साल ४० लाख के बजाय ९३ लाख इस फण्ड में डाला जायगा।

पूंजी खाते में:—ऋण खाते में कुल २४ करोड़ और सार्वजनिक लेखा में ९ करोड़ ५९ लाख जमा होगा। पूंजी खाते में १७ करोड़ ४३ लाख खर्च होगा। सरकार के उधार व पेशगी खाते का खालिस आंकड़ा १७ करोड़ ३० लाख होगा। इसलिए पूंजी खाते में १ करोड़ १४ लाख का घाटा रहेगा।

१९६६-६७ की सालाना योजना:—१९६६-६७ की सालाना योजना की सीलिंग ३६ करोड़ ६६ लाख रखी गयी है। इसमें राजस्थान नहर परियोजना शामिल नहीं है। १९६५-६६ के तरमीमशुदा तखमीने के मुताबिक सीलिंग के भीतर ५१ करोड़ २७ लाख खर्च होगा। अगर राजस्थान नहर का ४ करोड़ २५ लाख का खर्च काट दिया जाय, तो ४५ करोड़ २ लाख बचता है। इस तरह १९६६-६७ की, सीलिंग १९६५-६६ की सीलिंग के मुकाबले काफी नीची है। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों के दस्तयाब साधन बहुत घट गये हैं। राजस्थान नहर को छोड़कर १९६५-६६ में केन्द्रीय सहायता की रकम ३९ करोड़ ७१ लाख होगी। लेकिन १९६६-६७ में यह सहायता सिर्फ २८ करोड़ रह जायगी। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि १९६६-६७ के विकास खर्च में कमिटेड मदों पर गैर-योजना खर्च का ८ करोड़ ५ लाख भी शामिल है। सीलिंग के बाहर की योजना-स्कीमें यानी वे स्कीमें जिनका लगभग सारा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है, ६ करोड़ २३ लाख की होंगी। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार राजस्थान नहर परियोजना की तामीर और विकास, दोनों का खर्च उठायेगी।

पूरी स्थिति:—मैं बता चुका हूं कि टैक्सों के मौजूदा ढांचे के आधार पर राजस्व खाते में १ करोड़ ९३ लाख और पूंजी खाते में १ करोड़ १४ लाख के घाटों की संभावना है। यानी कुल मिलाकर ३ करोड़ ७ लाख का घाटा रहेगा।

बजट की तंग कैफियत में सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि समाज के धनहीन वर्गों की हालत सुधारने के वास्ते कोई नई स्कीम चालू करे। लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोले जायं। इस फैसले का ऐलान किया जा चुका है। बजट के तखमीनों में इसके लिए जरूरी वित्त का प्रावधान भी कर दिया गया है।

Page No. 12

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने रुपयों का ?

श्री बालकृष्ण कौल : About one crore.

जिन शहरों में कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा है, वहां इसी साल मई और जून में कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोल दिये जायेंगे। दूसरी छोटी जगहों में अक्टूबर के आखिर तक यह इन्तजाम हो जायगा। इन स्टोर्स का फायदा पी. डब्ल्यू. डी. के वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन, वगैरह सरकारी निगमों से भी कहा जायगा कि वे भी अपने कर्मचारियों के लिये इसी किस्म के स्टोर्स खोलें।

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की कम से कम पेंशन की रकम पारसाल बढ़ा कर ३०) रु० माहवार कर दी गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ता ?

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसे कम पेंशन पाने वाले लोगों की दिक्कतों को भी सरकार महसूस करती है जिनको अपने रिश्तेदारों से जरूरी मदद न मिल पाती हो। लेकिन थोड़ी सी पेंशन बढ़ाने से इन्हें असली राहत नहीं मिल सकती। इसलिए यह फैसला किया गया है कि राजस्थान सरकार के जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को १०० रु० या इससे कम पेन्शन मिल रही है उन्हें सरकारी कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से सामान खरीदने की सहूलियत दे दी जाय :

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या रखा है कि तालियां बजा दीं।

श्री बालकृष्ण कौल : किफायत के उपाय:— मैं यह भी बता दूं कि तीसरी योजना के दौरान हमने किफायत के कुछ कदम उठाये हैं और इन में से कुछ तो काफी सख्त हैं। इस लिए अब और ज्यादा किफायत की गुंजाइश नहीं है। मगर फिर भी, १९६६-६७ के बजट तखमीनों में २ करोड़ ८४ लाख की किफायत शामिल है। बजट तखमीनों में शामिल की गई इस किफायत के अलावा, जुदा-जुदा विभागों के काम की बारीकी से छान-बीन होती रहती है कि उनमें किफायत की कितनी और गुंजाइश है और इसके आधार पर बदलन-फ़बदलन फैसले किये जाते हैं। इन तमाम कोशिशों से १ करोड़ की किफायत का और इमकान है। इस तरह कुल घाटा ३ करोड़ ७ लाख से घट कर २ करोड़ ७ लाख रह जाता है।

केन्द्रीय करों में होनेवाले इजाफों का असर:— अब हमारे सामने समस्या है कि २ करोड़ से कुछ ज्यादा का यह घाटा किस तरह पूरा किया जाय। इसमें शक नहीं कि इस साल अकाल, बिजली की कमी और ऊंची कीमतों का दौर रहा है। साथ ही यह साल चौथी योजना का पहला साल भी है। इसलिए न तो हम बड़े-बड़े प्रोजैक्टों को पूरा करने में ढील दे सकते हैं, और न विकास के कामों की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। साधन जुटाने के मामले में जनता की कितनी सामर्थ्य है, और आर्थिक विकास और समाजी तरक्की के लिए कितने रुपये की दरकार है, इन दोनों के बीच ठीक-ठीक संतुलन रखना जरूरी है। अगले साल के केन्द्रीय बजट में जो इजाफे तजवीज किये गये हैं उनसे इस बची हुई खाई को भरने में कुछ मदद मिलेगी। सेन्ट्रल एक्साइज

(श्री बालकृष्ण कौल)
इयूटीज में कुछ इजाफे हुए हैं, और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में १ जुलाई, १९६६ से कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं, और राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के तहत उसी माफिक कुछ कार्य-वाहियां की जायेंगी। इन दोनों जरियों से राज्य को करीब १ करोड़ १० लाख की ज्यादा आमदनी होगी। इस तरह कुल घाटा कम होकर ९७ लाख रह जायगा।

दूसरे उपाय:—राजस्थान यात्री व माल कर बढ़ाने का जो आर्डिनेन्स जारी किया गया था, उसकी जगह इस कानून में संशोधन का एक बिल पेश किया जा रहा है। इसके अमल में आने पर २७ लाख की ज्यादा आमदनी होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ७० रह गया।

श्री बालकृष्ण कौल: मोटर वाहन कर कानून के तहत टैक्सों का शिड्यूल नये सिरे से बनाया जायगा और टैक्सों के ढांचे को दुरुस्त किया जायगा, ताकि पड़ौसी राज्यों में चालू दरों से मेल बैठ जाय। इस उपाय से ४५ लाख वसूल होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: २५ रह गया।

श्री मानसिंह महार: अब तो बराबर हो जायेगा।

श्री बालकृष्ण कौल: बिक्री कर की चोरी के सूराख बन्द करने, और वसूली में बेहतरी लाने की गरज से कुछ उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में, दूसरी बातों के अलावा, मौजूदा छूटों को वापस लेना भी शामिल है, क्योंकि इनकी वजह से टैक्स की चोरी होती है। घानी के तेल और घी पर टैक्स की मौजूदा छूट खत्म की जा रही है और घी पर ३ फी सदी टैक्स लगाया जा रहा है। बिक्री कर कानून के मातहत इन सारे उपायों से करीब ३० लाख की आमदनी की उम्मीद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप डालडा खाते हैं, उस पर कितना लगाया है?

श्री बालकृष्ण कौल: डालडा पर १०%

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ५०% होना चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल: सिंचाई के कामों की देखभाल पर जितना खर्च होता है वह सिंचाई की आमदनी के मुकाबले में बहुत भारी है। सिंचाई की वसूलियों से तो ब्याज तक भी नहीं चुकाया जा सकता और इसका बोझ सारे राजस्व पर पड़ता है। इस सबब से आबपाशी की दरें बढ़ाने की दलील काफी वजन रखती है। इसलिए फिलहाल गैर-सीरियल फसलों पर आबपाशी की दरों में ५ रु० फी एकड़ का एडहाक इजाफा किया जा रहा है। सीरियल अनाजों की फसलों पर आबपाशी की दरों में कोई तब्दीली नहीं की जा रही, क्योंकि इनकी पैदावार को बढ़ावा देना है। इस उपाय से अगले वित्तीय साल में १० लाख वसूल होगा।

इन सब उपायों से आमदनी में कुल १ करोड़ १२ लाख का इजाफा होने की उम्मीद है और आखिर में कुल मिला कर, बजट में १५ लाख की मामूली बचत होगी।

राज्य पक्ष: हियर! हियर!!

श्री मानसिंह महार: तालियां तो बजाओ, मुनाफा कर दिया।

श्री बालकृष्ण कौल : सालाना बजट पेश करने का फर्ज में अदा कर चुका । अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ बजट के आंकड़ों में किसी राज्य की कार-गुजारियों और कामयाबियों की सही व पूरी तस्वीर नुमायां नहीं होती । बजट तो इस तस्वीर का महज एक पहलू होता है । राजस्थान की जीती-जागती तसवीर तभी नजर आ सकती है जब पिछले १०-१२ बरसों के तामीरी कामों का जायजा लिया जाय । तब यह महसूस होगा कि राजस्थान का इतिहास किस तरह नया मोड़ ले रहा है और इसकी भौगोलिक काया-पलट किस तरह हो रही है । दिक्कतें, तकलीफें और मुसीबतें तो आती ही रहती हैं । देखा जाय तो ये आजमाइश की कसौटी होती हैं । मुझे यकीन है कि हम सब राजस्थानी, अपनी वीर भूमि की परम्परा के मुताबिक, इस कसौटी पर खरे उतरेंगे और वह दिन दूर नहीं जब यह आवाज चौतरफ गूंज उठेगी——

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौल साहब वापस जाओ ।

श्री बालकृष्ण कौल : अहले-हिम्मत मंजिले मक़सूद तक आ ही गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुकर्रर इर्शाद । एक बार फिर कहिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : अहले ...

एक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष से) : अहले अहमक ?

श्री बालकृष्ण कौल : अहले-हिम्मत मंजिले मक़सूद तक आ ही गये ।

५०. इन शब्दों के साथ मैं १९६६-६७ के वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा सदन में पेश करता हूं ।

जय हिन्द (११. ४०. म. प.)

पुनः स्थापित विधेयक

(क) **राजस्थान कारारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक**, १९६६

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 'Noes' have it, Sir. ८० करोड़ में से २५ करोड़ तो टैक्सेज से और ५ करोड़ नोन-टैक्स रेवेन्यू है इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है । **५ करोड़ से ज्यादा नोन-टैक्स रेवेन्यू इकट्ठी नहीं कर सके हैं ।** गरीब जनता पर टैक्स लगाए जाते हैं । ८० करोड़ इकट्ठा करना है, उसमें २५ करोड़ के टैक्सेज लगाए हैं और केवल ५ करोड़ नोन-टैक्स से वसूल किया जाय, इसलिए इसकी इजाजत हाउस से नहीं दी जा सकती है ।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य: "Ayes" have it.

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : गरीब जनता पर टैक्स नहीं लगने चाहिए ।

(श्री जोधसिंह चौहान)
उनकी आत्मा कहती है कि टैक्स नहीं लगाए जायं। इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर): टैक्सेज नहीं लगने चाहिए।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): ये टैक्सेज को वापिस ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शुद्ध घी पर टैक्स लगा दिया और कोई राहत नहीं दी तथा दी हुई छूटों को वापिस ले लिया, गवर्नमेन्ट नॉन-टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकती। थर्ड फाइव ईयर प्लान के आखिरी साल से चौथी फाइव ईयर प्लान के फर्स्ट ईयर में खर्च कम है। उसमें ३६ करोड़ था तो अब २८ करोड़ मिल रहा है। यह कोई एफिशियेन्सी है गवर्नमेन्ट की ? रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट बढ़ रहा है, पब्लिक डैट बढ़ रहा है, रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, आउटस्टेंडिंग्ज नहीं मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार किसी भी हालत में गरीब जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं रखती है। राजस्थान की जनता से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): हुआ क्या है ?

एक माननीय सदस्य : दिवालिया-सरकार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

('हां व 'ना' की ध्वनियों के पश्चात्)

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : 'Ayes' have it.

श्री जोधसिंह चौहान : इनकी आत्मा कहती है कि टैक्स नहीं लगाए जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज परीक्षा है किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की।

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हुआ ? We are challenging the decision.

श्री अध्यक्ष : अब आगे कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने चेलेन्ज किया है डिसीजन को। 'Noes' have it When decision is challenged there is no other alternative but to have division.

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था दे दी है। दूसरे में अगर आप चाहते हैं तो कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें व्यवस्था का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानसिंह महार को हमने बड़ी मुश्किल से रोका है। वे वहां जा रहे थे कौल साहब को बाहर फेंकने के लिए। हमने कितनी डिसेन्सी और डैकोरम को मेन्टेन किया है।

आज परीक्षा है इस बात की कि राजस्थान की जनता के हित में किसानों के नुमायन्दे-नाथूरामजी, कुम्भारामजी, दौलतरामजी, मोतीलालजी-देखते हैं कि किधर वोट देते हैं।

Page No. 16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
गरीब किसानों पर इरिगेशन चार्जेज बढ़ाये जा रहे हैं। आज उनकी परीक्षा का समय है कि वे किसानों का साथ न देकर सरमायेदार कौल साहब का साथ देना चाहते हैं जो कि डेढ डेढ लाख के बंगले बना कर बैठे हैं।

(ख)[1] राजस्थान मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६

श्री मथुरादास माथुर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (एमैन्डमेन्ट) बिल, १९६६, को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. ११ बज कर ५० मिनट पर आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

[बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६६ (प्रातःकालीन)]

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३९१-९२	शीर्षक	(संख्या ९	(संख्या ८
१३९१	१	वुवबार	बुधवार
१३९१	३	(द्वितीय बैठक)	(प्रातःकालीन)
१३९२	७	गर-योजना	गैर-योजना
१३९३	अन्तिम से ४	पहुंवाना,-	पहुंचाना-
१३९८	शीर्षक	आय-व्यक	आय-व्ययक
१४०१	१०	को	की
१४०३	२१	बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१४०५	१९	चौथी	चौथा
१४०५	२१	चौथी	चौथे
१४०६	२	चौथी	चौथे
१४०७-१४०८	शीर्षक	मार्च	मार्च
१४०९	११	,३-	२३-
१४१२	२२	मौजूदा	मौजूदा
१४१३	३	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१४१८	४	जय हिन्द (११.४० म.प.)	जय हिन्द ! (११.४० म.पू.)
१४१८	५	पुन : स्थापित	पुनः स्थापित
१४२०	१६	'Noes' have it	"Noes" have it.
१४२१	अन्तिम से ३	(एमैन्डमैन्ट)	(एमेन्डमेन्ट)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र १९६६ का १२वां दिवस [संख्या ६

बुधवार, दिनांक ९ मार्च, १९६६.

विधान सभा की बैठक म० पू० १२.२५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

अभिभाषण के लिये सदन द्वारा पारित धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का संदेश

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि राज्यपाल महोदय से सदन द्वारा पारित धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर में जो संदेश प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है :

"दिनांक–मार्च ६, १९६६

प्रिय, अध्यक्ष महोदय,

आपका ५ तारीख का पत्रांक ११४। अ० वि० स० नि० स। ३८४२।६६ मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह० सम्पूर्णानन्द"

राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (रोकड़ उधार तथा अन्य उधार सुविधाओं की गारन्टी) नियम, १९६५

(सदन की मेज पर रखना)

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता (रोकड़ उधार तथा अन्य उधार सुविधाओं की गारन्टी) नियम, १९६५ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। मांग संख्या १५।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १५-शिक्षा

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या १५; मुख्य शीर्षक २८, शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०४,६०,०००) रुपये तक राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कटौती प्रस्ताव। श्री भीमसेन।

Page No. 19

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (तहसील लूणकरणसर की एक मात्र हायर सेकन्ड्री स्कूल कालू में साइंस कक्षाएं खोलने की चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राज्य ने ग्रामों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की कक्षायें नहीं खोली, उस पर चर्चा के लिये)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (संशोधित वेतन-शृंखला से अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन में निश्चयन गलत व देर करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षणालयों के अध्यापकों के उचित समय में फिक्सेशन नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (वेतन निश्चयन के कारण अध्यापकों की बकाया के भुगतान में हुई देर पर चर्चा के लिये)।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों के फिक्सेशन में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदान की रकम का सदुपयोग नहीं हुआ उस पर चर्चा के लिये)]

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्षजी, प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के समय बजट के अधिवेशन में यह नीति सम्बन्धी घोषणा की थी कि राजस्थान राज्य के प्रत्येक तहसील में हम एक एक हायर सेकन्ड्री स्कूल खोलेंगे और ऐसे स्कूलों में हम साइंस, कॉमर्स कृषि आदि विषयों की पढ़ाई के बारे में व्यवस्था करेंगे। यह नीति सम्बन्धी घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी, लेकिन इसके बारे में अभी तक मैं समझता हूं कि सरकार ने अमल नहीं किया है। खास तौर से मुझे जहां तक मेरे क्षेत्र का ज्ञान है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो तहसीलें हैं बीकानेर और लूणकरणसर। इन दोनों तहसीलों में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं अभी तक वहां जो हायर सेकन्ड्री स्कूल्स हैं उनमें साइंस कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इन तीनों ही विषयों की पढ़ाई के बारे में व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव के द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि कालू, लूणकरणसर और नापासर य तीन स्थान हैं, जहां न विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था, न कॉमर्स की पढ़ाई की व्यवस्था है और न ही कृषि की पढ़ाई की -

(श्री भीमसेन)

व्यवस्था सरकार अभी तक वहां कर पाई है इसके बारे में मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से निवेदन करूंगा कि वह क्षेत्र तो वैसे ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां के लोगों में शिक्षा के प्रति जितना लक्ष्य होना चाहिए वह लक्ष्य भी उनका नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को वहां के पिछड़े इलाकों की हालत को ध्यान में रखते हुए, साइंस कॉमर्स और कृषि की शिक्षा की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए और इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है राजस्थान में इन पिछले वर्षों में काफी प्रगति हुई है लेकिन जहां क्वालिटी और क्वान्टिटी का प्रश्न आता है वहां पर हमको यह विचारना पड़ेगा कि राजस्थान में शिक्षा किस प्रकार आगे बढ़े। और यहां पर जो टेक्निकल विषय हैं–साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स वगैरह इनकी शिक्षा का हम किस प्रकार राजस्थान में प्रसार कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल कहा गया था कि हम क्वान्टिटी की ओर अधिक ध्यान न देकर क्वालिटी की ओर ध्यान देंगे और हमारी जो उच्चत्तर माध्यमिक शालाएं हैं, उनमें विज्ञान की कक्षाएं खोल कर ज्यादा से ज्यादा प्रसार करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन पिछले साल जो कक्षाएं खोली गईं वह बहुत कम थीं और जो ध्येय या लक्ष्य था उसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिये निवेदन यह है कि जहां पर तहसील हैड क्वार्टर और दूसरे स्थान ऐसे हैं जहां पर सारी तहसील के लड़के आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं ऐसे स्थानों पर विज्ञान की कक्षाएं खोली जायं; चाहे साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसी कक्षाएं खोली जायं तो विद्यार्थियों को ज्यादा टेक्निकल अध्ययन करने का मौका मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आसींद हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं खोली जायं जिससे वहां के लड़कों को ज्यादा सहूलियतें मिल सकें और इस अध्ययन की ओर अग्रसर हो सकें।

दूसरा निवेदन यह है कि पिछले साल इस प्रकार की घोषणा की थी कि कम से कम एक तहसील में एक बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था की जायगी ताकि जो बाहर के लड़के पढ़ने वाले हैं, वे हैड क्वार्टर पर या दूसरे स्थान पर आसानी से रह कर सुविधापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस ओर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाये गये हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम एक स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, ताकि अलग अलग गांवों के लोग आकर सुविधापूर्वक रह सकें और अध्ययन प्राप्त कर सकें।

इसी प्रकार मिडिल स्कूलों के संबंध में मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों में राज्य सरकार ने मिडिल स्कूल नहीं खोली, हालांकि इसके लिये बहुत मांग थी और बहुत ज्यादा लड़के अध्ययन कर रहे थे, इसलिये पंचायत समितियों ने निर्णय लेकर जहां पर २०० या २५० लड़के पढ़ते थे वहां पर मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता थी, इसलिये पंचायत समितियों ने अपने यहां ६ ठी कक्षाएं खोल दीं जहां पर कि इसकी मांग थी। दुर्भाग्य से सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था इसलिये पंचायत समितियों ने मिडिल स्कूल चलाने के लिये ६ ठी कक्षा खोल दी। राज्य सरकार से निवेदन है कि जहां पर पंचायत समितियों ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है पिछले साल जहां पर छठी कक्षा खोल दी है

Page No. 21

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उनको मान्यता देकर ७वीं कक्षा चालू की जाय तो वहां पर पढ़ने वाले लड़कों को सहूलियत मिलेगी। इतना ही निवेदन करना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में यह तो कहना पड़ेगा कि जहां तक पढ़ने का और लोगों के रुपये चढ़े हुए थे उसके अन्दर काम चला है, लेकिन इसके साथ साथ यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि आज भी बहुत काम चढ़े हुए हैं उनके लिये पैसा नहीं मिला तो काम आगे नहीं बढ़ेंगे। बार बार जोर दिया जा रहा है उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्ण तौर से इस समस्या का समाधान होना चाहिये। मैं बतला सकता हूं, कुछ ऐसी मसलें हैं जिनको बार बार टाला जाता है। मैं चेयरमैन था म्युनिसिपल कमेटी अजमेर का, उस वक्त वहां पर प्राइमरी एज्यूकेशन म्युनिसिपल कमेटी के साथ थी उस समय जो मैंचिंग ग्रान्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलती थी उसमें कुछ इख्तलाफ हुआ, हालात बदले और अजमेर म्युनिसिपैलिटी ने प्राइमरी स्कूल्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दे दीं, लेकिन उसके साथ एक शर्त थी और वह शर्त यह थी कि सारा का सारा स्टाफ गवर्नमेन्ट ले लेगी और उनकी तरक्की और सर्विस कंडीशन्स में फेर बदल नहीं किया जायगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसमें फेर बदल ही नहीं किया, बल्कि उनको यहां से वहां कई जगह भगा दिया गया है। कम से कम चपरासी और जो बूढ़े रिटायर होते हैं उनकी पेंशन और सुरक्षा का भी कोई ख्याल नहीं किया जाता है और वे गरीब लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं भी इस मामले में मिल चुका हूं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजमेर म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत जो इतनी प्राइमरी स्कूल्स थे उनकी सर्विस कंडीशन्स का मजाक किया जा रहा है वह सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचूंगा कि कम से कम चपरासी और औरतें जो रिटायर हो चुकी हैं उनकी जो सर्विस कंडीशन्स थीं उनके माफिक उनके साथ न्याय किया जाना चाहिये।

शिक्षा के सिलसिले में हम प्लानिंग के साथ चलते हैं। जब हम प्लानिंग के साथ चलते हैं तो प्लानिंग भी इस तरह से करना चाहिये कि शिक्षा हम कहां तक देना चाहते हैं और शिक्षा के लिये क्या जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं, जिम्मेदारियों की तरफ सरकार का दिमाग साफ नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स यदि आपने खोले हैं और शिक्षा की भूख बढ़ाई है तो आपने जिनको भूख लगाई है उनको भूखों नहीं मारना चाहिये। कई मर्तबा शिक्षा के साथ कटु अनुभव होता है। आप बचत की योजना चलाते हैं तो उन पर नहीं चलाते जो निकम्मे हैं। जिन होस्टल्स में कोई रहने वाले नहीं हैं वे होस्टल्स समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये जा रहे हैं, उनके लिये रुपये दिये जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में जहां पर स्टेन्डर्ड बढ़ता है वहां पर प्राइमरी स्कूल्स खोल कर ही छोड़ दिये हैं। सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि उन बच्चों का क्या होगा जो प्राइमरी पास करलें? प्राइमरी पास करने के बाद शिक्षा के अभाव में वह घर बैठ जाता है तो क्या आपका प्लानिंग इस ओर इशारा करता है? जो लड़के प्राइमरी पास करके निकलेंगे उनके लिये आगे पढ़ने का क्या इन्तजाम है? सरकार ८वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है या हायर सेकन्डरी तक? जनतंत्र में शिक्षा मिलनी चाहिये यह सरकार

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की जिम्मेदारी है। यदि सरकार प्लानिंग करती है तो मैं यह मानता हूं कि शिक्षा का विस्तार जोरों से हुआ है, लेकिन क्वालिटी गिरती जा रही है। जो टीचर्स मिलते हैं वे स्टेन्डर्ड के नहीं मिलते। ट्रेनिंग सेन्टर्स बरबादियों की ओर जा रहे हैं। दूसरी चीजों की ओर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन बड़ी बड़ी स्कूल्स की हालत क्या है, वहां के टीचर्स की हालत क्या है, उनका मोरल कैसा है; किस प्रकार आज उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं? मुझे खुशी है कि शिक्षा मंत्रीजी इस ओर कदम उठाकर लोगों को सस्पेन्ड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी संरक्षण में स्कूल्स चल रहे हैं क्या उन पर स्पेशल लॉ नहीं चलाया जा सकता? जहां पर बच्चों का मोरल बिगड़ता जा रहा है वहां पर सख्त कदम उठाना चाहिये। जयपुर जैसे शहर में इस प्रकार की चीजें हों तो सख्त कदम उठाना चाहिये। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मुझे खुशी है कि शिक्षा मंत्रीजी दिलचस्पी लेकर जिनको सजा मिलनी चाहिये उनको सजा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स को जो एड मिलती है उसको देने न देने के लिये रचनात्मक दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि इनके लिये आपको स्पेशल लॉ लाना पड़े तो भी आपको जरूर लाना चाहिये। जो आदर्श उपस्थित करते हैं उनको रखना है न कि तबला बजाने वाले तबलचियों को और दूसरे लोगों को रखा जाय। बच्चों की बरबादी और उनका मोरल बचाया जाय इस ओर प्रयत्न होना चाहिये।

इस मामले में कई दफा देखते हैं कि कोई दुकान खोलता है तो उस पर १०) रु० लाइसेन्स के लेते हैं, मोटर पर टैक्स। लेकिन ऐसे ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स खुल रहे हैं जहां आवारा बच्चों का जमाव होता है, बच्चों का मोरल खराब किया जाता है, इस तरह के इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं जहां पर मोरल खराब होने के सिवाय कुछ नहीं है। जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिये इन्स्टीट्यूशन्स चल जाता है उनको लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं। बच्चे अवारागर्दी करते हैं, उनका स्टेन्डर्ड नीचा होता जा रहा है, उस पर कोई सुपरविजन नहीं है। आप कोई कानून नहीं बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई लाइसेन्स ड्राइविंग का चाहिए तो उसे उस लाइसेन्स के लिए फीस देनी पड़ती है, लेकिन इस तरह की इन्स्टीट्यूशन सारे राजस्थान में फैल रही हैं और वे किसी तरह का भी काम क्यों न करती रहें, लेकिन उनके ऊपर हमारे शिक्षा मंत्रालय का या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आज जिस प्रकार की स्थिति है उसको क्या आपकी आंखों में अंगुली डाल कर दिखाना होगा। इस तरह की इन्स्टीट्यूशन हमारे राज्य में बहुत सी हैं जिनके अन्दर जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह अनुशासनहीनता का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि इस सिलसिले में ऑल इंडिया लेवल पर बात हुई है और हमारे राज्य में राज्य सरकार से भी बातें हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि इन इन्स्टीट्यूशन्स के कंट्रोल के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं जिससे इनके ऊपर कंट्रोल रह सके, इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स के ऊपर लगाम रह सके। मैं आपको कहता हूं कि इन इन्स्टीट्यूशन्स में जो शिक्षा का स्टेन्डर्ड है, उसको आप देखें। इसके अलावा इस तरह की इन्स्टीट्यूशन्स लड़कों को पंजाब से इम्तिहान दिलाती हैं, और जगह से इम्तिहान

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दिलाती हैं, इस प्रकार की कई गैर कानूनी बातें करती हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके खुद के पर्चे, आपके बोर्ड के इम्तिहान के पर्चे आउट होने में भी इन लोगों पर शुबाह होता है, और केवल शुबाह ही नहीं होता है, बल्कि लोगों को पकड़ा जाता है। ऐसी हालत में सरकार इन पर कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं सोचती है ? हमारे बच्चों को गलत शिक्षा देकर उनको सही रास्ते से हटाने के और बच्चों के भोले भाले पैरेन्ट्स को बेवकूफ बनाने के यह ठिकाने बने हुए हैं, अड्डे खोल रखे हैं इनको आपको रोकना चाहिए, इनको आपको बंद करना चाहिए या फिर इनके ऊपर आपको नियंत्रण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बनारसिंह बर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ जो सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड की है, मैं मैंने एक कट मोशन पेश किया है, जिसके द्वारा मैं शिक्षा मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज अध्यापकों में पे-फिक्सेशन के बारे में असंतोष व्याप्त है। इस कारण हमारे शिक्षणालयों में शिक्षा के स्तर पर भी बहुत असर पड़ता है। हालांकि पिछले साल हमारे शिक्षा मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि पे-फिक्सेशन के मामलों को निपटाने के लिए वह बहुत जल्दी कार्यवाही करा रहे हैं, उसी के फलस्वरूप सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड इस सदन में रखी है। इससे मालूम होता है कि सरकार ने इस दिशा में सक्रिय कदम उठाया है—इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन है कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो पंचायत समितियों के स्कूलों में थे। उनमें से काफी ने बी० ए० पास कर लिया है लेकिन अब भी वह मैट्रिक ट्रेन्ड ग्रेड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से अध्यापक बी० ए०, एम० ए० पास करके दूसरी जगह चले गये हैं, लेकिन उनकी पे-फिक्सेशन न होने के कारण और दूसरी ऊंची ग्रेड न मिलने के कारण वह अब भी मैट्रिक ट्रेण्ड ग्रेड में ही काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें प्रमोशन तो मिल गया है, लेकिन माध्यमिक पाठशालाओं में काम करते हुए भी उसी ग्रेड में तनख्वाह लेते हैं। तो इस तरह बहुत अर्से तक पे-फिक्सेशन न होने से आज अध्यापकों में असंतोष व्याप्त है। इस कारण उनका मन लड़कों को पढ़ाने में नहीं लगता है और वह सारा समय बार बार रिप्रेजेन्टेशन देने में लगाते हैं या फिर दफ्तरों में फिरते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि शिक्षा विभाग इस तरह के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए एक कमेटी बनाये। जो भी ऐसे केसेज हैं, या जो भी ऐसे मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने की आवश्यकता है। अगर इसमें ज्यादा डिले हुई तो जितने पुराने मामले होते जाते हैं उनको निपटाने में बहुत डिले होगी। इस बारे में अध्यापकों के जो संघ हैं वे भी बार बार मांग करते रहे हैं और उनके द्वारा भूख-हड़ताल भी होती हैं, बारबार उनके रिप्रेजेन्टेशन भी आते रहते हैं। यह बात सही है कि जो ऐसे मामले हैं जो सरकार के पास बहुत अर्से तक

Page No. 24

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पड़े रहते हैं उनमें बाद में जाकर फिक्सेशन करना ही पड़ता है और उसके बाद में रकम भी देनी पड़ती है। लेकिन जब ज्यादा डिले होने के बाद में फिक्सेशन होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें गलतियां होती हैं। जब पे-फिक्सेशन गलत हो जाते हैं तो उसके बाद में अध्यापक गवर्नमेन्ट के सामने रिप्रेजेन्टेशन करके उस फिक्सेशन के केस को डिसाइड कराने के लिए बहुत अर्से तक लड़ते रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई ऐसी कमेटी की स्थापना की जाय, ताकि सारे केस को अच्छी तरह से स्टेडी करके जो ठीक फैसला हो वह फैसला कराया जा सके। इससे अध्यापकों को भी बाद में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अभी तक इस तरह के मामलों में बराबर आगे से आगे प्रोब्लम बढ़ती जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह जानकारी है और बहुत से ऐसे जो केसेज हैं वे हमारी जानकारी में आते रहते हैं कि पे-फिक्सेशन बहुत दफा जान-बूझ कर गलत किये जाते हैं। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं–यह तो मुझे पता नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि जो अध्यापकों के ऐसे मामले हैं, जो पुराने मामले हैं–जिनको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा डिले की जा रही है-इस स्थिति में भी उन मामलों को अच्छी तरह से स्टेडी करके उनको फाइनल करना चाहिए, ताकि बाद में अध्यापकों द्वारा रिप्रेजेन्टेशन करने के बाद, बहुत समय तक उनके द्वारा लड़ाई करने के बाद उन पे-फिक्सेशन के मामलों को बार बार रिवाइज न करना पड़े। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो मामले हैं पे-फिक्सेशन के, इनके कारण अध्यापकों में काफी असंतोष है और इसी के कारण पढ़ाई का स्तर भी गिरता जा रहा है, क्योंकि अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में मन नहीं लगाते हैं और अपने केस के लिए लड़ते रहते हैं। वह यहां तक कहते हैं कि जब हमारी ही सुनवाई नहीं होती है तो हम क्यों इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ायें। ऐसी स्थिति के अन्दर शिक्षा विभाग को अध्यापकों के पे-फिक्सेशन के मामलों का और एरिअर्स के मामलों को जल्दी निपटारा करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि उनका मन लड़कों को अच्छी तरह पढ़ाने में लग सके और वह अच्छी तरह शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में अपना योगदान कर सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री दुर्गालाल बाददार।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान!

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस देश में शिक्षा का स्तर नीचा होता है वह देश दुनिया के दूसरे उन्नत देशों का मुकाबला नहीं कर सकता और हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है। हमारी सरकार यह सोचती होगी कि उसने शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्वान्टिटी बढ़ाई है, शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से जगह जगह पर स्कूल खोले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की दृष्टि से क्वान्टिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ अधिक ध्यान दिया जाय। इसमें एक बात और है कि यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाय तो उनका स्तर बढ़ाने के लिए पहले आपको इन अध्या

(श्री जोधसिंह चौहान)

पकों का स्तर बढ़ाना होगा। इसमें जरूरत इस बात की है कि अच्छे अच्छे अध्यापक लाये जायं। अच्छे अध्यापकों की आज स्कूलों में आवश्यकता है, लेकिन वह नहीं मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों का स्तर बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जो पंचायत समितियों में स्कूल चल रहे हैं इनको सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि आज पंचायत समिति के सरपंच की जैसी इच्छा होती है, या रूलिंग पार्टी और कांग्रेस सरकार की जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार ही इन स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी पार्टी का विशेष जोर नहीं रहना चाहिए, विशेष अंकुश नहीं रहना चाहिए। इसलिए सरकार को यह करना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अधिकार में वह स्कूल रहें, ताकि वहां के विद्यार्थियों को सारे विषयों के बारे में, दुनिया के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके और विद्यार्थी अपने अलग विचार रख कर आगे बढ़ सकें—इससे उनका भी विकास हो सकता है। इसलिए मैं सिफारिश करूंगा और सुझाव दूंगा कि अध्यापकों का स्टेन्डर्ड अच्छा हो और इसके साथ ही जो पंचायत समिति के स्कूलों में अध्यापक हैं उनके लिए मैट्रिक से आगे का ग्रेड नहीं है, उनकी भी ग्रेड बढ़ानी चाहिए और जो अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने बी. ए., एम. ए. पास कर लिया है उनका स्थानान्तरण शिक्षा विभाग में किया जाय जिससे उनको शिक्षा का लाभ मिल सके और अधिक वेतन मिल सके। मैं समझता हूं कि एक अध्यापक को यदि पेट भर भोजन मिलेगा तो वह विद्यार्थियों को ठीक तरह से पढ़ा सकेगा।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग के अन्दर फैले हुए भ्रष्टाचार को भी रोका जाय। मैं आपको भ्रष्टाचार का एक उदाहरण पेश करूंगा। उदयपुर में जो पोलीटेकनिक स्कूल है, जिसके सम्बन्ध में एजूकेशन मिनिस्टर को तार भी दिया था। उस स्कूल के विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा असंतोष है वहां के प्रिन्सिपल गांगुली के कारण, और उन्होंने अभी अठारह दिन का सत्याग्रह भी किया था और वह कालेज में नहीं गये थे। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वहां के जो प्रिन्सिपल हैं वह अध्यापकों को क्लर्क की तरह समझते हैं और उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। यही नहीं, वह यह भी कहते हैं, उनका इस प्रकार का दावा है वहां के प्रिन्सिपल का कि मेरे यहां डिसीप्लेन सबसे बढ़िया है, मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में विद्यार्थियों को कुछ कहना नहीं है। वह क्लब में जाकर खूब ऐश-ओ-आराम करते हैं, वहां पर जाकर खूब दारू पीते हैं। लेकिन वह कहते हैं, यह मेरी प्राइवेट लाइफ है। मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रिन्सिपल अपनी प्राइवेट लाइफ में इस प्रकार की बातें करता है वह कालेज में डिसीप्लिन ठीक प्रकार से कैसे रख सकता है? वह क्लब में जाता है और दारू पीता है, लेकिन विद्यार्थी को कहता है कि शराब मत पीओ, सिगरेट मत पीओ—यह दुर्गुण हैं। मैं समझता हूं, जैसा वह करेगा वैसा ही बच्चे भी करेंगे। वह प्रिन्सिपल सिविल इन्जीनियरिंग पास है लेकिन पोली टेक्निक में

(श्री जोरसिंह चौहान)

है। सरकार सोचती है कि उनका डिसीप्लिन अच्छा है। लेकिन मैं सरकार को बताऊंगा कि उस स्कूल के विद्यार्थी तंग हैं। मैं एक नहीं हजारों उदाहरण आपके सामने पेश कर सकता हूं। वहां के विद्यार्थी एजूकेशन मिनिस्टर साहब के पास डेपूटेशन लेकर आये लेकिन उनको आपने सुना नहीं और इस कारण अठारह दिन तक भूख-हड़ताल रखी है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा कोष के लिए उनसे चार-चार रुपये लिये गये। विद्यार्थियों ने खुशी से चार-चार रुपये दिये, मगर कुछ गरीब विद्यार्थियों के घरों से मनीआर्डर नहीं आये थे इसलिये उन्होंने कहा कि हम ये रुपये बाद में दे देंगे। मगर उन पर दो-दो रुपये फाइन लगा दिये गये। अध्यक्ष महोदय, उनसे हर बात पर फाइन ले लिया जाता है। मैं यह कहूंगा कि जब फीस देने के लिये एप्लीकेशन दे देते हैं कि अभी मनीआर्डर नहीं आया है इसलिये मुझे कुछ समय दिया जाय तो प्रिन्सिपल उसको माफ कर देता है मगर फिर भी उस पर फाइन लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि फाइन जमा कराओ। इतना ही नहीं, जब वे लोग फाइन जमा करते हैं तो उस फाइन की रकम का रसीद नहीं दी जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी अपने पिता को पैसों के लिए पत्र देते हैं तो उनको रसीद भी उनको मिलना चाहिये ताकि वे उस रसीद को अपने पिता के पास भेज सकें। उनके पिता अन्यथा यह समझते हैं कि ये लोग पैसा ऐशो-आराम के लिए मांगते हैं। अगर उनको रसीद दी जावे तो वे इस बात को साबित कर सकते हैं कि अमुक तरह का फाइन उन पर लगा है जिसकी यह रसीद है। इसलिये मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको रसीद दी जावे और यह कह कर नहीं टाला जाये कि छोटे छोटे अमाउन्ट की क्या रसीद दी जाए।

वहां के विद्यार्थियों ने १८ दिन की भूख हड़ताल सरकार के आश्वासन पर तोड़ी। मुख्य मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी मांगों को सुनेंगे। मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहां पर शराबी अधिकारी ने बाड़ जला दिया और उसके सारे के सारे काण्ड को सरकार दबाये बैठी है। सरकार ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया था कि हम उनकी मांगों के लिये एक कमेटी बिठायेंगे। मगर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। इस बात का विद्यार्थियों को बहुत दुःख है। उनका परीक्षा-काल सामने आया है और सरकार उनको दबाना चाहती है और उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं करना चाहती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब विद्यार्थियों को दबाया जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है इसके लिए सरकार पूरा ध्यान दे।

चूंकि हमारी शिक्षा सरकार ठीक तरह से लोगों को नहीं दे सकती है इस कारण हमारे यहां ईसाई मिशनरी विशेष रूप से काम कर रही है और अराष्ट्रीय तत्वों को पैदा कर रही है। हमारी सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है और हमारे यहां पर जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, आज उनके सब के सब बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार भी उस प्रकार की कोई स्कूल खोले

(श्री जोधसिंह चौहान)
और उदाहरण पेश करें कि हमारे यहां पर भी मिशनरी स्कूल से बढ़िया स्कूल है। सरकार को इस बात की क्या पड़ी है? इसलिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि वे क्वान्टिटी की तरफ ध्यान नहीं दे, बल्कि क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दे। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में, गिरवा में कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर बैठने की सुविधा नहीं। गिरवा में स्कूल है, उसकी पट्टियां टूटी हुई हैं और ताज्जुब नहीं कि कब उसकी सारी की सारी पट्टियां गिर जायें। उसकी सारी की सारी पट्टियां टूटी हुई हैं। मैंने इस बारे में शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन किया। इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसका वे प्रबन्ध करें। इसके अलावा नाई गांव में वहां के निवासियों ने पैसा इकट्ठा किया है। नाई एक बहुत बड़ा गांव है उसमें स्कूल खोलें। शाहपुरा में गया था। सरकार ने वहां पर आश्वासन दिया था कि हम कॉलेज बना देंगे। कॉलेज तो खोल दिया गया, मगर अभी तक वहां पर बिल्डिंग नहीं बनी है। किराये की बिल्डिंग में कॉलेज चल रही है, मगर वह बिल्डिंग उसके लिये काफी नहीं है। वहां की जनता ने ६० हजार रुपया इकट्ठा किया है। जब चुनाव आते हैं तो वहां पर नींव डाली जाती है और बाद में चुप हो जाते हैं और फिर जब चुनावों का मौका आता है तो दो-तीन पत्थर उस पर उठा दिये जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे और अध्यापकों की ओर ध्यान दिया जावे। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो समय पर राष्ट्र ऊंचा उठ सकेगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हमारी शिक्षा के साथ साथ खेल भी उसमें लगे हुए हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स कौंसिल है उसमें मनमाने लोगों को रखा जाता है। उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स हैं, उनको वहां पर रखने का क्या आधार है, यह समझ में नहीं आता। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय खेल हैं उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं आपको क्रिकेट की हालत बताना चाहता हूं। जब क्रिकेट के खिलाड़ी कहीं पर खेलने के लिये जाते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास का फेयर दिया जाता है और जब वॉलीबाल के खिलाड़ी खेलने के लिये जाते हैं तो उनको तीसरे क्लास का फेयर मिलता है। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार का भेदभाव स्पोर्ट्स में नहीं रहना चाहिये। और आप भेदभाव नहीं रखेंगे तभी स्पोर्ट्स का स्तर ऊंचा होगा। दुनिया में सभी जगह का उदाहरण है; अमेरिका, रूस, जर्मनी। आप देखें कि वहां के लोगों का स्पोर्ट का स्तर ऊंचा हुआ है, तो किस प्रकार हुआ है उसको देखा जाए। हमारी सरकार ने कुछ रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा है कि हमने दो–चार जगह स्पोर्ट्स में भाग लिया है। क्रिकेट में, राजस्थान सरकार में कुछ लोगों की मोनोपोली है। आज हाई स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेने के लिये नहीं आते। उनको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है, उनका नम्बर नहीं आता। इसके लिये यदि किसी को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है तो सेठों के लड़कों को या आपको मिलेंगे मिनिस्टरों के लड़के या ऐसे लोगों के लड़के जिनके पास काफी पैसा है; जिनकी स्थिति अच्छी हो।

हमारे उदयपुर में राजस्थान महिला मंडल में आदिवासी लड़कियां हैं उन्होंने रेकॉर्ड तोड़ा है। यदि आपको इसके लिये किसी को

Page No. 28

(श्री जोधसिंह चौहान)

लेना है तो आप जोबनेर जावें। आपको आदिवासियों को लेना चाहिये, उनको चुन कर लाना चाहिये। बड़े आदमियों के बच्चे स्पोर्टस में तरक्की नहीं कर सकते। उनकी करेज क्या है, उनका स्टेमिना क्या है, उनका स्टेमिना नहीं के बराबर है। मगर आप उनको लेते हैं क्योंकि वे मिनिस्टरों के लड़के हैं, एम. एल. ए. के लड़के हैं। उनको आप ट्रेनिंग में भेजते हैं और वे लोग जो गरीब हैं उनको आप नहीं भेजते। जो लोग गरीब हैं और झोपड़ियों में रहते हैं और बड़ी करेज रखते हैं उनको आप ट्रेनिंग के लिये भेजिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्रिकेट में आपके यहां का सिर ऊपर होगा। शहरों में आपको ऐसे स्टेमिना के लोग नहीं मिलेंगे जैसे गांवों के। शहरों में तो आपको सिनेमा के गीत गानेवाले और सिगरेट पीने वाले मिलेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपको गांव के लोगों के मजबूत लड़कों को इसके लिये पकड़ कर लाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही कहूंगा कि अगर उनको ट्रेनिंग कैम्प खोल कर ट्रेनिंग दी जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): अध्यक्ष महोदय, यह जो आज शिक्षा पर सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड आई है इस शिक्षा में राजस्थान सरकार रुपया खर्च करती है, पर शिक्षा में एक एवट आना चाहिये और उसमें सभी तरह के प्रावधान होने चाहियें, क्योंकि शिक्षा के अन्दर अभी भी बहुत कमी है। आपने पंचायत समिति में प्राइमरी स्कूलें दीं। मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों का स्तर बहुत नीचा रहा है, क्योंकि आपने प्राइमरी स्कूलें उन लोगों को दी हैं जिनको हमेशा दिन और रात राजनीति में काम करने में समय रहता है। उनके पिता, भाई और रिश्तेदार सारे के सारे जिला परिषद् में राजनीति में भाग लेते हैं और उनके मास्टर भी राजनीति में भाग लेते रहते हैं।

(१.०० म. प.)

तो मेरा ऐसा मानना है कि जब सरकार शिक्षा को ऊंचा उठाना चाहती है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाना चाहती है, पर वास्तव में देखा जाय तो राजस्थान सरकार शिक्षा के स्तर को बहुत ही नीचे स्तर पर ले जाने के अन्दर लगी हुई है। दुनिया के दूसरे कोनों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां प्राइमरी स्कूल्स के लड़कों पर वहां की सरकारें ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, प्राइमरी स्कूलों के लड़कों के खाने, पीने और पहिनने आदि पर वहां की सरकारें ज्यादा पैसा खर्च करती हैं और प्राइमरी स्कूलों के बाद जैसे जैसे बड़ी स्कूलें आती हैं; मिडल स्कूलें, हाई स्कूलें हैं, उनमें जो लड़के पढ़ते हैं, उन लड़कों पर दुनिया की दूसरे देशों की सरकारें प्राइमरी स्कूलों के लड़कों से कम पैसा खर्च करती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): रूस में क्या तरीका है?

श्री मुक्तिलाल मोदी: रूस में यह तरीका है, दो-ढाई साल के बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती करा देते हैं और फिर उन प्राइमरी स्कूलों में उन लड़कों का लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा बड़े ऊंचे स्तर से होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मां बाप को छोड़ देते हैं ?

श्री मुश्तिलाल मोदी : मां-बाप से उन लड़कों को अलग रख कर उन प्राइमरी स्कूलों में सरकार द्वारा ही लालन-पालन होता है, सरकार द्वारा ही सारी शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है। जब उन बच्चों को कुछ ज्ञान हो जाता है तो फिर घर पर ले आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों की नींव ही खराब हो गई है, राजस्थान सरकार प्राइमरी स्कूलों की नींव ही खराब कर रही है तो आगे चल कर उनका शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है ? गांवों में जो पंचायत समितियों के नीचे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका स्तर बिल्कुल गिर गया है। कहने को कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूलें पंचायत समितियों के नीचे चली जाने के बाद गांवों में प्राइमरी स्कूलें ज्यादा बढ़ी हैं, पर माननीय अध्यक्षजी, मेरी यह मान्यता है कि पंचायत समितियों में प्राइमरी स्कूलों के चले जाने के बाद शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचा हो गया है। हर आदमी वहां के स्कूलों के मास्टरों पर अपने बच्चे के लिये दबाव डालता है, अपने बच्चों के लिये सिफारिश करता है और इस तरह से उन लड़कों को ऊंचे क्लास में चढ़ा दिया जाता है। फिर आगे चल कर वह कॉलेज में आता है, तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट खराब रहा। जब नींव ही खराब है, प्राइमरी स्कूलों का शिक्षा का स्तर जब बिल्कुल नीचे गिर गया है तो वह लड़का आगे जाकर अच्छी तरह से कैसे पास होगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इनके लड़के तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं ?

श्री मुश्तिलाल मोदी : आपके लड़के तो इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ते, मैं आपके लड़कों के लिये ही कह रहा हूं, मेरे तो कोई लड़का है नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि आपके लड़का नहीं है इसलिये लड़कों पर बोलने का आपको अधिकार नहीं।

एक माननीय सदस्य : आचार्यजी को गोद ले लो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ढाई वर्ष का बच्चा दिला दूंगा, लालन-पालन करें तो।

श्री मुश्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्षजी, यह तो प्राइमरी स्कूलों की बात रही। दूसरे, राजस्थान में कई ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स खोल रखे हैं, दूसरी प्राइवेट स्कूलें चलती हैं, उनमें ८० परसेंट, ६० परसेंट तक की एड ले लेते हैं, क्योंकि उनको कोई चन्दा नहीं देता है। मैं तो इन ग्रान्ट इन एड्स के खिलाफ हूं। जब सरकार इनको ८० या ६० परसेंट तक ऐड देती है तो क्यों नहीं सरकार ही उन्हें चला लेती ? जो इस प्रकार के प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, कॉलेज, हाई स्कूल चलते हैं उनमें न तो लेक्चरार्स की, मास्टरों की सीनियोरिटी का ख्याल रखा जाता है, न उनके लिये पेंशन आदि का ही कोई प्रबन्ध किया जाता है और न गवर्नमेन्ट सर्विस के लोगों के लिये जो नियम हैं, उस प्रकार के नियम ही हैं। तो मैं कहता हूं कि सरकार जब इतनी एड देती है, झूठे हिसाब दे कर वे लोग सरकार से एड ले लेते हैं, तो क्यों नहीं सरकार ही उन इन्स्टीट्यूशन्स को अपने हाथ में लेकर चलाती? सरकार को उन्हें यह भी कहना चाहिये कि जिस तरह गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कर्मचारियों के लिये जिस प्रकार के कानून हैं, नियम हैं, जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये कानून बने हुए हैं, वे सब कानून और नियम आदि इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में काम करने वाले लोगों के लिये भी-लागू होने चाहिये। और जो इन्स्टीट्यूशन्स अपने इन्स्टीट्यूट में इस प्रकार की व्यवस्था करता है उसी इन्स्टीट्यूशन को ग्रान्ट इन एड देनी चाहिये और जो इन्स्टीट्यूशन्स ऐसा नहीं करते, उनको इस प्रकार की ग्रान्ट इन एड नहीं देनी चाहिये। आज हालत यह है कि उन इन्स्टीट्यूशन्स की मैनेजिंग कमेटी, वहां का प्रेसिडेन्ट, वहां का सेक्रेटरी जिस तरह चाहता है वैसा ही उन स्कूलों में होता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो शिक्षा मंत्रीजी, या उपशिक्षा मंत्रीजी बता दें कि ऐसा नहीं है।

एक माननीय सदस्य: झूठ तो नहीं बोलते पर आधार कम है।

श्री मुक्तिलाल मोदी: हमारे जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने शिक्षा के नाम पर स्कूलें खोल कर उनके महन्त बने हुए हैं, उन लोगों ने एक अड्डा बना रखा है, ऐसे अड्डे हम जैसे लोगों के खत्म हो जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, पर सरकार को जोर लगा कर ऐसे अड्डों को खत्म करना चाहिये। आज जो झूठे सच्चे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, जिनको सरकार एड देती है उन स्कूलों के कर्मचारियों के साथ दूसरा व्यवहार और सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार, इस तरह के भेद के व्यवहार को सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिये।

एक सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का है, हजारों राजस्थान के लड़के उस बोर्ड के झूठे सर्टिफिकेट्स लाये, मिडल के सर्टिफिकेट लाकर मैट्रिक में बैठ गये और मैट्रिक के सर्टिफिकेट लाकर गवर्नमेन्ट सर्विस में आ गये, पर राजस्थान सरकार ने उस बोर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, उस बोर्ड के झूठे सर्टिफिकेट्स लेकर सैकड़ों आदमी गवर्नमेन्ट सर्विस में घुस आये। इसी तरह यू० पी० का बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री): राजस्थान में जो बोर्ड है?

श्री मुक्तिलाल मोदी: राजस्थान के बोर्ड को राजस्थान बोर्ड ही तो कहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: बोर्ड बोर्ड सब एक हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी: तो माननीय अध्यक्षजी, इन बोर्डों के झूठे सर्टिफिकेट्स के आधार पर कॉलेजों में लड़कों को एडमिशन दे देते हैं और उन लड़कों के माता-पिता अपने लड़कों पर दो-तीन हजार रुपया खर्च भी कर देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी कह देती है कि हम इस बोर्ड को रिकाग्नाइज नहीं करते। तो इस प्रकार उन लड़कों की जिन्दगी खराब होती है, उनके मां-बापों को व्यर्थ खर्चा उठाना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्षजी, अभी तो मैं थोड़ा ही बोला हूं मुझे कुछ और बातें कहनी हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एक बताया जाय कि अमुक अमुक बोर्डों के सर्टिफिकेट्स नहीं माने जायेंगे, उन लड़कों को भर्ती नहीं किया जायगा।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

शिक्षा की बिल्डिगों को कोई आदमी डोनेट करते हैं, कोई आदमी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग डोनेट करता है, तो इस प्रकार की बिल्डिंग्ज की कोई लिस्ट सरकार के पास नहीं है। कौनसी बिल्डिंग टूटी है, कौनसी बिल्डिंग फूटी है, किस बिल्डिंग की हालत कैसी है, किस बिल्डिंग को मरम्मत की आवश्यकता है, इस प्रकार का कोई नक्शा सरकार के पास नहीं है। कभी कोई दूसरी बिल्डिंग सरकार को मिल जाती है तो उस पुरानी बिल्डिंग को दूसरे ही लोग अपने काम में लेते हैं, सरकार की तरफ से कोई लिस्ट नहीं, कोई देखरेख करने वाला नहीं।

सरकार की टैक्स्ट बुक्स की आज भी यह हालत है कि कई क्लासों की टैक्स्ट बुक्स अभी तक नहीं छपी हैं, लड़कों को नहीं दी गई हैं, और इस कारण लड़के बड़े परेशान हैं। मैं कहता हूं शिक्षा के लिये आप और भी रुपया बजट में ले लीजिये, कोई बात नहीं पर उस रुपये का सदुपयोग तो होना चाहिये, उसके दुरुपयोग को रोकना चाहिये। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि एक कानून शिक्षा का बनाना चाहिये।

संस्कृत की शिक्षा पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, पर समुचित प्रबन्ध नहीं है। एक गांव में ही संस्कृत पाठशाला भी है, मिडिल स्कूल भी हैं और तीसरा स्कूल भी है। जहां हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं हैं वहां न खोल कर आप दूसरी जगह जाकर खोलते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : आप तो संस्कृत में गीता पढ़ते हो, फिर आप क्यों इसकी खिलाफत करते हो?

श्री मुक्तिलाल मोदी : संस्कृत में आप कम फीस लें, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में ज्यादा फीस लें और एक गांव में दो जो चीजें हों, यह ठीक नहीं। एक स्कूल में कम फीस और दूसरे में ज्यादा। कोई ड्राइंग का टीचर है, कोई कॉमर्स का, लेकिन संस्कृत का, तो कोई टीचर ही नहीं है। जहां हाई स्कूल और मिडिल स्कूल नहीं हैं वहां जाकर संस्कृत पाठशालाएं खोलें। तो फिर निवेदन करूंगा कि एक गांव के अन्दर दो दो तरह की चीजें हों, यह ठीक नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि हमारे सामने शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है और राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने कई बार अपने विचार रखे हैं कि हमें शिक्षा प्रणाली के बारे में तब्दीली लानी है। जहां तक मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री महोदय और अन्य नेता भी जोर देते हैं कि रीओरीएन्टेशन होना बहुत आवश्यक है। आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह एक डिग्री गेटिंग कोर्स या इंस्टीट्यूशन्स के हिसाब से चल रही है। प्रेक्टीकल वे ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वह हमारे यहां पर नहीं है। सिर्फ इस बात का दृष्टिकोण रहता है कि हमारे स्कूलों के अन्दर और विश्वविद्यालयों में कितनी शिक्षा प्राप्त करके पास हुए हैं। उसके बाद में कितनों को रोजगार मिलता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि प्रेक्टिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से शिक्षा हो, जैसे टैक्निकल शिक्षा पर यदि ज्यादा जोर दिया जाय तो बेरोजगारी हल हो सकती है। इसलिए इसका रीओरियेन्टेशन होना चाहिये।

सब से जरूरी बात यह है कि पंचायत समितियों को जो प्रारम्भिक शिक्षा दे रखी है

(श्री दिग्विजयसिंह)

यह घातक है, वैसे आप इसको मामूली समस्या समझते हैं। लेकिन प्राइमरी शिक्षा एक बुनियादी शिक्षा है और इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आज के विद्यार्थी की प्राइमरी शिक्षा कमजोर होगी, हमारे बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। इसलिए पंचायत समितियों को जो स्कूल्स ट्रांसफर किए हैं वे वापिस एजुकेशन विभाग को दिए जाय तो अच्छा होगा। इससे शिक्षा को ज्यादा फायदा हो सकेगा।

दूसरा ग्रांट के सम्बन्ध में है कई संस्थाओं को ग्रांट इस आधार पर दी जाती है कि एक अमुक आदमी उसको चलाता है और अमुक संस्था चलाती है। यदि ग्रांट का आप एक क्राइटेरिया बना दें कि जिस संस्था के अन्दर ३५ प्रतिशत या ४० प्रतिशत या ५० प्रतिशत परिणाम होगा उसी को ग्रांट दी जायगी, अन्यथा किसी और संस्था को नहीं दी जायगी, तो ऐसा करने से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा और आपको भी सुविधा मिलेगी कि ग्रांट किसको दिया जाय या नहीं।

मुझे बोर्डर के सम्बन्ध में जानकारी मिली है कि वहां स्कूल्स बहुत कम हैं जब कि दूसरे इलाकों में स्कूल्स काफी हैं। इसलिए बोर्डर पर काफी स्कूलों का होना जरूरी है, ताकि वहां के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

मेयो कॉलेज को पहले राजस्थान की सभी स्टेट्स से ग्रांट मिलता थी, लेकिन राजस्थान होने के बाद यह ग्रांट बन्द कर दी गई। मेरी समझ में नहीं आता कि जब और संस्थाओं को ग्रांट देते हैं और उस संस्था को, जिसको सब स्टेट्स की तरफ से ग्रांट मिलती थी उसको राजस्थान बनने के बाद क्यों बन्द कर दिया गया? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ग्रांट को वापस चालू करें। अभी हाल ही में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित वहां पधारी थीं। उन्होंने खुद ने एप्रीशियेट किया कि ऐसी संस्थाएं अगर हिन्दुस्तान में ५-७ और हों तो हमारे देश में शिक्षा को और अधिक लाभ मिलेगा और शिक्षा में प्रगति आएगी। इसलिए मेयो कॉलेज को ग्रांट फिर से देने के बारे में आप विचार करें।

हायर सैकंडरी स्कूल्स के बारे में राज्य सरकार निर्णय लेती है और वे हर साल खोले जाते हैं। जब जूनियर स्कूल्स को हायर सैकंडरी स्कूल्स में परिवर्तित किया जाता है तो यह ध्यान नहीं रखा जाता कि पहले ही उसी जगह पर हायर सैकंडरी स्कूल्स मौजूद हैं या नहीं। टोंक जिले में मालपुरा क्षेत्र में काफी हायर सैकंडरी स्कूल्स हैं उसके बाद में और भी खोले गए, फिर तीन चार साल बाद तोड़ दिए गए और जूनियर हायर सैकंडरी स्कूल्स बना दिए गए तो यह शिक्षा के साथ खिलवाड़ है इसको पोलिटिकली नहीं लिया जाय।

उनियारा कांस्टीट्यूएन्सी में एक भी हायर सैकंडरी स्कूल नहीं है। उसके लिए मैंने कई बार निवेदन किया कि वहां पर कोई हायर सैकंडरी स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनियारा हाई स्कूल की बिल्डिंग जो ६ साल से इनकम्पलीट पड़ी हुई है वहां की जनता ने डोनेशन्स देकर ४ कमरे तैयार किए, सरकार ने ४ कमरे और हॉल का वायदा किया था। मैंने मंत्री महोदय से भी कहा, उन्होंने कहा

Page No. 33

(श्री दिग्विजयसिंह)

कि बजट ग्रांट खत्म हो गई। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उसको पूरा कराए और साइन्स ब्लॉक, जो जनता ने पूरा करवाया है उसमें सरकार ने साइंस और बायोलोजी की जगह साइंस और मैथेमैटिक्स कर दिया। मैं समझता तो पहले ही थी और वहां की जनता ने, विदाउट दी एड ऑफ दी गवर्नमेन्ट, डोनेशन करके १४-१५ हजार की बिल्डिंग तैयार कराई। शिक्षा मंत्री वहां पधारने वाले थे उद्घाटन करने, लेकिन वे नहीं आए। जहां कहीं जिस चीज की डिमांड हो वहां की जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ध्यान दिया जाय।

अभी तक शिक्षा में रूढ़ीवाद चल रहा है। आज एक मंत्री आए कल दूसरा आया। आप प्रैक्टीकल वे ऑफ एजुकेशन के बारे में विचार करें तो ज्यादा लाभ होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर बहस हो रही है उसमें कुछ बातें जो शिक्षा की पद्धति में सैद्धांतिक खामियां हैं उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से मैं इस सदन में आया हूं तब से जब जब भी शिक्षा के सम्बन्ध में यहां चर्चा हुई है, सदस्यों ने एक स्वर में ठोस शब्दों में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पंचायत समितियों में जो स्कूल्स हैं उनकी हालत अत्यन्त ही दयनीय है, फिर भी मुझे कोई कारण मालूम नहीं पड़ता कि सरकार के सामने उनकी स्थिति सुधारने में क्या मजबूरियां हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। यह बुनियादी शिक्षा है, उसकी ओर सरकार बिल्कुल उदासीनता की दृष्टि से आंखें बन्द करके बैठी है। और वह हिस्सा, वह क्षेत्र, वह पार्ट, जहां से लड़के को प्रारम्भिक शिक्षा शुरू होती है, एक लड़का कोरा कागज लेकर स्कूल में दाखिल होता है, जो कुछ भी उस पर उसको लिख कर दिया जाय चाहे वह गलत हो या सही, वहीं से उस लड़के की बुनियादी शुरू होती है, इसलिए उस ओर सरकार की उदासीनता एक क्षोभ का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में स्कूल हैं वे राजनैतिक अड्डे बने हुए हैं। राजनैतिक तौर पर वहां काम होता है। चाहे मास्टर का ट्रान्सफर हो, चाहे उसकी नियुक्ति हो, लड़के को भर्ती कराना हो या पास कराने का प्रश्न हो, आज ये सब प्रश्न हैं उन स्कूलों में, जो आज पंचायत समितियों के पास हैं। वहां पर राजनैतिक बातें देखी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस पंचायत समिति से आता हूं वार बार वहां की मीटिंगों में माननीय प्रधानजी और विकास अधिकारी का शिक्षा के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता रहा हूं, लेकिन मुझे अफसोस है और वह इसलिये है कि वहां जो लोग बैठते हैं वे एक दलीय दृष्टिकोण से बैठते हैं, संकुचित मनोवृत्ति से वहां बैठते हैं और शिक्षा भी उनकी उस मनोवृत्ति से अछूती नहीं रही है। मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो तीन महीने पहले हमारे यहां जब नये प्रधानजी चुन कर आये, उन्होंने सब से पुनीत कर्तव्य, अपना सब से पहला काम, जो पंचायत समिति में बैठ कर करना चाहा वह यही करना चाहा कि मास्टरों के इधर से उधर ट्रान्सफर हों, जिन रिश्तेदारों और बिरादरी वालों ने उनका साथ नहीं दिया उनको दूर दूर भेजना तय किया, जिनके

(श्री जयनारायण सालोदिया)

द्वारा उनको मदद मिली उनको नजदीक से लाने की कोशिश की और एक लम्बी लिस्ट माननीय विकास अधिकारी जो उस समय थे उनके पास पेश की। मैं उन विकास अधिकारी की प्रशंसा करता हूं, उन्होंने विनम्र प्रार्थना प्रधानजी से की कि इस सत्र के बीच में मास्टरों का ट्रान्सफर करना मुझे नहीं जंचता है, उचित नहीं लगता है; यह लड़कों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ होगा जब कि सरकार के ये आदेश भी हैं कि बीच सत्र में अध्यापकों के ट्रान्सफर न किये जायं। लेकिन प्रधानजी को बुरा लगा। जयपुर की भाग दौड़ करके पंचायत मंत्रीजी द्वारा उस विकास अधिकारी का एक इसी बिना पर ट्रान्सफर कराया। दूसरे विकास अधिकारी आये, सिर्फ उन से पहले बात करके बुलाया कि ये प्रधानजी काम कहें वह करना होगा उस शर्त पर निवाई भेजना चाहते हैं, उन्होंने वह बात मंजूर की और वे दूसरे विकास अधिकारी आये। उन्होंने आते ही एक ट्रान्सफर की लिस्ट निकाली उसमें कुछ अध्यापकों का ट्रान्सफर किया, दूसरी लिस्ट निकाली उसमें कुछ अध्यापकों का ट्रान्सफर किया और तीसरी लिस्ट निकाली उसमें कुछ अध्यापकों का ट्रान्सफर किया। जब तीसरी लिस्ट निकल चुकी तो मैंने विकास विभाग को उससे सूचित किया, जिलाधीश को उससे सूचित किया और जिला परिषद् को उससे सूचित किया कि बिना कारण दलगत राजनीति के आधार पर इस प्रकार के ट्रान्सफर बीच सत्र में हो रहे हैं इससे लड़कों की जिन्दगी बिगड़ने का खतरा है, क्योंकि जो पहले अध्यापक थे वे भी उनकी परीक्षा के परिणाम के जिम्मेदार नहीं होंगे और दूसरे आयेंगे वे भी उसके लिये जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिला। जिला परिषद् के सेक्रेटरी से मिला तो कहा कि जांच करवा रहे हैं। मुझे सख्त अफसोस है माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन लिस्टें निकल जाने के बाद मैंने शिकायत की, कलेक्टर साहब ने और जिला परिषद् के सेक्रेटरी साहब ने जांच का आश्वासन दिया, उसके बाद भी दो-तीन लिस्टें और निकलीं और जितने पंचायत समिति के अध्यापक थे उनको बीच सत्र ट्रान्सफर किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि वहां जो शिक्षा में कमी हो रही है, जो शिक्षा का स्तर पंचायत समिति स्तर पर गिर रहा है उसमें अध्यापकों का दोष है। जितने बेचारे लड़के और अभिभावक परेशान हैं उतने ही अध्यापक भी पंचायत समिति से परेशान हैं। अध्यापकों को उनकी इच्छा से, स्वतन्त्रता से काम नहीं करने दिया जाता। वार्ड मेम्बर, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, उनके लिये परेशानी पैदा करते हैं, प्रधानजी और पंचायत समिति का स्टाफ उनके लिये परेशानियां पैदा करते हैं और वे यह महसूस करते हैं कि किसी प्रकार अच्छी जगह लेवें, गांव के नजदीक रहने के लिये प्रयत्न करें; यदि नजदीक रहना है और प्रधान अध्यापक बने रहना है तो हमारे लिये एक मात्र यही चारा है कि स्थानीय वार्ड के मेम्बर, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति और प्रधानजी और बी. डी. ओ. जैसा कहें वैसा ही करें चाहे शिक्षा का स्तर गिरे या चाहे कुछ हो। इस दृष्टि से यह वृत्ति शिक्षा के लिय बहुत ही हानिकारक है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि गांवों में जो स्कूल चलते हैं उनकी दशा

Page No. 35

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी बड़ी शोचनीय है। समय समय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है तो राज्य सरकार टालमटोल अर्थाभाव का कारण या कुछ इस प्रकार की कन्डीशन्स हैं जिनको ग्रामीण जनता पूरी नहीं कर सकती है उनको रख कर जो महत्वपूर्ण और वाजिब प्रश्न हैं उनको अभी तक टालने की कोशिश की है और करती आ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय पर यहां पर स्कूल के भवनों के सम्बन्ध में वाद-विवाद होता रहा है। राज्य सरकार ने यही कहा कि हमारी शर्तें हैं, जो गांव में मिडिल स्कूल खोलना चाहते हैं, तो १८ हजार रुपया और हाई स्कूल खोलना चाहते हैं तो अमुक रकम और प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो स्कूल के लिये और अध्यापक के लिये मकान के लिये स्टाम्प लिख कर देना पड़ेगा, ऐसी शर्तें हैं ग्रामीण जनता के लिये। यह समाजवाद का ढोल पीटने वाली सरकार के लिये सोचने की ही नहीं, किन्तु लज्जा की बात है। जब हम देखते हैं शहरों में कॉलेज और युनिवर्सिटी की बिल्डिंगें बनती हैं, वहां शहर वालों से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जाती। शहरों का सम्बन्ध उन लोगों से जो मालदार हैं, जो नये नये स्कूल बनवा सकते हैं, जो चन्दा दे सकते हैं, वहां पर तो यह रियायत है कि उनकी सुविधाओं के लिये स्कूल भवन, कॉलेज और युनिवर्सिटी के भवन बनेंगे, वहां पर स्थानीय जनता से किसी प्रकार के डोनेशन की बात नहीं करेंगी, लेकिन जहां प्रारम्भिक स्कूल खोलना चाहते हैं, आपका यह फर्ज है कि हर छात्र को प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दें, वहां पर आप इस प्रकार की कैद लगाते हैं कि स्कूल खुलवाना है तो स्कूल के लिये भवन और अध्यापक के लिये मकान दो और जहां मालदार लोग रहते हैं वहां यह कुछ नहीं, वहां पर यह स्थिति है। इस तरह की जो भेदभाव पूर्ण नीति है सरकार की, वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अड़चनें डालने वाली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से जितनी ट्रेनिंग हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के बाहर लेने के लिये छात्रों को भेजा जाता है उसमें मैंने यह मालूम किया है कि जितनी भी ट्रेनिंग बाहर राजस्थान से दिलाई गई है उनमें आज दिन तक किसी भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र को नहीं भेजा गया। मैं सरकार से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या इन जाति के लोगों की है, वहां उन लोगों के बच्चों के लिये जहां बाहर भेजने का सवाल आता है उसमें जो संकुचित विचारधारा रखते हैं उनको धोखा देने वाली नीति अपनाते हों, यह बहुत ही लज्जास्पद बात है। जब वोट लेने का समय आता है तो उनके सामने आप यह कहते हैं कि हम ही आप लोगों का भला करने वाले हैं इस नाम पर उनसे वोट लेते हैं, उन्हीं के वोटों पर सरकार बना कर आप बैठे हैं, लेकिन जब उनके लिये रुपया खर्च करने का प्रश्न उठता है तो उसमें भाई-भतीजावाद आपके सामने रहता है। आप उस समय अपने समान स्तर के लोगों को मौका देते हैं, यह जो हमारे प्रति सरकार का रवैया है इस ओर मैं सरकार का ध्यान बारबार आकर्षित करता रहा हूं, यह जो सरकार की नीति है वह बहुत ही सोचनीय एवं अशोभनीय है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : पंडित लोग आपकी बात कब सुनेंगे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अब में छात्रवृत्तियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । पहले समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, उनसे किसी अंश तक उन लोगों को सन्तोष था । उनकी छोटी यूनिट्स थीं, वहां से समय पर छात्रवृत्ति के फॉर्म्स मिल जाया करते थे, उनके द्वारा वापिस भरवा करे भेज दिये जाते थे और समय पर छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाया करती थी । अब क्या किया गया है, उनसे यह काम छीन कर शिक्षा विभाग को दिया गया । इसके बारे में बहुत ठोस शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जब से छात्रवृत्ति का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से हुआ है, तब से बीस प्रतिशत लड़के-लड़कियों को ही छात्रवृत्ति मिल पाई है, अस्सी प्रतिशत छात्रों को नहीं मिल पाती है । वहां से न समय पर फार्म्स पहुंचते हैं, न समय पर उनको भर कर भिजवाया जाता है और न उसके बारे में समय पर हिदायतें ही मिलती हैं कि आठवीं के फार्म्स कहां भेजने हैं, पांचवी कक्षा वालों के कहां भेजने हैं, हाई स्कूल के लिये कहां भेजने हैं । ये हिदायतें समय पर न मिलने के कारण फार्म्स समय पर नहीं पहुंच पाते और समय पर छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते ।

अब मैं छात्रों के चरित्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हम जब शहरी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लड़कों को देखते हैं तो हमें शनैः शनैः यह दृष्टिगोचर होता है कि इन लड़कों को आखिर हम कहां पहुंचाना चाहते हैं । जिस तरह का चरित्र-निर्माण हम इन छात्रों का करना चाहते हैं उससे वे कहीं पीछे मालूम होते नजर आते हैं, उससे कहीं बैक जाते नजर आते हैं । यह सब आपकी जिम्मेदारी है । आपका पुनीत कर्तव्य है कि हर छात्र के चरित्र के सम्बन्ध में, हर छात्र की शारीरिक शक्ति के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग पूर्ण जागरूक रहे । मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि शिक्षा जैसी पवित्र संस्थाओं में भी दलगत राजनीति घर करती चली जा रही है । जब हम इनके यूनियन के चुनावों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके चुनाव भी विधान सभा के चुनावों की तरह, पंचायत समितियों के चुनावों की तरह होते जा रहे हैं । शनैः शनैः हम देखते जा रहे हैं कि वहां भी दलगत राजनीति घर करती जा रही है । उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें उनको विद्याध्ययन करना चाहिये वे ये छात्र दलगत राजनीति में पड़कर अपना समय बरबाद करते हैं । इस ओर ले जा रहे हैं आप छात्रों को, यह खेद का विषय है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती हैं एस० टी० सी० की या बी० एड० की; यह ट्रेनिंग पास शुदा व्यक्ति जो मैट्रिक पास हैं, हायर सेकन्डरी पास हैं, बी० ए० और एम० ए० हैं, इस प्रकार के शिक्षित बेकारों की संख्या राजस्थान में अनगिनत है । सरकार को मालूम नहीं कि ऐसे शिक्षित बेकार कितने हैं, और कब से बेकार हैं और कब तक इनको सरकार काम देना चाहती है । सरकार स्कूल-कॉलेज खोल कर बेकार शिक्षित लोगों का निर्माण करती जा रही है । एक तरह से ये स्कूल और कॉलेज बेकार शिक्षित

(श्री जयनारायण सालोदिया)

निर्माण करने की फैक्टरी होती जा रही है। जहां इतनी संख्या में छात्र पढ़-लिखकर निकलते हैं उनको काम पर लगाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। में यह नहीं कहता कि सबको बाबू बनाकर दफ्तरों में बैठा दिया जाय या अध्यापक बनाकर स्कूलों में बिठा दिया जाय। में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, क्या उन्होंने कभी इस प्रकार के शिक्षित लोगों को काम देने के बारे में कोई योजना बनायी है? अगर बनायी है तो शिक्षा मंत्रीजी बतायेंगे कि ऐसे शिक्षित लोगों की संख्या क्या है और उनको कब तक काम दे दिया जायगा। मुझे तो आज दिन तक इस प्रकार का कोई सरकार का प्लान हो, वह नजर नहीं आता। आज इस बारे में सरकार खड़े होकर कहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है।

दूसरे, शिक्षित बेकारों को छोडिये, ट्रेंड शिक्षित भी बेकार हैं बैठे हुए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग ली है; एस० टी० सी० की है, बी० एड० और एम० एड० की है, वैसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पचासों लोग आते हैं; कोई कहता है कि में पांच साल से एस० टी० सी० पास करके फिर रहा हूं, कोई कहता है मुझे दो साल हो गये बी० एड० किये मुझे कोई नौकरी नहीं। सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। बेकार लोग जो पढ़-लिख गये हैं, जो दूसरे धन्धे नहीं जानते ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आप मुझे आज ही १५ बी० एड्स की लिस्ट दे दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया: १५ की क्या पच्चीस की लिस्ट दे दूंगा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): जो लिस्ट देंगे उनको क्या आप नौकरी दे देंगे?

श्री दयाचन्द सोन: आज भी आपकी कौन परवाह करता है?

श्री जयनारायण सालोदिया: में इस बात के लिये आपके साहस की दाद देता हूं। कम से कम आपने इस तरह बी० एड्स की तो मांग करने की हिम्मत की है। में आपको २५ की लिस्ट दे दूंगा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा: यह तो पूछ लीजिये कि आप उनका करेंगे क्या?

श्री जयनारायण सालोदिया: मेरा तारातम्य तोडने के लिये खड़े होकर कम से कम इतना कहने की हिम्मत तो की, उसके लिये में आपकी दाद देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में ही में सरकार का ध्यान पाठ्य पुस्तकों के बारे में और फीस की तरफ दिलाना चाहता हूं। में इस बारे में समय समय पर सदन में यह निवेदन कर चुका हूं, पाठ्य पुस्तकें समय पर छात्रों को मिलनी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तकें स्कूलें खुलने के पन्द्रह दिन बाद या एक महीने बाद अवश्य मिल जानी चाहियें। आप इस बारे में निश्चित तारीख का एलान कर दीजिये कि इतने दिनों में तो मिल ही जानी चाहियें। एक महीने में उपलब्ध करा दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम यह देखते हैं कि छात्रों को किन्हीं विषयों की पाठय पुस्तकें छः छः महीने और तीन तीन

Page No. 38

(श्री जयनारायण साबोदिया)

महीने तक मिल नहीं पातीं। इससे छात्रों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। शिक्षा मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं और उनसे आशा रखता हूं कि वे अपने जवाब में मेहरबानी करके इस बारे में सूचित अवश्य करेंगे। राज्य सरकार को एक डेफिनिट तारीख घोषित करनी चाहिये कि अमुक तारीख तक या स्कूल खुलने के पन्द्रह दिन बाद सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेंगी। अगर इस बारे में सरकार उदासीन और ढिलाई का प्रदर्शन करती है तो यह शिक्षा के साथ और छात्रों के साथ खिलवाड़ है, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी की बात और सरकार के लिये नहीं हो सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फीस के लिये भी निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा।

जो फीसें राजस्थान में छात्रों से वसूल की जाती हैं विविध नामों से जो कि दर्जन के करीब हैं, उनको न दे सकने की स्थिति होने के कारण भी बहुत से गरीब, पर मेधावी और बुद्धिमान होनहार छात्र आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

निवाई हाई स्कूल के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। जैसा श्री दिग्विजयसिंहजी ने भी कहा कि वहां एक भी हाई स्कूल नहीं है, मेरे क्षेत्र में भी बदकिस्मती से एक भी हाई स्कूल नहीं है, पर हमारे क्षेत्रों से थोड़े फासले पर मालपुरा तहसील में चार चार हाई स्कूलें हैं और जो भी हैं उनमें भी दलगत राजनीति के आधार पर कुछ ऐसे अयोग्य, बूढ़े और नौजवान अध्यापक बिठा रखे हैं कि जो सही और अच्छी शिक्षा देने के बजाय छात्रों में राजनीति का विषैला वातावरण पैदा करते हैं।

इसका परिणाम क्या होता है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। गये साल का निवाई हाई स्कूल का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा। १२३ लड़कों में से ३५ लड़के पास हुए, बाकी सब फेल। अब आप देखेंगे कि शिक्षा का क्या स्तर रह गया है? ऊंचा जा रहा है या पाताल में बैठता जा रहा है। राजनीति शिक्षा में बुरी तरह से नुकसान करती जा रही है, इसके लिये मैंने कई बार सदन में प्रश्नों के द्वारा भी और भाषण के द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया है। पर सरकार इस ओर से बिलकुल मौन, आंखें बन्द करके चुप्पी साधे बैठी है।

इसलिये मेरा अन्त में यही निवेदन है कि सरकार फीसों को कम करे और शिक्षा को सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी स्तर की बनाने में पूरा पूरा प्रयत्न सरकार को करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। यह समान्य बहस जैसी हो रही है, जो अधिक चल नहीं सकती। सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव भी नहीं भेजे हैं, पर बोलना चाहते हैं। आगे और भी कई प्रस्ताव आवेंगे, तो मांगें भी आई हैं। इसलिये इस बहस को यहीं पर समाप्त कर दिया जावे।

श्री बलपतसिंह (आबू) : दो-दो मिनट ही दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट की लिमिट में माननीय सदस्य रहते नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): मैं तो पांच मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कटौती प्रस्ताव पर निवेदन करना चाहता हूं । अधिक समय नहीं लूंगा ।

आजकल की शिक्षा कैसी है, इसके बारे में मैं निवेदन करूं :

पढ़े पढ़े में फेर है, पढ़े न कुछ समझाये;
कबीरा अन्तर प्रेम का पढ़े-अपढ़ समान ।

'प्रेम' नाम की वस्तु आज की शिक्षा से कोसों दूर चली गई है । आज चाहे कोई शिक्षा संस्था हो, शिक्षा संस्था के मन्त्रीगण हों, संचालक हों, शिक्षा विभाग हो, प्रेम नाम की वस्तु उनके अन्तर में से निकल गई है, वे तो केवल द्वेष की भावना का प्रचार-प्रसार करते हैं, उसी भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं । आज की इस तरह की प्रेम से रहित शिक्षा अशिक्षा में बदल गई है ।

मैं राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई उसकी प्रगति का उल्लेख उसी के आंकड़ों के आइने में सदन में बताना चाहता हूं ।

चित्तौड़गढ़ में लिटरेट की संख्या का अनुमान १२.४२ परसेन्ट का सरकार बताती है, उदयपुर में वही १३.७३ है । यह आज हमारी शिक्षा की स्थिति है जिसके लिये सरकार बढ़ चढ़ कर बातें करती है कि वह इतना कर रही है, उतना कर रही है; बैकवर्ड लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, उनको छाती से लगाना चाहती है । उनके दुख-दर्द दूर करना चाहती है ।

अब उसमें भी सरकार की नीति क्या है ? निम्बाहेड़ा जो तहसील हैड क्वार्टर है, वहां हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं । पर जो दूर गांवों में हैं; सड़क जहां नहीं, वहां हायर सैकण्डरी स्कूल है । जो सब-डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं, ३४ से जहां हाई स्कूल बनी है । जहां आस-पास के काफी लड़के पढ़ने को आते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा भी जहां से नजदीक है और जहां के लड़कों ने मध्य प्रदेश की स्कूलों में पढ़ पढ़ कर नाम कमाया है, गोल्ड मैडल लिये हैं । राजस्थान का नाम ऊंचा किया है वहां उसे अपग्रेड करने का सवाल है । प्रतापगढ़ पास में है । एक लाख रुपया विद्यार्थियों ने दिया । सब तरह का लाभ वहां हो सकता है, लड़के काफी पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी सरकार वहां कुछ नहीं करना चाहती । वहां के छात्रगण किस विनती भरी भाषा में सरकार से निवेदन करते हैं, मैं थोड़ा उसे पढ़कर सुना देता हूं :—

"हम छात्रगण चातक की भांति जयपुर की ओर टकटकी लगाये रहे, पर हमारी आशा पूरी नहीं हुई और १ जुलाई, ६५ देखते ही देखते निकल गया ।"

अध्यक्ष महोदय, चातक की भांति जयपुर की तरफ वे देख रहे हैं । एक लाख रुपया इकट्ठा करके रख दिया । शिक्षा मन्त्रीजी ने एश्योर किया, असिस्टेन्ट डाईरेक्टर ने एश्योर किया कि वहां हम हायर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, पर कुछ नहीं हुआ । एश्योर किया ५०) रु० माहवार स्टिपेण्ड देंगे, बाहर पढ़ने जाओ । पर वह भी नहीं मिला, जहां तक मेरी जानकारी है ।

अभी अभी मसला सामने आया कि बेकारी को सरकार दूर करना चाहती है । मैं एक

(श्री अब्दुलजब्बार)
उदाहरण दूं कि सरकार किस तरह से इसे दूर करती है। एक ने दरख्वास्त दी, उसका अपोइन्टमेन्ट हो गया। चार साल चित्तौड़ में काम करता रहा। फिर एकाएक कह दिया गया कि घर जाओ। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये यहां तक कहा गया, इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल्स के शब्द में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:—

He argues that to give me appointment will put him in downfall of his principles.

God knows better what sort of his principles are!

कह दिया गया कि अगर इसको अपोइन्टमेन्ट दे देंगे तो मेरा प्रिन्सिपल गिर जावेगा। अध्यक्ष महोदय, 'चार दिन की चांदनी फिर अन्धेरी रात है'। आज चाहे जिस तरह से भी चाहो वैसी मनमानी कर लो। पर एक दिन आवेगा, वे नहीं रहने वाले हैं। शिक्षा की जहां आवश्यकता है, जहां ऊंची शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है, जहां आवश्यक संख्या में छात्र पढने वाले मिल सके हैं, जहां लोग साधन अपने पैसों से जुटाने को तैयार हैं वहां शिक्षण संस्थाएं नहीं खोली जावेंगी। ज्योग्राफिकली निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, मध्य-प्रदेश के बोर्डर पर हैं; वहां काफी छात्र हैं, लोग पैसा देने को तैयार हैं, पर कॉलेज चित्तौड़गढ़ में खोला जावेगा, जहां वहां की अपेक्षा कम लड़के हैं, कम पढ़ने वाले हैं, कम साधन हैं। यूनीवर्सिटी उदयपुर में खोली जावेगी। जहां हजारों-लाखों का चन्दा देने के लिये लोग तैयार बैठे हैं; जहां लड़के पढ़ने को तैयार बैठे हैं, जहां अधिक तादाद है लड़कों की वहां नहीं खोली जावेंगी। पर जहां पढ़ने वाले कम, साधन कम वहां खोली जायेगी जहां जरूरत है वहां तो बैठने के लिये कारपेट नहीं दी जावेगी, बैठने को पूरी जगह नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था आज हमारे यहां है।

तो आपके हुक्म का पालन करते हुए पांच मिनट में बोल देने का आपने आदेश दिया था उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता। तो, बस इतना ही कहकर समाप्त करता हूं कि सरकार इन हालतों की ओर ध्यान दे। वरना केरल की तरह जनता जागेगी। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। उनको करना पड़ेगा जो दावा करते हैं कि हम देश का निर्माण करने जा रहे हैं पर आपाधापी और पक्षपात की दौड़ में सब भूल जाते हैं। इतना ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बलपतसिंह (आबू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में दो बातों की तरफ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ़ व्यू से। एक दफा मुझे भी मौका मिला कि जिला परिषदों में जो टीचर्स के इन्टरव्यू होते हैं, वे इन्टरव्यू हो रहे थे और मैं भी वहां बैठा था। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि आज शिक्षा के अन्दर टीचर्स का स्टेन्डर्ड क्यों गिर रहा है? आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर हिस्ट्री के स्टूडेन्ट्स थे, बहुत अच्छे स्कॉलर्स वह इन्टरव्यू देने आये, हमारा जो कमीशन बैठा था उसके सामने। वहां पर उनसे पूछा गया कि १८५७ में गदर होने के क्या कारण थे इसके बारे में वे कुछ नहीं बता सके। एक मेड़ता के रहने वाले हिस्ट्री के स्टूडेन्ट थे उनसे पूछा गया कि मीरां ने शादी की थी या नहीं, तो

Page No. 41

(श्री दलपतसिंह)

उसका उत्तर मिला कि नहीं की थी। फिर कमीशन ने पूछा कि उदयपुर के राजा मीरा के क्या लगते थे, तो उसने कहा कि ससुर लगते थे। यानी पहले तो कहा था कि मीरा ने शादी नहीं की थी और फिर कहा कि उदयपुर के राजा मीरा के ससुर लगते थे। उनसे यह भी पूछा गया कि माउन्ट आबू की ऊंचाई क्या है, इसका भी उत्तर नहीं दे सके। इंगिलश लिट्रेचर वाले से पूछा कि दवात के ऊपर पैन पड़ा है तो वह कहता है "Please pass me the inkpot with luggage on" यह, अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एग्जाम्पल आई। जब टीचर्स का इन्टरव्यू लिया तो मुझे भी बहुत हंसी आई कि यह तो इंगिलश लिट्रेचर का स्टेन्डर्ड और यह हिस्ट्री का स्टेन्डर्ड है। आखिर हम लोगों को भी सिफारिशें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम तो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव हैं। अध्यक्ष महोदय के आदेश के मुताबिक में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एम्लायमेन्ट के प्रश्न को लेकर मास्टरी के लिये लोग आ जाते हैं और उसके लिए वहां पर पंचायत समिति स्तर पर उनके इन्टरव्यू होते हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि हम उन सिफारशों के पीछे आज-कल के समय में मैंने पिछले पांच-छः साल से देखा है कि हम मास्टरों को रख लेते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसकी टैक्नीकेलिटी के अन्दर जाऊं तो जिस तरह के टीचर्स जाकर गावों के अन्दर हमारी एडल्ट एजूकेशन के स्टेन्डर्ड में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं उन मास्टरों का जो कि मैंट्रीकुलेट होते हैं और जिनको कुछ नहीं आता उनका उन बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस इन्टरव्यू के अन्दर शिक्षा के जो टैक्नीकल हैंड्स हैं, वही इस कमेटी में होने चाहिये न कि पंचायत समिति के प्रधान वगैरह क्योंकि इन इन्टरव्यूज के जरिये जितने भी मास्टर आते हैं उनमें ९९ परसेन्ट सब पास हो जाते हैं और किसी को टैम्पोरेरी ले लिया जाता है। तो इस कमेटी में वही होने चाहियें जो कि अपनी इन्डिपेन्डेन्ट राय दे सकें। आज राजस्थान के अन्दर १६-१७ साल के लड़के गावों में जाकर स्कूलों का कन्ट्रोल करते हैं, शिक्षा देते हैं; इसके लिये न तो उनमें बेसीकली मैनर्स हैं और न स्वयं में उनमें इतनी बुद्धि है कि वे बच्चों को पढ़ा सकें। केवल मैंट्रिक पास करने से ही वे हमारी भावी पीढ़ी को सुधार सकें, यह गलत है और वह न यह काम कर सकते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा के अन्दर एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी बैठा कर इन्टरव्यू लिवावें।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब तक गावों के अन्दर कोई मास्टर ३५-४० साल के नहीं हो जायें, तब तक उनको गावों में नहीं भेजा जाये। मैं यह आज आग्रह के साथ कहूंगा कि जो बच्चे एडल्ट एजूकेशन प्राप्त करते हैं, उसके अन्दर आज के दसवीं पास होकर के जितने भी गावों में चले जाते हैं उनके अन्दर न तो एफीशियेन्सी है और न कुछ और ही है। फ्राइडे, सेटरडे, और सन्डेज को वे वहां पर किसी से भी पूछ कर सिनेमा देखने चले जाते हैं। इस हालत में जो पंचायत समितियों को टीचर्स के एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया है इसके मैं खिलाफ हूं। इन्टरव्यू के लिए बॉडी अलग बैठनी चाहिये। इसी तरह से टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग सट-अप होना चाहिये। प्रमुख और प्रधान को आप और जितनी भी पॉवर्स देना चाहते हैं वह दें, लेकिन शिक्षा के मामले में

(श्री दलपतसिंह)
बिल्कुल एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी होनी चाहिये और सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होना चाहिये।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के लिए स्त्री-शिक्षा पर निवेदन करना चाहूंगा। हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों की शिक्षा के लिये माउन्ट आबू में सोफिया स्कूल है। यदि वहां एक बच्ची को भेजें तो उस पर २०० रुपये से नीचे फीस के नहीं होते हैं। आबू रोड में एक कन्या पाठशाला है वहां पर जरूर बच्चियों की शिक्षा के बारे में प्रगति की है। इसके अलावा आबू से अजमेर सोफिया स्कूल में भेजें या फिर जयपुर में गायत्री देवी स्कूल में भेजें तो यह बड़ा मंहगा पड़ता है और वहां हर एक अपने बच्चों को भेज भी नहीं सकता। हां, रानी के पास जरूर एक मरु विद्यापीठ आता है वह हमारे यहां श्री मोहनराजजी एम० एल० ए० के एफर्ट्स से चल रहा है और कुछ दूसरे लोकल आदमी हैं उनके एफर्ट्स से चल रहा है। तो उसके अन्दर वहां पर २०-२५ रुपये में अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और जहां हमारे हिन्दुस्तान की कल्चर है और जिस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिये वह वहां मिल रही है। आज सोफिया स्कूलों में आप देखिये, माउन्ट आबू और अजमेर में देखें, वहां जो इन्डिया की कल्चर है उससे बिल्कुल भिन्न शिक्षा मिलती है। लड़कियों को आदर्श सीखने चाहिये; हाथ से काम करना, सिलाई, कातना और टैक्नीकल प्रशिक्षण जो होता है उसके बारे में भी पूरी शिक्षा उनको दी जानी चाहिये। जैसे रानी में मरु विद्यापीठ है वहां पर कई गांवों में की लड़कियां आ गई हैं और उन्होंने एक लाख का चन्दा करके वहां पर एक प्लान है कि एक लाख का होस्टल तैयार होगा और जितनी भी वहां पर २०० बच्चियां पढ़ती हैं उनको होस्टल के अन्दर जगह मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब कि होस्टल बन रहा है और रूरल एरिया में ऐसी इन्कम नहीं है कि वह सोफिया स्कूलों में बच्चों को भेज सकते हैं, तो जो बच्चे ८० परसेन्ट रूरल सैक्टर में पढ़ते हैं उनका फाइनेन्शियल स्टेन्डर्ड किस तरह से ऊंचा किया जाये, इसके लिये बातें में सिर्फ दो ही कहूंगा और वे यह हैं कि एक तो शिक्षा-स्तर को ठीक किया जाये और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी शिक्षा के अन्दर ऐसी हो कि वहां पर कोई सिफारिश नहीं चलनी चाहिये। टीचर होने के बाद में ऐसी दो-तीन साल की ट्रेनिंग दें कि गावों के अन्दर वे अपनी शिक्षा पूरी दे सकें। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्त्री-शिक्षा के बारे में, और जो आज पंचायत समितियों को पावर्स दी हैं इसके अलावा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूलों का इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी के हाथ में हो और ३०-४० साल से नीचे के मास्टर गांवों में नहीं जाने चाहिये। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को देखा जाये तो राजस्थान में बहुत प्रगति की है, लेकिन मेरे क्षेत्र में जहां कि नगरपालिका भी है और जहां की जन-संख्या करीब १२-१३ हजार के होगी वहां अभी तक प्राइमरी स्कूल ही चल रही है। वहां की छात्रायें जब हाई स्कूल में जाती हैं आगे पढ़ने के लिये तो वहां पर लड़कों के साथ

Page No. 43

(श्री शंकरलाल)

उनको पढ़ना पड़ता है और इस कारण माता-पिता उन लड़कियों को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं और उससे उनको वंचित कर देते हैं।

(२ म. प.)

इसलिये मैंने पहले भी इस विषय में निवेदन किया था और सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया था कि आगामी वर्ष में खोल देंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आगामी वर्ष ये किसको कहते हैं और वह आगामी वर्ष-कितने वर्षों में आता है? इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम आज तो हमारे देश में प्रधान मन्त्री भी महिला ही हैं और इसीलिये उनकी ओर थोड़ा सा ध्यान देकर कन्याओं के लिये मिडल स्कूल खोलने का प्रबन्ध करेंगे।

दूसरी बात यह है कि पंचायत समितियों के अन्दर भी जो प्राइमरी स्कूल खुलते हैं तो एक-एक मील, आधा-आधा मील पर ही स्कूल खोल देते हैं और जहां पर छात्रों की संख्या का कोई खयाल नहीं रखा जाता है। मास्टर यों ही बैठे रहते हैं, उनके पास कोई पूरा काम नहीं है। यहां तक कि मैंने एक जगह तो यह भी देखा कि वहां पर मास्टर तो था लेकिन कोई छात्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, मास्टर केवल हाजरी करके वापस चला जाता है। यह मैं दो-तीन बार देख चुका हूं। इस बारे में मैंने विकास अधिकारीजी से कहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो आपका कानून है कि एक स्कूल में तीस छात्र होने चाहिए, तो आपको यह देखना चाहिये कि वहां छात्रों की संख्या तीस है या नहीं। जहां स्कूल खोले हैं वहां तीस लड़के हैं या नहीं, उनको हाजरी देखनी चाहिये। आपने कानून तो बना दिये हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं करते हैं। कितने लड़के हाजिर होते हैं, उनमें से कितने छात्र पास हुए और कितने नहीं हुए, सब का रिकार्ड रखना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि थोड़ा सा जोर देकर ध्यान दे कि कानूनों का पालन होता है या नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : वह कौनसी जगह है जिसमें एक भी लड़का नहीं है? उस जगह का नाम तो बता दो।

श्री शंकरलाल : हां, लाडपुरा है, पंचायत समिति छोटी सादड़ी में। इसी तरह से नगरपालिकाओं के अन्तर्गत जो स्कूल चलते हैं उनकी हालत भी ऐसी ही है। वहां पर लड़कों के बैठने की जगह नहीं है। स्कूल के पास ही कहीं पर टट्टियां हैं तो कहीं चक्की चलती है या आइल मिल चल रही है। तो कम से कम उनके अन्तर्गत जो स्कूल चलते हैं तो उन पर जोर देना चाहिए कि वे नियमों का पालन करें और नियमों के अनुसार स्कूल की व्यवस्था करें। अगर वे ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर सकें तो सरकार अपने हाथ में ले, ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़-लिख सकें।

इसी तरह से पंचायत समिति के अन्तर्गत जो मास्टरों के ट्रांसफर करते हैं उनकी सर्विस बुकें नहीं भेजी जाती हैं, जिससे उनके ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रुक जाते हैं। उनको एरियर नहीं मिल पाते हैं और सालाना तरक्कियां नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर भी कम से कम उनका ख्याल रखें। यह बात सही है और जैसा दलपतसिंहजी साहब ने कहा कि छोटी-छोटी उम्र के लोगों को गांवों में भेज देते हैं वे अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाते हैं। यह

(श्री शंकरलाल)

बात सही है। आपने बी. ए. पास लोगों को वहां पर घसीट रखा है और उनको आप सवा सौ रुपया देते हैं। एक आदमी जिसने बी. ए. तक शिक्षा ग्रहण की वह कैसे सवा सौ रुपये में काम करता रहेगा, इस ओर भी आप ध्यान दें?

दूसरी बात मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो शिक्षा की पॉलिसी है वह अनुशासन के मायने में कुछ भी नहीं है। अभी तारीख ६ की ही बात है, हम लोग जा रहे थे बस में अजमेर। उसमें एक कॉलेज का स्टूडेन्ट भी बैठा था। दूसरे माननीय सदस्य, एम. एल. एज. वगैरह भी थे उस बस में। एक जगह खाली थी और उस जगह वह कॉलेज का स्टूडेन्ट बैठने लगा कि गिरधारीलाल जी ने कहा कि यहां कोई दूसरा आ रहा है....

श्री दयाचन्द सोन (बारां सु.): यह उसी दिन की बात है जिस दिन मिनिस्टर साहब के मुंह पर काला पोत दिया गया था।

श्री शंकरलाल: तो उन्होंने कहा कि यह सफेद टोपी वाले तो बड़े गुण्डे हो गए हैं; तो उस बात पर बड़ा भारी वाद-विवाद चला..

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): फिर तो सफेद टोपी के बजाय काली टोपी लगाओ।

श्री शंकरलाल: हम देखते थे, मैंने भी देखा है कि गांव में अगर कोई खुले सिर से निकल जाता था तो लोग कहते थे कि यह गुण्डा है, सफेद टोपी वाले तो गुण्डे नहीं हैं। इसमें टोपी का कोई सवाल नहीं है, टोपी चाहे सफेद हो, काली हो या लाल हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह अनुशासन में कमजोरी की बातें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन होना चाहिए और इस तरह से व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और उन्हें कड़क रहना चाहिए अनुशासन के मामले में।

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर पोहूमल!

डॉ० पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम): माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है इसमें तो कोई दो राय नहीं है और जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री टीचर्स के फिक्सेशन और पेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे यह मसला हल हो जाएगा। लेकिन मुझे दुःख के साथ एक बात जरूर कहनी पड़ती है कि ऊपर से जो भी ऑर्डर जाते हैं, उनका पालन नहीं होता है और जो भी कानून सरकार बनाती है उस कानून का भी पालन नहीं होता है। यह हमारे हाथ में ग्रांट-इन-एड रूल्स हैं, इनमें जितनी एडेड स्कूल्स हैं, जितनी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स हैं, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं? Composition of management लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अनसेकुलर है। इस कम्पोजीशन आफ मैनेजमेन्ट में सभी जाति और धर्म के लोग होने चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि जितने भी आज तक एडेड स्कूल्स चल रहे हैं उनमें कभी यह इन्क्वायरी की कि ये सेकुलर तरीके से चल रहे हैं या नहीं? उनका कम्पोजीशन सेकुलर तरीके का है या नहीं या जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं, उस तरीके से चल रहे हैं या नहीं या पुराने तरीके से ही चल रहे हैं? मुझे ऐसे स्कूलों का अनुभव है। अजमेर में एक स्कूल है, आदर्श

Page No. 45

(डा० पोहूमल इसरदास)

विद्यालय मल्टीपर्पज हायर सैकेन्ड्री स्कूल। वहां पर सारा काम अनसेकूलर तरीके से चल रहा है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर आपस में सब लड़ते रहे हैं। उनकी आपस की लड़ाई की वजह से वहां पर बच्चों की शिक्षा को धक्का पहुंचता है। जब कोई रिपोर्ट भी करते हैं तो वहां से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यह कह दिया जाता है कि एक-दो की मैजोरिटी तो है ही और साहब जिसकी मैजोरिटी होगी वही चलाएगा। जिसकी मैजोरिटी हो वही चलाए, लेकिन कानून से तो चलाए। जितने कानून होते हैं उनको तोड़-मरोड़ कर रख देते हैं। किसी को निकाल देते हैं किसी को रख लेते हैं यहां तक कि लाइफ मेम्बर्स तक को काट कर फेंक देते हैं। और सरकार लाजवाब बन जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। सरकार तो ५० से ५० स्कूल्स में जो नाइन्टी परसैन्ट ग्रांट देती है तो उस मुकाबले में सरकार का भी कुछ कन्ट्रोल होना चाहिए, लेकिन वह कन्ट्रोल नहीं है, हालांकि रूल्स में ऐसा प्रावधान है कि जिस मैनेजमैन्ट का आपस में झगड़ा हो उस मैनेजमैन्ट को सरकार अपने हाथ में ले सकती है और एडमिनिस्ट्रेटर अपाइन्ट कर सकती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर धक्का नहीं लगे। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी एक और स्कूल है, वह है दयानन्द स्कूल। वहां पर भी दो आपस में पार्टियां लड़ रही हैं; जैसे कोई बिल्ला लड़ता हो। इसका, पार्टीबाजी का नतीजा क्या निकलता है कि एक गरीब आदमी शिकार हो जाता है, जैसा वहां दयानन्द स्कूल के हैडमास्टर का सफाया कर दिया। इसी तरह का एक और मामला मैं जानता हूं, वह है आत्माराम झुमाणी का। ये आदर्श विद्यालय अजमेर के सीनयर टीचर हैं, और वहां के टीचर्स का चुना हुआ रिप्रेजेन्टेटिव भी है। जब मैनेजमैन्ट ने देखा कि यह बुरे काम में साथ नहीं देता है तो बेचारे को वहां से हटाया गया। उसके पास बम्बई से एक तार आया कि तुम्हारी माता बीमार है, वह गया और दो दिन देर से वैकेशन के बाद वापिस आया। अपने साथ डाक्टरी सर्टिफिकेट भी ले आया। तो भी उसको सस्पैन्ड कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद बिना किसी शर्त के रि-इन्सटेट किया गया। जब हमने इन्सपैक्टर से इस मामले की रिपोर्ट की तो जैसा वहां से जवाब आया करता है, इन्सपैक्टर ने जवाब दिया कि 'Th: matter is receiving attention". . . . . .

श्री जोधसिंह चौहान : जब तुम्हारी ही सुनवाई नहीं हुई तो हमारी कौन सुनेगा?

डा० पोहूमल ईसरदास : अच्छा साहब, आप तो सुन लीजिए। टाइम की पाबन्दी है। इन्सपैक्टर को जब लिखा उक्त अध्यापक आत्माराम झुमाणी ने कि क्योंकि मैनेजिंग कमेटी में ग्रांट-इन-एड रूल्स के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, टीचर्स की दिक्कतें हैं और जो कुछ फण्ड्स के बारे में मिसएप्रोप्रिएशन हो रहा है तो इस पर मैनेजमैन्ट ने नाराज होकर उनको तीन महीने से फिर सस्पैन्ड कर रखा है। पहले जो उनको सस्पेन्ड किया तो रिइन्स्टेन्ट किया, अब फिर उनको सस्पेन्ड कर रखा है। तीन महीने से हम उनको लिख रहे हैं, इंसपेक्टर साहब नहीं सुन रहे हैं। बड़े शर्म की बात तो यह है कि उक्त अध्यापक झुमाणी को रूल्स के मुताबिक सब्सिस्टेंस अलाउन्स तथा दूसरे अलाउन्सेज मिलने चाहिए वे भी उनको नहीं मिल रहे हैं और उनको कहते हैं कि सारी तनख्वाह के बदले ७० रु० लेकर गुजारा करो, चाहे वह भूखों मरे।

(डा० पोहूमल ईसरदास)

१२ महीने सस्पेन्ड रहे पर कुछ सुनाई नहीं होती है। यह हाल इस इन्स्टीट्यूशन का है। इसके अलावा मनमानी फीस लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे मालूम है कि एस० टी० सी० पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो सिलेक्शन में नम्बर तो उनको बाद में मिलता है, पहले १५० या २५० रुपये फण्ड में देने पड़ते हैं। न जाने कोनसा फण्ड खोल रखा है? किसी ने पंखा फण्ड बना कर रखा है, तो किसी ने कुछ बना रखा है। शायद कफन फण्ड भी बना कर रखा हो जिसमें से कोई मेम्बर मर जाय तो कफन का पैसा इसमें से देंगे। पूछते हैं तो जवाब यह मिलता रहता है कि डोनेशन का देते हैं, रसीद डोनेशन की देते हैं। रसीद दिखाने पर भी सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती। मेरे पास रसीदें मोजूद हैं। एक रसीद आदर्श विद्यालय की है जहां पर हर स्टूडेंट से जो भी एडमिशन लेता है, उससे १० रुपये से ५० रुपये तक लिया जाता है। आप चाहें तो देख सकते हैं। जुलाई को जब कि सेशन चालू होता है तब तो पैसा लिया जाता है और रसीद डोनेशन के नाम से २६ जून की तारीख की दी जाती है। वर्तमान में सबको तो रसीद भी नहीं दी। हजारों रुपये कलेक्ट किये गये। न जाने कौन-कौन से फण्ड किये गये और कहां-कहां किये गये और उसका क्या होगा? जब सरकार रूल्स बनाती है तो उनको पालन अच्छी तरह से कराइये, ताकि किसी को ऐसा मोका नहीं मिले कि यह लोग ऐसा कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक राष्ट्रीय विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है उसमें एक अध्यापिका कुमारी कमला मेघाणी थी। उसकी दो साल की सर्विस थी। उसकी सर्विस बिना वजह टर्मीनेट की गई। टर्मीनेशन आर्डर १०-५-६२ को मिला। उसने इन्सपेक्टर को अपील की। इन्सपेक्टर ने मेनेजमेन्ट को चिट्ठी लिखी "रिइन्सटेट हर"; उनको रखा जाय और दूसरा उसकी जगह पर न रखा जाय। आज ६६ है लेकिन वह गरीब लड़की, अध्यापिका, आज भी रो रही है। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है। वह डिप्टी डाइरेक्टर के पास गई तो उन्होंने इन्हीं लफ्जों में लिखा कि इसको रिइन्सटेट किया जाय और वह फाइल एडीशनल डाइरेक्टर साहब प्राइमरी एजुकेशन के पास पड़ी हुई है, जिसके लिए इन्सपेक्टर साहब रिमाइन्डर निकाल निकाल कर थक गया है। लास्ट रिमाइण्डर जो निकाला है वह ५-२-६६ का है, जिसमें हवाला दे रहे हैं कि वह अध्यापिका प्रेस कर रही है, इसका फैसला कर दिया जावे, पर फैसला अभी तक नहीं हुआ। अगर वह अध्यापिका गलत हो तो उसको निकाल दिया जाय; लेकिन एक बार फैसला तो दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ कहना था, लेकिन समय छोटा है इसलिए आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा विभाग के अन्दर चर्चा हो रही है तो मैं कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कि उपयोगी होते हुए भी अधिक लोगों को प्रभावित करती है और महत्वपूर्ण है।

सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर

Page No. 47

(श्री मोहनराज)

दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के हर छोटे और बड़े स्कूल में ब्याज फण्ड मेन्टेन किया जाता है। ब्याज फण्ड के अन्दर विद्यार्थियों से चाहे वे प्राइमरी स्कूल के हों, चाहे मिडल स्कूल के हों, चाहे हाई स्कूल के हों या कालेज के हों, उनसे विभिन्न बातों के लिए पैसा वसूल किया जाता है, और जब एक बहुत बड़ी राशि के रूप में वह इकट्ठा होता है तब उसका उपयोग मेनेजमेंट बड़े ही मनमाने ढंग से कुछ ही अध्यापकों द्वारा या जहां कहीं मुख्य अध्यापिका है उसके द्वारा किया जाता है। उसमें बच्चों की या पैसा देने वाले पेरेन्ट्स की या स्कूल की एक कमेटी है उसकी कोई राय नहीं ली जाती है, और जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह के फण्ड जो स्कूलों में रहते हैं उसके आडिट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आप रूल्स बनाइए और इसके आडिट की भी आप कोई न कोई ऐसी प्रणाली तैयार करें जिससे कि इस तरह से पैसा जो विद्यार्थियों से इकट्ठे किये जाते हैं उनका दुरुपयोग न हो और पैसा देने वाले जो अभिभावक हैं वे भी यह महसूस करें कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है और एक मुख्य चीज की पूर्ति के लिए जा रहा है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि जगह जगह गांवों में कई दानदाता स्कूलों के लिए भवन बना कर देते हैं और आज वे भवन डिपार्टमेंट या पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, नतीजा यह होरहा है कि उनकी मरम्मत का कोई ठिकाना नहीं है; यहां तक कि आज से ८ वर्ष पहले या १६ वर्ष पहले के भवन बने हुए हैं, लेकिन आज तक उनको लेने का कोई काम नहीं हो रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि एक भी पैसा उनकी मरम्मत पर खर्च नहीं हो रहा है और वे भवन बहुत ज्यादा नुकसान के अन्दर जा रहे हैं। आप कहेंगे कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और कलेक्टर और वहां के विकास अधिकारी या एस० डी० ओ० की एक कमेटी बनादी है जो मौके पर जाकर सारी छान-बीन करके जांच करके टेक ओवर करने की कार्यवाही करते हैं, लेकिन कमेटी बनाने के बावजूद भी यह काम नहीं हो रहा है और आज भी बराबर यह मांग हो रही है। तो नतीजा यह हो रहा है कि नये भवनों के लिए दान-दाताओं की इच्छा होते हुए भी वे आगे नहीं आ रहे हैं। पहले के बनाये हुए भवनों को भी सरकार ग्रहण नहीं कर रही है तो उनके भवनों को भी ग्रहण नहीं करेगी और उनकी हालत बदतर होती जायेगी। इसलिए मौजूदा भवनों की व्यवस्था ठीक हो पाये, इसके लिए आप उनको ग्रहण करने की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करें।

इसके साथ-साथ ही मैं एक और निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनको मिडल स्कूल में बदलने की बड़े जोरों से मांग हो रही है। गत दो-तीन वर्षों से बराबर यह कहा जा रहा है कि इसके लिए फण्ड्स नहीं हैं। जहां तक मैं ख्याल करता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी के लिए लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, और उन यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी चीजों को लाने के लिए लाखों रुपयों का प्रावधान करते हैं जो कि लग्जरी में शुमार होती है उसमें जरा भी नहीं हिचकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे गावों में जहां प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ५०० से ६०० तक पहुंच गई है और आस-पास आगे पढ़ने के साधन नहीं है, वहां पर प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल बनाते वक्त हम कहें कि पैसा नहीं है,

Page No. 48

(श्री मोहनराज)

फण्ड्स नहीं है, तो मेरे खयाल से यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है ।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे बाली के इलाके में खुडाला में एक प्राइमरी स्कूल है और ५ हजार उस गांव की जन-संख्या है, वहां आज दो शिफ्टों में बच्चे पढने के लिए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या ६७५ है प्राइमरी स्कूल में । भवन वहां पर बना हुआ है । आज ५ साल से लगातार मांग हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

इसी तरह की स्थिति रानी गांव में है । उसकी आबादी भी ५ हजार की है और ६० हजार रुपयों की लागत से वहां पर भवन बनाया गया है । अधिकारी लोग मौके पर भवन को देख चुके हैं । चार साल से वह भवन यों ही पड़ा हुआ है । वहां पर मिडल स्कूल नहीं बनाया गया है और गांव वालों का सारा उत्साह खत्म हो रहा है । उन्होंने इतनी मेहनत से, गरीब लोगों ने पैसा देकर भवन बनाया है, लेकिन आज उनके बच्चे आगे पढने के लिए मोहताज हैं ।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि हम तरह तरह की घोषणाएं करते हैं कि महिला शिक्षा के लिए सरकार कभी यह खयाल नहीं करेगी कि उसके पास धन की कमी है, यानी धन की कमी के कारण महिला-शिक्षा क्षेत्र की प्रगति में बाधा नहीं आयेगी । इस तरह की घोषणा राज्य सरकार ने कई बार की है और भारत सरकार ने भी की; लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वह क्षेत्र अभी तक हमारी दृष्टि से ओझल सा रहा है । हम अपने भाषणों में कहते हैं कि एक शिक्षित माता दो अध्यापकों से ज्यादा प्रभावकारी अपने बच्चों के लिए होती है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाय तो आज उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है । मैं सिर्फ आपका ध्यान सारे जोधपुर डिविजन में एक महिला शिक्षण संस्था है, मरुधर बालिका विद्यापीठ जिसकी ओर अभी माननीय सदस्य श्री दलपतसिंहजी ने ध्यान आकर्षित किया था, मैं भी आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि यह शिक्षण संस्था आज से १० वर्ष पहले से इस क्षेत्र में लडकियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लेकिन यहां पर छात्रावास के अभाव के कारण २० बच्चियों को उन्हीं कमरों में पढना पडता है, उन्हीं कमरों में सोना पडता है, उन्हीं कमरों में रहना पडता है । हालत यह है कि बहुत अधिक छात्राओं की प्रवेश के लिए मांग होते हुए भी वहां के व्यवस्थापक उनको प्रवेश नहीं दे पाते हैं । उसके लिये हम प्रति वर्ष कहते हैं, वहां के व्यवस्थापक-मंडल ने आपके यहां दर्ख्वास्त दे दी कि छात्रावास के लिये ग्रान्ट-इन-एड दें । आपके यहां से कहा गया कि ग्रान्ट-इन-एड मिले न मिले, लोन के लिये प्रार्थना-पत्र दे दें । लोन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हुए भी ७-८ वर्ष हो गये, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । ग्रान्ट-इन-एड मिलती है या लोन भी मिल जाता है तो भी हम छात्रावास बना सकते हैं । लाखों रुपये इकट्ठा करके कम खर्च में वहां पर बच्चियों को पढ़ाते हैं; उनके रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, अगर वहां पर छात्रावास बनाने की व्यवस्था हो जायगी तो वहां के लोगों का उत्साह बढ़ेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल मदद पहुंचाकर छात्रावास बनाने की ओर ध्यान देंगे

Page No. 49

(श्री मोहनराज)

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। माननीय श्री जोधसिंहजी ने इशारा किया था और विशेष उदाहरण देकर बताया था कि जहां के प्रोफेसर और अध्यापक शराब पीते हैं वहां के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सोचता हूं कि इस तरह की शिकायत कई तरफ से शिक्षा विभाग के पास आती है। मेरा सुझाव है कि शिक्षा विभाग में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है और समाज में भी हम उनको आदर का स्थान देना चाहते हैं। इसके लिये आप नियम बना लीजिये कि कोई व्यक्ति अध्यापक के लिये प्रवेश करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है तो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन यह होना चाहिये कि वह शराब नहीं पीने वाला हो। यदि यह प्रावधान आप नियमों में करेंगे तो मेरा ख्याल है बच्चों का आचरण अच्छा होगा ही, समाज में उनका आदर का स्थान होगा। मैं समझता हूं इस ओर भी आप ध्यान देंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर मैं निवेदन करूंगा कि अध्यापक जिनका विभाग द्वारा और पंचायत सर्विस कमीशन द्वारा जिस प्रकार चयन किया जाता है, जिस प्रकार उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस नीति की तरफ प्रथम रूप में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमें यह देखने को मिला कि शिक्षा विभाग की ओर से गत दो वर्षों में सैंकड़ों की तादाद में अध्यापकों को ट्रेनिंग दिलाई गई और उनके साथ साथ पंचायत विभाग की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट सर्विस कमीशन की ओर से ट्रेनिंग दिलाई गई और उन लड़कों ने अपना भविष्य निर्माण इसमें समझ कर सैंकड़ों की तादाद में दोनों ओर से ट्रेनिंग ली। लेकिन आज उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए आश्चर्य होता है कि आखिर आपकी क्या नीति है? आपने विभाग की ओर से जिन अध्यापकों को ट्रेनिंग दिलाई उनको कोई एम्पलोयमेन्ट नहीं मिल रहा है। यदि वे पंचायत विभाग की तरफ जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह हमारी ट्रेनिंग नहीं है; हमने जिनको ट्रेनिंग दिलाई है उनको हमारी प्राइमरी स्कूलों में रखेंगे और आपके विभाग में जाते हैं इन्सपेक्टर कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है इसलिये कहीं नहीं लगा सकते। सैंकड़ों की तादाद में आपने इन लड़कों को ट्रेन किया, उनके संबंध में आपकी क्या नीति है? दोनों में समन्वय करके यदि आप उनको नौकरी पर नहीं रख सकते हैं तो आपने उनके साथ क्यों खिलवाड़ किया? मैं कहूंगा कि आगे के लिये या भविष्य के लिये भले ही आप इस ट्रेनिंग को बंद कर दें, लेकिन जिनको आपने ट्रेनिंग दिलाई है उनको तो एम्पलोयमेन्ट दें। इसके लिये आपकी योजना होनी चाहिये, नीति होनी चाहिये जिससे उनका भविष्य ठीक हो सके।

इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं स्थानीय समस्याओं की ओर। मैं आशा करता हूं, शिक्षा मंत्रीजी विचार करेंगे। दौसा में डिग्री कॉलेज को खोले ६-७ साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है। जिस वक्त यह कॉलेज खोला गया था उस वक्त आपके विभाग की ओर से हमसे मांग की थी और हमने बिल्डिंग के लिये आपसे वादा किया था। ३० हजार रुपयों का होस्टल बना कर दिया था और २५ हजार रुपयों का बैंक आपके सेक्रेटरी के नाम का दिया था। आज ५-६ वर्ष बीत गये हैं, उसके ब्याज तक का पता नहीं है। न तो वह पैसा युटिलाइज होता है और न बिल्डिंग बना है। पब्लिक से ३० हजार रुपये एक ओर २५

Page No. 50

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

हजार रुपये एक; कुल मिलाकर ५०-५५ हजार रुपये लेकर कॉलेज खोला है। या तो उन रुपयों का उपयोग आपके विभाग द्वारा किया जाय और नहीं तो ये रुपये वापिस दिये जायं। आपके सामने अर्थाभाव है तो थोड़े थोड़े रुपये लगाते तो भी अब तक बिल्डिंग तैयार हो सकती थी। आपकी ओर से जो आश्वासन दिया जाता है उसको पूरा नहीं किया जाता। यदि आपको रुपये नहीं लगाने हैं और यदि आप यह मानते हैं कि हाई स्कूल बिल्डिंग में ही कॉलेज चल सकता है, इसका जो प्रभाव छात्रों पर पड़ता है उसको आप सहन करने को तैयार हैं तो हमारे २५ हजार रुपये वापिस दिलवाइये और यदि रुपये वापिस नहीं देना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े रुपये लगा कर दो-दो तीन-तीन कमरे तैयार करवाइये, ताकि लोगों को मालूम तो हो कि बिल्डिंग तैयार हो रही है। आप इस ओर से सोये हुए हैं। आप भी वहां पर आ चुके हैं। हर शिक्षा मंत्री वहां पर जाते हैं; उन्होंने देखा है, पर वहां से आकर खामोश हो जाते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिये मुझे मजबूर होकर सदन में कहना पड़ता है कि आप अपनी स्पष्ट नीति बतावें कि क्या करना चाहते हैं। इस हाई स्कूल बिल्डिंग में ही डिग्री कॉलेज चलाना पसन्द करते हैं या आपकी यह नीति है कि रुपये लगावें ?

मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि २ अक्टूबर को गांधी जयन्ती के अवसर पर उनकी मूर्ति का उद्घाटन करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने हजारों आदमियों के बीच दौसा में यह घोषणा की थी कि दौसा सब-डिविज़न में दौसा कस्बे की आबादी १६,००० की है वहां पर गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, वहां पर तीन-तीन हाई स्कूल्स लड़कों की हैं, एक सब-डिविजन में लड़कों की ६ हाई स्कूल्स हैं लेकिन एक भी लड़कियों की हाई स्कूल नहीं है, इस पर उन्होंने विचार किया और यह घोषणा की थी कि अगले वर्ष वहां पर गर्ल्स हाई स्कूल हो जायगी। इस घोषणा को डेढ़ वर्ष हो गया। इस ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया गया तो गये वर्ष उन्होंने कहा कि मैं भूल गया था। अगले वर्ष प्रोविज़न करूंगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का मखौल नहीं होने दें और यहां की आवश्यकता को भी समझें और यह बतावें कि गर्ल्स स्कूल दौसा में नहीं खोलने का क्या कारण है ? आपके पास इतना अर्थाभाव हो गया है कि एक सब-डिविज़न जहां कि आबादी ७-८ लाख की है वहां पर आप एक गर्ल्स हाई स्कूल भी नहीं खोल सकते। अगर आपके पास अर्थाभाव है तो वहां पर जितने हाई स्कूल्स लड़कों के लिये हैं उनमें से एक कम कर दीजिये और उसके स्थान पर गर्ल्स हाई स्कूल को प्राथमिकता दें जो कि उपयोगी हो।

मैं आपका ध्यान बांदीकुई स्कूल की तरफ दिलाऊंगा। वहां पर रेल्वे का एक हाई स्कूल है, उसको आप ४४,००० रुपये सालाना ऐड देते हैं। लेकिन रेल्वे वालों ने वहां पर अजीब स्थिति उत्पन्न कर दी है। वे पब्लिक के लड़कों का दाखिला उस स्कूल में नहीं करते हैं और कहते हैं कि रेल्वे वालों को ही एडमिट करेंगे। हमारी मांग है, शिक्षा मंत्रीजी से, मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे रेल्वे वालों के बच्चों के लिये ही उसको सीमित करना चाहते हैं तो आप जो उनको ४४,००० की ऐड देते हैं उसको बन्द कीजिये या आप उन पर पाबंदी लगाईये कि सबको एडमिशन दें।

Page No. 51

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

अंत में मैं कहूंगा कि बांदीकुई हाई स्कूल की अजीब दयनीय स्थिति है। शिक्षा मंत्रीजी और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वहां पर जितने टीचर्स हैं उससे आधी कुर्सियां नहीं हैं। फर्नीचर के लिये मांग है। वहां पर ३५,०००) रुपये पड़े हैं उनको युटिलाइज करके भवन बना दें और फर्नीचर की व्यवस्था करें। आठ आठ साल से रुपये पड़े हैं एक पैसे का भी उपयोग नहीं होता। किसी बहाने से आप अपने विभाग की तरफ से दे दें या जो ३५ हजार रुपया है उसमें से या किसी भी तरह फर्नीचर का इन्तजाम करें, ताकि वहां के सेक्शन्स में बैठने के लिए सुचारुरूप से व्यवस्था हो सके।

इन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा निवेदन है कि इनके बारे में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चौसरसिंह बाबेल !

श्री चौसरसिंह बाबेल (वेंगू) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों को प्राइमरी स्कूल सम्भलाकर सरकार ने उन मास्टरों को वहां के प्रधानों का और विकास अधिकारियों का गुलाम बना दिया है, ऐसा मालूम होता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे और इस तरफ ध्यान दे कि उनका तबादला किस कारण से होता है, उनको किस किस तरह से परेशान किया जाता है और उनसे जिस तरह के काम लिये जाते हैं जो बिल्कुल करने लायक नहीं होते हैं। मैं इन सब चीजों की अच्छी तरह व्याख्या करता, लेकिन मुझे इतना समय नहीं बख्शा गया है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दें।

इसके अलावा जो पंचायत समिति क्षेत्र में स्कूल अधूरे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और जो तालीम दी जाती है, उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि जो पढ़ाई कराते हैं उसके मुताबिक विद्यार्थी तैयार होते हैं या नहीं, उनका विकास कहां तक हो पाता है, उनका दिमाग कहां तक तैयार हो पाता है। मेरा निवेदन है कि आज जो पढ़ाई होती है वह ऐसी है कि विद्यार्थी लड़ाई-झगड़े, दंगा,-फसाद करते रहते हैं। इस ओर सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा आज पढ़ने के बाद लड़के या तो तफरीह करते रहते हैं या फिर चाहते हैं कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए। वह और किसी तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह नहीं है कि कोई दूसरा अच्छा काम है, कोई दूसरा धन्धा है जिसकी देश को जरूरत है उसमें लग जायं। इसलिए यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नौकरी के लिए ही लड़के तैयार हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं उनका उनके दिमाग पर क्या असर होता है, इसकी जांच करने के लिए आप कोई एक कमेटी नियुक्त करें, जो यह मालूम करे कि उन मोटी मोटी किताबों को पढ़ाने से उनके दिमाग पर क्या असर हुआ है।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि आज स्कूलों के अन्दर राजनीति की बातें हुआ करती हैं। जो मास्टर लोग हैं स्कूलों के अन्दर, वे चुनाव के समय में चुनाव के कामों में हाथ बटाते हैं। आप उन्हें ऐसे आदेश दें कि चुनाव के मौकों पर चुनाव की कार्यवाहियों में भाग न लें।

मैं कोई विशेष अर्ज नहीं करना चाहता हूं। मेरा इतना ही अर्ज करना है कि जो स्कूल

(श्री चौसरसिंह बाबेल)
अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराने की कार्यवाही करें। मेरे क्षेत्र धनोड़ा में स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है वह पूरा होना चाहिए। इसके अलावा जो कन्याशालाएं हैं जो दूसरी पाठशालाएं हैं, उनमें जिन चीजों की कमी है और जो पाठ्य पुस्तकें महंगी हो गई हैं, उन सबके बारे में विचार करके जो रियायत आप दे सकते हैं वह दें और पढ़ाई का कोई अच्छा तरीका निकाला जाय, जिससे उनका भी भला हो और देश का भी भला हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैंने कोई भाषण नहीं देणो है, मने तो म्हारा दुःख की बात करणी है···

श्री अध्यक्ष : फर्क कोई कोना।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : फर्क की बात तो है, मिनिस्टर साहब अठे है नहीं, में कुण ने बताऊं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आ जायेंगे। आप कहें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : म्हारी अर्ज या है कि लड़कियां की शिक्षा रे वास्ते राज्य कोई ध्यान नहीं देवे है। कहण ने तो बातां लम्बी लम्बी करे है, अफसर लोग भी करे है और मंत्री लोग भी करे है कि धन को टोटो कोनी···

श्री अध्यक्ष : एम० एल० ए० लोग भी करे है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एम० एल० ए० बात तो करे है, पण हाथ में कांई कोनी।

श्री अध्यक्ष : बात करणो तो हाथ में है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एम० एल० ए० भी लम्बी लम्बी बातां करे है। म्हारी कहणरी या बात है कि लड़कियां री पढ़ाई रे वास्ते जो लम्बी-लम्बी बाता करे है, वीको नतीजो कांई है। नतीजो कांई कोनी। म्हारा क्षेत्र देवगढ़ की बात मैं अर्ज करूं, देवगढ़ म्युनिसिपल टाउन है, वीं की आठ हजार की आबादी भी है, पण वठे लड़कियां रे वास्ते कोई स्कूल राज्य ने नहीं खोल्यो है। वठे री जनता मकान देवण वास्ते तैयार है, स्कूल रो खर्च देवण वास्ते तैयार है, लेकिन फिर भी सरकार कह देवे है कि लड़कियां री कमी है, कदई कह देवे है, इतनी लड़कियां होवे तो चाले, कदई कह देवे है, इतनी लड़कियां होवे तो चाले। म्हारो कहणो यो है कि जठे लड़कियां री शिक्षा रो सवाल है वठे इत्तो आगो-पीछो क्यों होवे है? म्हारो कहणो है कि यदि इण साल दो लड़कियां री कमी है तो भी स्कूल ने प्रारम्भ कर देओ, अगली साल आठ री जगह दस लड़कियां हो जायली। कहण ने तो यह कह देवे है कि लुगाइयां री घणी तरक्की हुई है, आपणा देश की प्रधान मंत्री महिला होयगी है, वांने आपां मुजरो करां हां। एक कहावत है, "घर री जिम्मेदारी सारी थारे जिम्मे पण कोठ्यार-भंडार मां हाथ मत लगाजे। या ही बात है, सारो काम-काज तो सम्हला दियो है पण यो कह दीनो है कि कोठ्यार-भंडार में हाथ मत लगाजे। म्हारी अर्ज है कि स्त्री-शिक्षा की बात करो हो तो लुगाइयां री शिक्षा के वास्ते कुछ

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

काम करो। सरकार सूं अर्ज है कि लुगाइयां री पढ़ाई रे वास्ते इन्तजाम कर दिराग्रो और देवगढ़ में एक लड़कियां रे वास्ते मैट्रिक स्कूल भी खोल दिराग्रो।

श्री अध्यक्ष : मांग पर बहस हो जाय; इसलिए जो भी माननीय सदस्य बोलें वे संक्षेप में बोल लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है, राजस्थान के पूरे वर्ग को एक समान शिक्षा दे। लेकिन हम देख रहे हैं, खास तौर से देहात और शहर में काफी फर्क रख कर चला जाता है। शहरों में बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों के लिए भवनों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन पंचायत समिति क्षेत्र में, जहां स्कूलों का बड़ा अभाव है, और जहां शिक्षा का अभाव नजर आता है, स्कूलों के भवनों का अभाव है, एक एक अध्यापक को सौ सौ छात्र को पढ़ाना पड़ता है उस पंचायत समिति क्षेत्र में यह एक व्यवस्था है कि किसी भी भवन का निर्माण कराया जाय तो उसमें आधे खर्च का श्रमदान अनिवार्य रूप से लिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस तरह का देहातों और शहरों में फर्क लेकर क्यों चलते हैं? इस फर्क को आप तोड़ दीजिये, आज जनता जो गांवों की है वह जग गई है और देहात के लोग अपना हक जान चुके हैं। जो पंचायत समिति क्षेत्र के लोग हैं, जो देहातों के लोग हैं, वह पंचायत बनाते हैं, जिला परिषद् बनाते हैं, एम० एल० ए० का चुनाव करते हैं और विधान सभा और लोक सभा भी बनाते हैं। लेकिन जहां समानता का प्रश्न आता है, वहां शिक्षा जैसे मामले के अन्दर भी आप देहात और शहर में फर्क लेकर चलते हैं, यह शर्म की बात है। जब आप शहरों में कॉलेज बनाते हैं और बड़े बड़े हायर सैकण्डरी स्कूल बनाते हैं, तो मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि आप देहातों के साथ इस तरह का भेदभाव का व्यवहार रख कर क्यों चलते हैं? यह क्यों रखते हैं कि कोई स्कूल भवन बने तो उसका आधा श्रमदान के रूप में खर्च दिया जाय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका कोई सुझाव हो या अभाव-अभियोग हो तो उस पर बोलें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अभाव-अभियोग यह है; न तो देहातों में स्कूलों के लिए

(२.३७ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अच्छे भवन हैं, न स्कूलों में लड़कों के बैठने के लिए टाट-पट्टियां हैं, न बोर्ड हैं। और कहीं पर अध्यापक नहीं हैं, और जहां हैं वहां एक अध्यापक को सौ सौ लड़कों को एजूकेशन देनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि स्कूल का रिजल्ट खराब रहता है। वहां तो वे किसी तरह पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वे आगे जाते हैं पढ़ाई के लिए तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है और इस कारण से जो उनकी प्रगति होनी चाहिए वह भी नहीं हो पाती है।

इसके अलावा हमारे बूंदी जिले के साथ सरकार की भेदभाव की नीति है। सरकार की यह नीति थी कि कुछ डिपार्टमेंट तोड़ें, तो उस दृष्टि से हमारे बूंदी जिले के अन्दर से इन्सपैक्टरी को ले जाया गया। वहां के अध्यापकों के बहुत से कैसेज हैं जो कि सिमट नहीं पाते हैं और दूसरे इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल्स उनको तय नहीं कर पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बूंदी में इन्सपेक्टरी फिर

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
से कायम करने की कृपा करें जिससे जो उलझे हुए मामले हैं उनको सुलझाया जा सके और समय समय पर इन्सपेक्टर वहां के स्कूलों का निरीक्षण कर सकें। आप यह जानते हैं कि बूंदी जिला शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ रहा है। कापारण जैसी जगह है जहां चार-चार मील से विद्यार्थी पढ़ने को आते हैं, लेकिन वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। देह में स्कूल के लिए भवन की जरूरत है। कापारण में तो महाराजा ने भवन देना स्वीकार किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों जगहों में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलना चाहिये।

इसके अलावा लाखेरी की २० हजार की आबादी है, लेकिन उसके आसपास भी कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। वहां पर यह कायम करना चाहिए और इसके अलावा मैं गर्ल्स स्कूल कायम करने के लिए भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आमेट) : दूसरा डिपार्टमेंट लिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : yes, yes.

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : दो मिनट के लिए हमें भी कहने दें जरा। मिनिस्टर साहब बैठ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी बहस हो गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : काफी हो गया है। मैं बोलूं तब आप बोल लेना।

श्री दयाचन्द सोन : वैसे तो सुनते नहीं हैं, दो मिनिट बोल लूं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : बोलने दें, क्या हो गया?

श्री दयाचन्द सोन : दो मिनिट में कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा जब विनियोग विधेयक आयेगा तब।

श्री दयाचन्द सोन : तब जवाब देंगे नहीं, साहब। अब तो जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! व्यवस्था को खराब मत कीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस शिक्षा पर हुई है उसमें सबसे पहले जो कटौती प्रस्ताव आये हैं मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा और इसके बाद जो जनरल बातें हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा।

माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वे एक तो विज्ञान के विषय के बारे में रखे हैं—कि स्कूलों में विज्ञान का विषय खोला जावे और दूसरा एरियर्स और शिक्षकों के फिक्सेशन के बारे में हैं और तीसरा टाइप है जो अजमेर में म्युनिसिपल स्कूलों के बारे में है।

मैं माननीय सदस्यों को इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक विज्ञान विषय खोलने का संबंध है, गत वर्ष राज्य सरकार ने ५७ स्कूलों में विज्ञान का विषय शुरू किया था। जिसमें से ४० स्कूलों में साइन्स और मेथ-मेटिक्स और १३ स्कूलों में बायलोजी के साथ था और ४ में कृषि, इस तरह से कुल ५७ स्कूलों में विज्ञान खोला गया। अब जहां तक मैं अनुमान करता हूं अब तक हम ४७.७ परसेन्ट हमारे यहां हाई स्कूल और हायर-

Page No. 55

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
सेकिन्डरी स्कूलों में विज्ञान के विषय खोल चुके हैं। गत वर्ष का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ५७ स्कूल खोलने के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों का अभाव रहा और अब तक भी, गये महीने तक, यह शिकायत आती रही कि हमारे यहां स्कूलों में साइन्स के टीचर्स नहीं पहुंचे और किसी तरह कुछ किया और फिर रेशनलाइज़ेशन करके और किसी को कहीं से इधर-उधर करके, कमी करके गये महीने तक उस संख्या को पूरा किया। अगर गये साल की तरह चलेंगे तो मैं समझता हूं कि विज्ञान के टीचर्स मिलना मुश्किल होगा। फिर भी इस पर काफी हम विचार कर रहे हैं। अभी मैं संख्या नहीं बता सकता, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, उसके लोकेशन के आधार पर और वहां के साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए विज्ञान की क्लासेज खोलेंगे। मैं निश्चित तौर से बताना चाहता हूं कि सरकार विज्ञान के शिक्षण पर विशेष ध्यान देती है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल में जो राजस्थान में हैं, विज्ञान का विषय खोला जावेगा।

जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है जितने ग्रेजुएट निकलते हैं उनको प्रशिक्षण देंगे जिससे वे विज्ञान के विषय को पढ़ाने योग्य हो जावें।

इसके अलावा आपको और माननीय सदस्यों को सभी को मालूम है कि गत वर्ष सरकार ने यह फैसला किया था कि विज्ञान के अध्यापकों को हम दो एडवान्स इन्क्रीमेंट देंगे। उसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले और नहीं आये और हमने उनको दो एडवान्स इन्क्रीमेन्ट दिये थे फिर भी रुकावट हुई। विज्ञान के पढ़े हुए लोगों की वास्तव में मांग बहुत रहती है।

दूसरे जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये वे कुछ एरियर्स के बारे में हैं। जैसा कि सदन के सामने मांग रखी गई है, उससे यह पता लगता है कि फिक्सेशन के मामले काफी हद तक तय हो चुके हैं। पंचायत समितियों में १४॥ लाख की मांग के लिये प्रस्ताव रखा है। वह इसलिये है कि पंचायत समितियों में शिक्षकों के फिक्सेशन के मामलों को करीब करीब निपटा दिया है। इसी तरह से आप देखते हैं कि दूसरी हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूलों के मामले हैं उनमें भी हमने काफी गौर से निपटाने की व्यवस्था की है और इसलिये ७॥ लाख रुपयों के लिए प्रावधान रखा है वह उनको चुकाने के लिये किया गया है। करीब करीब हमने १००० से ज्यादा मामले निपटा दिये हैं। और अब मैं समझता हूं कि ३६७ मामले ऐसे हैं जो कॉम्पलीकेटेड हैं और जिनमें देर लग सकती है, बाकी सभी मामले महीने दो महीने में निपट जावेंगे।

श्री दयाचन्द सोनी : आपके कितने मामले अब बचे हैं? यह ३६७ जो आपने कहा है उसके अलावा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर बच जावेंगे तो बच जावेंगे लेकिन ३६७ ऐसे कॉम्पलीकेटेड मामले हैं उनको छोड़ कर सब मामले तय हो जावेंगे।

इसके अलावा टीचर्स के एरियर्स का प्रश्न है। वह करीब १० हजार के करीब मामले थे उसमें से पुराने महकमों के बिल

Page No. 56

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

१०२१६ थे और नये बिल भी ३१-३-६४ तक कुछ थे। उसके बाद नये मामले भी आये और मैं समझता हूं कि स्थिति बहुत संतोषजनक रही है। ३१-३-६४ को २,१६३ मामले हैं जिससे सदन को पता लगता है कि इस बारे में काफी प्रगति हुई है और काफी एरियर चुका दिया गया है।

जहां तक फिक्सेशन का प्रश्न है। एक बात यह उठती है कि ग्रेजुएट लो ग्रेड में चलते हैं और उनमें असंतोष चलता है। हमारे यहां फिक्सेशन और सिनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं होने से यह तय नहीं हो सकता था कि कौनसी जगह भरनी है। इसलिये सब प्रोमोशन्स एडहॉक बेसिस पर हुए। अब सीनियोरिटी लिस्ट निकल गई है तो मैं समझता हूं कि महीने दो महीने में यह सब हो जावेगा। दो महीनों में थर्ड ग्रेड की भी लिस्ट निकल जावेगी वह अन्डर प्रिन्ट है। जब सेकिन्ड और थर्ड की लिस्ट फाइनेलाइज हो जाती है तो हमें मालूम हो जावेगा कि सेकिन्ड केटेगरी में कितनी जगह हैं जिनमें थर्ड से प्रोमोशन देंगे। हमने यह भी निश्चय कर लिया है कि जो नये रिक्रूटमेंट होंगे उसमें ५० परसेन्ट नये होंगे और ५० परसेन्ट प्रोमोशन से जगह भरी जावेंगी। इसके अलावा कोई नया टीचर है और वह थर्ड में है तो भी नये रिक्रूटमेंट के लिये फर्स्ट या सेकिन्ड में एप्लाई कर सकता है और जैसा मैंने थोड़े दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि जो एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं जो ४० साल से ऊपर भी हों वे नये रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं और इससे मैं समझता हूं कि टीचर्स को बहुत जबरदस्त राहत मिलेगी।

इसके अलावा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने म्युनिसिपेलिटी की स्कूलों के टीचर्स और चपरासियों का प्रश्न उठाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे ध्यान में नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी बात है तो मैं जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा।

जहां तक शिक्षा के सम्बन्ध में जनरल डिस्कशन की कई तरह की बातें कही गई हैं; कई जगह नई स्कूलें खोलने की मांग पेश की गई, कई जगहों के लिए कहा गया कि हमारे यहां मिडिल स्कूल हैं उनको हाई स्कूल कर दिया जाय; कहीं के लिए कहा गया कि हमारे यहां हाई स्कूल है उसको हायर सैकन्डरी बनाना चाहिए। एक बात की ओर निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, वैसे बड़ी कॉम्पलीकेटेड चीज है, उसके बारे में निश्चित रूप से तो शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट आने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। प्रोब्लम यह है कि ६२, ६३, ६४, व ६५ में जितने स्कूल खोले वे सब हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोले। जितने पुराने कस्बे हैं, टाउन्स हैं, उनमें जो पुराने हाई स्कूल्स चले आ रहे थे वे हाई स्कूल ही रह गये और इस तरह कई सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर हाई स्कूल्स हैं और तहसील हैड क्वार्टर्स पर हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं। अगर तहसील हैड क्वार्टर्स के हायर सैकन्डरी स्कूल को डाउनग्रेड करते हैं तो वहां के लोगों को शिकायत होती है और सबडिवीजनल हैड-क्वार्टर्स के हाई स्कूल्स को हायर सैकन्डरी स्कूल्स बनाते हैं तो इसमें डबल खर्चा आता है। इसलिए शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट पर ही इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा कि थी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
ईयर्स कोर्स रहे या नहीं रहे। तो इस सम्बन्ध में जो चीज कही गई है, उसको मैं वाजिब मानता हूं।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : हमेशा यही बात कहते आये हैं। किये जाओ वायदे पर वायदे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप बीच में बोलेंगे तो जो नई चीज में कहना चाहता हूं, वह नहीं कह सकूंगा, रूटीन में जैसे कहा जाता है कह दूंगा।

मैं सुझाव देना चाहता था कि अगर किसी तरह से प्रावधान रख कर हम यह निर्णय कर सकेंगे कि जिला परिषदें ही निर्णय करलें कि उनके वहां किन किन हायर सैकन्डरी स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया जाय और किन किन हाई स्कूलों को हायर सैकन्डरी स्कूल्स कर दिया जाय..........

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह तो बड़ी गलत चीज होगी।

श्री जोधसिंह चौहान : बढ़ाने की तो बात नहीं करते, उल्टे डाउन-ग्रेड करने की बात कहते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : यह तो प्रोब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो इस तरह से कर दिया जाय कि जहां लड़कों की काफी संख्या है, उस हाई स्कूल को हायर सैकेन्डरी कर दिया जाय और मैं प्रयत्न करूंगा कि ५०० लड़कों से ज्यादा जहां तादाद है और वहां हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है तो उनको हायर सैकन्डरी स्कूल बनाने का प्रयत्न करूं, पर इससे नये हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने में कमी आ सकती है। तो हमें इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, जहां ५०० लड़के हैं उनको पहले लें।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने हमारी बात नहीं बताई, दवा गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपकी बात भी बताता हूं। श्री जोधसिंहजी ने उदयपुर की पोलीटेक्निक की हड़ताल के बारे में सदन को निवेदन किया। मैं यह बात तो सदन को निवेदन करूं कि जहां तक इस स्ट्राइक का सवाल है, लड़के पन्द्रह-बीस दिन बाद मेरे पास आये तो मैंने उनसे पूछा कि डाइरेक्टर, टेक्निकल एजूकेशन से बात की या नहीं की? तो उन्होंने कहा कि हमने तो हड़ताल करदी, हम किसी के पास क्यों जायें? मैंने उनको डाइरेक्टर, टेक्निकल एजूकेशन के पास भेजा, उन्होंने जोइन्ट डाइरेक्टर को उदयपुर भेजा और वहां वह हड़ताल खत्म हुई। अगर प्रधानाचार्य के कारण कोई गड़बड़ी होती है तो हमको नहीं चाहिए इस प्रकार का प्रधानाचार्य। उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैं जांच कराऊंगा। (हियर हियर)

श्री जोधसिंह चौहान : धन्यवाद है आपको।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके अतिरिक्त कई प्रश्न उठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और यह सवाल उठाया गया कि किसी प्रकार का ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिससे निजी सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं पर कन्ट्रोल कर सकें। मैं यह मानता हूं कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं कुछ खराब भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं। उन

Page No. 58

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पर किसी प्रकार नियन्त्रण किया जाय, इसमें दो तरह की राय है। कुछ लोगों का मानना है कि उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जाय, बेईमानी की जाय उस हद तक तो नियन्त्रण रखा ही जाय ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में कुछ ऐसी भी हैं जो अच्छे प्रयोग करती हैं, अच्छा कार्य करती हैं। बहुत सी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के रिजल्ट को देखा है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके यहां ऐसा सवाल तो है ही नहीं कि उस संस्था में जाकर रहेंगे तो एज लिमिट हो जायगी, ट्रान्सफर हो जायगी या रिटायर हो जायेंगे । तो सार्वजनिक संस्था में जो कार्य करते हैं उनका उद्देश्य हो जाता है कि हर प्रकार से उन संस्थाओं को आगे बढ़ायें । इसलिये वहां काम अच्छा होता है। हमारे यहां यह होता है कि एक ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो उसको दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इसलिए उनको किसी संस्था से मोह नहीं होता। पर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वालों को उन संस्थाओं से मोह हो जाता है। जितना मोह उन लोगों को होता है अपनी संस्थाओं से उतना हमारे यहां काम करने वाले लोगों को उस संस्था से नहीं हो पाता । इस कारण सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में हमारी इन संस्थाओं के मुकाबले अच्छा काम होता है। झूठे बिल पेश करने लग जाते हैं जो इससे खराबियां भी पैदा हो जाती हैं। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में लड़ाइयां भी बहुत होती हैं, दबल देते हैं सो गड़बड़ी पैदा हो जाती है, इसलिए हमने अब तक तो यह नीति बनाई है कि लड़कों की पढ़ाई में हम किसी तरह का डिस्टर्बेन्स पैदा नहीं होने देते। अगर वहां मेनेजमेन्ट वाले किसी तरह की गड़बड़ करते हैं तो वहां के टीचर्स को हमारे यहां से डायरेक्ट तनख्वाह चुका देते हैं। अजमेर में एक सार्वजनिक संस्था में झगड़ा हुआ तो हमने इन्सपेक्टर को कहा कि वहां जितने मास्टर हैं उनको तनख्वाह दे आओ और इस तरह से उन टीचर्स को तनख्वाह चुका दी गई। तो उन पर कुछ न कुछ कन्ट्रोल रखने की आवश्यकता है, वरना वे-लगाम चलते रहते हैं। हमारी यह नीति है कि किसी सार्वजनिक शिक्षण संस्था में गड़बड़ होती है तो या तो उसकी ग्रान्ट-इन-एड बन्द करदी या एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया । तो किसी न किसी प्रकार का लेजिस्लेचर इस सम्बन्ध में बनाया जाय, यह आवश्यक है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से एक ड्राफ्ट बिल हमारी राय के लिए आया हुआ था, वह अगर मान लिया जाता है तो फिर हम उस बिल को अडाप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं।

(३.०० म.प.)

यहां यह भी कहा गया कि साहब ! हमारी जो प्रणाली है वह बड़ी खराब प्रणाली है। हम अपने यहां पर टैक्नीशियन ज्यादा पैदा नहीं करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है कि टैक्नीकल एजूकेशन हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़नी चाहिए और उस तरफ हम ज्यादा जोर देते हैं, और इसलिए इस साल में हमारे यहां छः पोलिटेक्निक स्कूल हैं, उनकी छात्र संख्या, इनटेक कैपेसिटी है, उसको बढ़ा कर काफी ज्यादा कर दिया है। दूसरे यह कर दिया है, किसी एक संस्था में काफी छात्र जाते हैं और दूसरी जगह पर कम रहते हैं, वहां ज्यादा नहीं हो पाते, इसलिए हमने इन पोलिटेक्निक स्कूलों में एडमीशन देने के कार्य का कन्ट्रोल यहां जयपुर में करने का निश्चय किया।

Page No. 59

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है, जैसा कि अभी तक रीजिजन में हुआ करता है, ताकि सब पोलिटेक्निक स्कूलों के लिए छात्र संख्या को बराबर की संख्या में विभाजित कर सकें। इसके अलावा आयन्दा साल दो और पोलिटेक्निक स्कूल खोलने का निश्चय किया है--एक जयपुर में और दूसरा भरतपुर में। यह दो पोलिटेक्निक स्कूल कायम हो जायं और जो हमारा आज के दिन कैपेसिटी है उससे ड्योढ़ा कैपेसिटी हम एक साल में बढ़ा देंगे। जो इनकी संख्या बढ़ाई है, दो नये स्कूल खुल रहे हैं उसके साथ साथ इनटेक कैपेसिटी भी बढ़ जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : साइन्स क्लासेज के बारे में कह दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : साइन्स क्लासेज के लिये मैंने निर्देश कर दिया कि साइन्स क्लासेज बढ़ाने की जो बात है वह प्रोबेबिलिटी ऑफ डायवर्जन और रेट की सिचुएशन के ऊपर डिपेन्ड करेगी। हमने इसके लिए डिपार्टमेन्ट से प्रोपोजल्स मांगे हैं। अब हमारे पास वे प्रोपोजल आ जाते हैं जिसमें यह हो कि कहां साइन्स क्लासेज खोलनी हैं, कहां अपग्रेडेशन करना है, फिर उसके बाद में बैठ कर क्राइटेरिया तय करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बोर्डिंग हाउस।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य इस वक्त सदन में नहीं हैं। उन्होंने यह कहा कि मेयो कॉलेज को ग्रांट-इन-एड दी जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संस्थायें काफी फीस चार्ज करती हैं और जहां पर बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं, उनको सरकार से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सरकार उनको ग्रांट-इन-एड दे। हम सेंट जेवियर कॉलेज को रनिंग खर्च के लिए ग्रांट-इन-एड नहीं देते हैं, इसी तरह से मेयो कॉलेज को रनिंग ग्रांट-इन-एड नहीं देते हैं। अगर अगर उसका नुकसान रह जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए कहा जा सकता है। यदि कोई हजार का, फीस आने पर भी, नुकसान रह जाता है और यदि कोई छात्रावास बनाता है इन्स्टीट्यूशन तो उस इन्स्टीट्यूशन को दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में डिस्पे-रिटी रहनी चाहिए। जहां जिन इन्स्टिट्यूशन्स में बड़े बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं उनको सरकार से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि स्टेट से ग्रांट-इन-एड ले लें ....

कुछ माननीय सदस्य : बिल्कुल ठीक है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा निवेदन है कि इस सदन को इस निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए कि इस प्रकार की संस्थाओं को कम से कम ग्रांट-इन-एड दी जाय और जहां गरीब छात्र पढ़ते हैं, जहां कम फीस ली जाती है ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): एम. जी. डी. को दी जाती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि स्पेसिफिकली पूछेंगे तो बता दूंगा। मुझे ख्याल नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कोटा में जो सोफिया स्कूल है उसको चैरिटेबिल फण्ड में से दिया गया है?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो संस्थायें फीस बढ़ा देती हैं उनके ऊपर चैक होना चाहिए।

Page No. 60

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सदन को निवेदन करूं कि संस्थाओं का-कैटेगराइजेशन करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की गई है। हम यह चाहते हैं कि ग्रान्ट-इन-एड ग्रांट्स के लिए इन्स्टिट्यूशन्स का कैटेगराइजेशन हो। इस कैटेगराइजेशन कमेटी ने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है और जो रिकमन्डेशन आई हैं उनके ऊपर गवर्नमेन्ट विचार कर रही है कि किस टाइप की इन्स्टिट्यूशन किस कैटेगरी में हो। सबसे पहले यह तय हो जाय कि किस टाइप की इन्स्टिट्यूशन को किस कैटेगरी में माना जाय। किस टाइप की इन्स्टिट्यूशन को 'ए' कैटेगरी में माना जाय, जिसको ८० प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड देते हैं, किस टाइप की इन्स्टिट्यूशन को 'बी' में माना जाय जिसको ७० प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड देते हैं, किस टाइप की इन्स्टिट्यूशन को 'सी' कैटेगरी की माना जाय जिसको ६० प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड देते हैं और किस टाइप की इन्स्टिट्यूशन को 'डी' कैटेगरी में माना जाय जिसको ५० प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड देते हैं। उसमें यह निश्चित है कि जो इन्स्टिट्यूशन को फीस में मिलता है, जो इन्कम फीस से होती है, उसको काट कर जो चीज आती है उसको सामने रख कर तय करेंगे। जो फीस रखी है उस फीस से वसूल होने वाली राशि को काट कर तय करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो साम्प्रदायिक स्कूल जनसंघ चला रहा है उसको ग्रान्ट-इन-एड देते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्यों बकवास करते हो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : साम्प्रदायिक स्कूल के लिए रूल साफ हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : कांग्रेस के स्कूल हो होंगे। जनसंघ के स्कूल नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है...

श्री जोधसिंह चौहान : पंचायत समितियों में कांग्रेस के स्कूल हैं और दूसरे कांग्रेस के स्कूल हैं। जनसंघ का कोई स्कूल नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : एक बोर्ड।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उदयपुर में चलता है, एक साम्प्रदायिक स्कूल चलता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह है कि एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से तो ग्रान्ट-इन-एड देते हैं लेकिन उसके अलावा कलेक्टर के पास जो चैरिटेबल फंड बनाया है, एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज एक्ट के तहत जो कलेक्टर के पास में फंड इकट्ठा होता है तो, जैसा आपने कहा कि बड़ी बड़ी संस्थाएं एसी हैं, जो बाहर से पैसा ला सकती हैं उनके बारे में नीति है कि हम उनको पैसा नहीं देंगे। लेकिन देखा देखने में आया है कि पैसा प्राप्त करने के भिन्न भिन्न स्रोत हैं। भले ही एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से ग्रान्ट-इन-एड नहीं लें या दूसरे डिपार्टमेन्ट से नहीं लें लेकिन इस चैरिटेबल फंड में से पचास हजार रुपया और यहां तक कि एक लाख रुपये की ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है। जब सरकार ने नीति बनाई है तो मैं समझता हूं कि ऐसी इन्स्टिट्यूशन किसी भी सोर्स से पैसा लेना चाहें तो एजूकेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा उसकी सिफारिश होनी चाहिए। कोटा के अन्दर एक सोफिया स्कूल है उसको पचास हजार रुपये की ग्रान्ट-इन-एड प्राप्त हुई है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौनसा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सोफिया स्कूल जो कॉलेज बन रहा है, उसको पचास हजार रुपया चैरिटेबल फंड से दिया जा रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि जहां तक ग्रान्ट-इन-एड का ताल्लुक है यदि और सोर्स से नॉन-रेकरिंग आइटम के लिए पैसा लिया जाता है और फिर उसी पर्पज के लिए हमारे पास ग्रान्ट-इन-एड के लिए आता है तो हम ग्रान्ट-इन-एड उस पर्पज के लिए नहीं देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह कहना ठीक है। लेकिन मान लीजिये, मेरी एक स्कूल है, मैंने पहले ग्रान्ट-इन-एड ले ली। उसके बाद में चैरिटेबल फंड से पैसा ले लिया। आप स्कूल की आवश्यकताओं को देखते हुए पैसा देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि सरकारी खजाने से दूसरे स्रोत से मैं पैसा ले चुका हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्रान्ट-इन-एड के जो रूल्स हैं, उसमें जहां तक रेकरिंग खर्च का सवाल है उसमें से जो फीस चार्ज कर ली जाती है वह डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन-रेकरिंग के लिए कहते हैं, यदि उसने पैसा बिल्डिंग के लिए लिया है और बिल्डिंग कम्पलीट है तो हमसे मांगने पर हम क्यों देंगे ? वो चाहें मर्जी हो वहां से ले। उसमें हम क्या करें ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : साम्प्रदायिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप मुझे स्पेसिफिक इन्स्टिट्यूशन बतायें तो मैं बता सकूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हम नीति जानना चाहते हैं कि क्या सरकार साम्प्रदायिक संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड देती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : साम्प्रदायिक संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ठीक है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आर० एस० एस० द्वारा चलाई जाने वाली संस्थायें हैं उनको आप साम्प्रदायिक मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप प्रश्न करेंगी तब मैं जवाब दे दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कह दें है या नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चाइना मेटर्निटी को आप क्या मानते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : खराब मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप सीरियसली प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आर० एस० एस० द्वारा चलाई जाने वाली संस्था को क्या मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह राष्ट्रीय नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसे क्या साम्यवादी संस्था मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : निवाई के बारे में · ·

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : होम में स्टूडेंट आर० एस० एस० की संस्था को राष्ट्रीय नहीं मानते।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और श्री दलपतसिंहजी ने स्त्री-शिक्षा के बारे में सवाल उठाया। मैं बताता हूं कि ऐसी संस्थायें, जो स्त्री शिक्षा को प्रेरणा देती हैं और गांवों में जो बालिकाओं की विद्या के लिए प्रचार करती हैं, उनको कुछ विद्या देती हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन अवश्य देगी और बाकायदा जो ग्रान्ट-इन-एड रूल्स में प्रावधान हैं उन प्रावधानों के मुताबिक अवश्य सहायता की जायगी।

यहां पर बॉयज फंड के बारे में एक समस्या उठाई गई। मैं समझता हूं कि बॉयज फंड के लिये रेग्यूलेशन बने हुए हैं और जो हमारा एजूकेशन कोड है उसमें बॉयज फंड के लिए किस प्रकार कमेटी का निर्माण करके उसको खर्च किस प्रकार से किया जायगा इसका प्रावधान मौजूद है। इसलिये नये प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अध्यापक बॉयज फंड इकट्ठा करके वाजिब तरीके से उसको किस प्रकार खर्च करें—उसके बारे में बैठ कर डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद हमने इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये हैं। उनके अन्तर्गत जो जरूरी छात्र-प्रवृत्तियां हैं उनके अन्दर बॉयज फंड का पैसा काम में लिया जा सकता है। लेकिन जैसा श्री मथुरेशविहारी ने कहा कि बॉयज फंड के पैसे से फर्नीचर खरीदना किया जाय, क्योंकि लड़कों के लिये बैठने को कुर्सियां नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह बॉयज फंड के पैसे का सही उपयोग करना नहीं होगा, क्योंकि यह लड़कों का खुद का ट्रस्ट है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम फर्नीचर प्रोवाइड करें। बॉयज फंड के पैसे से साहित्यिक प्रवृत्तियां चालू की जा सकती हैं, स्कूल में रेडियो लगाने वाली या और कोई बात हो तो उसमें खर्च किया जा सकता है। ऐसी चीजों के लिये प्रावधान हैं और उसके अन्तर्गत ही खर्च कर सकते हैं। हम इस बारे में सहमत नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, फर्नीचर खरीदने के लिए उस पैसे का उपयोग करने की इजाजत दी जाय।

कुछ एस. टी. सी. और कुछ प्रशिक्षित अध्यापकों के बारे में यहां सवाल उठाये गये। जहां तक किसी खास जिले का ताल्लुक है, जैसे जयपुर जिला है, वहां तो यह स्थिति है कि जितने अध्यापक पंचायत समितियों को चाहिये उनसे अधिक अध्यापक ट्रेन्ड हैं; लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर उनकी कमी है। हमारे ख्याल से ये ट्रेनिंग स्कूल चालू रहने चाहियें और हमारा विचार है उसके अन्तर्गत फोर्थ प्लान के अन्त में भी ७५ परसेन्ट ही अध्यापक ट्रेन्ड हो पायेंगे और २५ परसेन्ट फिर भी रह जायेंगे। अभी नवम्बर में १ हजार अध्यापकों को भेजा है, वे जून तक ट्रेन्ड होकर आयेंगे, उनकी जगह सब्स्टीट्यूट रखा है, उनसे समस्या का समाधान हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत हो, अभी माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, तो वे आकर कह सकते हैं। बाड़मेर में अध्यापकों की जरूरत है और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके वाले बेकार फिर रहे हैं, तो उनको वहां पर प्रोवाइड किया जा सकेगा, वे आकर बतायें। मौजूदा सूरत में

Page No. 63

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
अध्यापक पूरे प्रशिक्षित नहीं हैं इसलिये ये प्रशिक्षण केन्द्र चालू रहेंगे जब तक कि पूरे अध्यापक प्रशिक्षित न हो जावें।

गर्ल्स हाई स्कूल्स के लिये यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक गर्ल्स हाई स्कूल और हायर सैकन्डरी और मिडिल स्कूलों का ताल्लुक है आवश्यकतानुसार छात्राओं की संख्या काफी होगी तो हम कोशिश करेंगे। हम प्राथमिकता गर्ल्स एजूकेशन को देना चाहते हैं; इसलिये माननीय सदस्या जो भीम से आयी हैं उनको प्रसन्नता होनी चाहिये कि इस साल भी प्राथमिकता हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों में गर्ल्स को देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक-दो छात्रा यदि कम हों, तो भी खोल दिये जायेंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पूरी छात्रा तो होनी चाहियें, क्योंकि स्कूलों की मांग इतनी ज्यादा है कि उनको पूर्त्ति नहीं कर सकते। तादाद जो छात्राओं की मुकर्रर की गई है उतनी तो होनी चाहिये।

श्री जोधसिंह चौहान : माउन्ट आबू में जो कन्यायें हैं उनको कितनी सहायता देते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो आपको जानकारी होगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : योगाश्रम है और उसके बारे में कोई आपको खबर ही नहीं है। आप क्या जाने ज्ञान के बारे में?

श्री जोधसिंह चौहान : मैं तो एक उनकी दी जाती है उसके लिये पूछ रहा हूं। बाकी और बातें जो आप कहते हैं सो जानते होओगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जहां तक स्त्री शिक्षा का सवाल है, मैंने निवेदन किया। जहां तक लड़कों का सवाल है पर्याप्त संख्या होते हुए भी हम नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन जहां तक स्त्री शिक्षा का सवाल है पर्याप्त संख्या होने पर हम वहां पर खोल देंगे।

यह कहा गया कि बिल्डिंग की बहुत कमी है और उसके लिये प्रयत्न नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थिति आपको मालूम है। गत वर्ष भी नये स्कूल नहीं खोल पाये, मिडिल स्कूल नहीं खोल पाये और जहां पर बिल्डिंग्ज हैं वहां पर अनुदान नहीं दे पाये। यह स्थिति चलेगी। इतनी अवश्य जानकारी देना चाहूंगा कि लड़कों की संख्या ज्यादा होगी, वैसे की कतई गुन्जाइश नहीं है, सैकिन्ड शिफ्ट में भी पूरा नहीं कर सकते, तो कच्चा-पक्का, जैसा भी भवन मिल जायगा, हम यह संतोष करेंगे कि उसमें लड़कों को बिठा देंगे और हम यह नहीं करेंगे कि अमुक की बिल्डिंग ही बना कर देनी चाहिये। जैसी भी गांव में बिल्डिंग दे सकें उस से संतोष हो हो जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : देहात और शहर में आप भिन्नता रखते हैं, उसके लिये कहां तक आप उसको उचित समझते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक युनिवर्सिटी और कॉलेजेज का ताल्लुक है जो केवल देहात या शहर के लिये अलग अलग नहीं हैं। हाई

Page No. 64

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
स्कूल और हायर सैकन्डरी का तालुक है शहरों में बहुत पहले से हुए हैं और बाद में भी बने हैं, तो उन्होंने बिल्डिंग बना कर दी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : श्रम अनिवार्य कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक बिल्डिंग का ताल्लुक है हम इस बात को नहीं कहते हैं कि श्रम अनिवार्य कर दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यह कहते हैं कि इस प्रकार बिल्डिंग बना कर दो यदि स्कूल खुलवाना है तो। शहरों के साथ कोई कन्डीशन नहीं और गांवों के साथ यह कन्डीशन क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यदि आवश्यक है, किसी जगह स्कूल खुलना जरूरी है और मेरिट्स के आधार पर जरूरी है तो हम स्कूल जरूर खोलेंगे और इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि बिल्डिंग देते हैं या नहीं, लेकिन यह तो जब सरकार के पास पैसा होगा तब करेंगे। चाहे किराये पर लें या बनायें। बिल्डिंग मौजूद है, लाखों रुपये की बिल्डिंग है और मिल सकती हैं, लेकिन छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है, मेरिट्स पर नहीं है तो स्कूल वहां पर नहीं खोले जावेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह क्यों कि जनता बिल्डिंग दे ?

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : हाई स्कूल और मिडिल स्कूल खोलेंगे तो इतना इतना रुपया देना पड़ेगा, यह जो कन्डीशन है उसको हटा कर स्कूल मेरिटस पर खोल क्यों न दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां, मेरिट्स देखी जावेंगी। दस स्कूल खोलने हैं और सारा रुपया उसमें लगाना चाहते हैं, जहां बिल्डिंग नहीं है वहां पर मेरिट्स के आधार पर हो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि दस की मंजूरी हो जाती है तो कहते हैं कि हम पैसा देने के लिये तैयार हैं, हमारे यहां पर खोलो। रेकरिंग ग्रान्ट भी एक-दो साल के लिये देने के लिये तैयार हो जाते हैं, तो हमें क्यों एतराज है, हम खोल देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तहसील पर छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : छात्रावास की हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट इन्तजाम करना होगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दे सकें और छात्रावास खोल सकें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : शहरों में छात्रावास खोलते हैं और बिल्डिंग्स बना कर देते हैं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा :कॉलेजेज में होते हैं, जहां पर लड़के और लड़कियां सारे जिलों से आकर पढ़ते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि सारी एजुकेशन सम्बन्धी समस्यायें सदन के सामने आगयी हैं और मेरे से जितना निवेदन उस सम्बन्ध में हो सका मैंने निवेदन किया। आगे भी चालू साल के लिये आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

जो रकम मांगी गयी है वह अनुदान के रूप में दी जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री जोरावरसिंह चौहान : माउन्ट आबू में जो कन्याओं का आश्रम है, उसके लिये पूरी तरह से फरमाया नहीं, वहां पर रंगरेलियां होती हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री जोरावरसिंह चौहान : मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

आॅर्डर प्लीज।

श्री जोरावरसिंह चौहान : खेल के बारे में इतना रुपया खर्च होता है, स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध ३१ मार्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १ करोड़ ४ लाख ६० हजार रुपया तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

(३.२१ म.प.)

अनुपूरक अनुदान की मांग, मांग संख्या ४६ व ३६-सरकारी व्यापार तथा कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत व कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से और माननीय सदस्यों की सहमति से आगे आने वाली दोनों मांग एक साथ रखना चाहता हूं; दोनों ही मेरे विभाग से सम्बन्धित हैं। दोनों पर जो कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा आये हैं वे भी कॉमन हैं, अतः दोनों पर एक साथ बहस हो जाय। अतः मैं दोनों मांगों को एक साथ प्रस्तुत कर देता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६ करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१.४६ हजार तक की राशि और प्रदान की जावे।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]:—

मांग संख्या ४६

श्री कुमारसिंह (बैरट) : १. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (कोटा झालावाड़ जिलों में मोटे अनाज की खरीद की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(श्री जुझारसिंह)

मांग संख्या ३९

२. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला में लघु सिंचाई साधनों को प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : ३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मोटे अनाज की खरीद समयपर न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

४. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसींद क्षेत्र में फूटे हुए तालाबों का निर्माण नहीं कराया इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : ५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार मोटे अनाज खरीदने की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकी इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री शंकरलाल जाट (सादड़ी) : ६. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा मोटे अनाज के व्यापार में ढिलाई और लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ७. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मोटे अनाज की बिक्री में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

८. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु सिंचन योजनाओं को पूरा करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : ९. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खरीद तथा वितरण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३९

१०. मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में लघु सिंचाई योजना के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ११. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (धन के अभाव से सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज का उचित विक्रय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

१२. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४६

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): १३. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनाज के व्यापार में सरकार समुचित व्यवस्था नहीं कर सकी है, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

१४. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नल कूपों के निर्माण में समुचित ध्यान के बिना सरकारी रुपया नष्ट हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।]

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कटौती के प्रस्ताव हमारे सामने हैं उनको देखते हुए एक घंटे का समय हमारे पास है, उसी समय में हमें इन कटौती के प्रस्तावों को समाप्त करना है। उसके बाद मुख-बन्द का प्रयोग किया जायगा। अतः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने विचार संक्षेप में रखें ताकि सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताओं को बोलने का समय मिल जाय।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४६ और ३६ दोनों पर मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं। पहले मैं ४६ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की खाद्य की समस्या पिछले तीन सालों से बहुत संतोषजनक नहीं रही है। खाद्य समस्या के विषम होने के मेरे ख्याल से दो कारण हैं।

एक तो राज्य में खाद्यान्नों की पैदावार में कमी होने की वजह से और दूसरी अव्यवस्था की वजह से। खाद्यान्न की कम पैदावार के बारे में मैं ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा। लेकिन वितरण की अव्यवस्था की वजह से जो गड़बड़ियां हुईं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्र खाद्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार १९६४-६५ में करीब ५१ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। जबकि खपत हमारे राजस्थान में कुल है ४४ लाख टन की। सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर करीब ७ लाख टन खाद्यान्न पिछले साल ज्यादा उत्पन्न हुआ है। इस साल परिस्थिति दूसरी है। फूड सिचुएशन अनुसैटिसफैक्टरी होने का मुख्य कारण यह कहा जा सकता है

(श्री जुझारसिंह)

वितरण की अव्यवस्था और इन्तजाम की कमी, ये ही दो कारण हो सकते हैं। जिस राज्य में ७ लाख टन खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन हो उस पर भी कमी होना यह बताता है कि इसके वितरण आदि की व्यवस्था हमसे ठीक प्रकार से नहीं हो सकी है। वितरण और स्टॉक करने के बारे में हमारी कमी रही है। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां तक वितरण की व्यवस्था का सवाल है और स्टॉक बिल्डिंग का प्रोग्राम है उसको सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिये।

इस संबंध में मैं जनरल बात न कहता हुआ खास तौर से कोटा और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट्स की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा और झालावाड़ इलाका करीब करीब मिला हुआ इलाका है और नाज के बारे में सरप्लस इलाका है। ऐसी हालत में राज्य सरकार का दायित्व हो जाता है कि वहां पर जो नाज पैदा हुआ है, जिसको सरप्लस इलाका माना गया है, वहां की पैदावार को खरीदने की समुचित व्यवस्था हो। मक्का की खरीद की व्यवस्था फसल के करीब दो-तीन महीने बाद तक नहीं हो सकी है। राज्य सरकार द्वारा मक्का के भाव जो कायम किये गये थे, लेकिन उस भाव में खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार ने ४५ और ४६ के भाव मक्का के कायम किये थे, उस पर वहां बेचने के लिए लोग तैयार थे लेकिन लेने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। जहां आप भाव कायम करते हैं और दूसरी तरफ गल्ले की निकासी बन्द कर देते हैं वहां सरकार का दायित्व हो जाता है अपने फिक्स किये हुए भावों पर काश्तकार से माल खरीदे। यह बात जब तक नहीं होती है तब तक जिले बन्दी करना और भाव कायम करना कोई मायने नहीं रखता।

मक्का के भाव मेरे चेचट के इलाके में ३३ और ३६ रुपये क्विन्टल तक रहे हैं जब कि आपने भाव ४५ और ४६ रुपये क्विन्टल तय किये थे। वहां पर खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं। रावतभाटा जो चितौड डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर २४ रुपये क्विंटल मक्का और २४ रुपये क्विंटल ज्वार बिक रही है। चेचट और झालावाड इलाका जो मिला हुआ है वहां पर ज्वार तेरह और चौदह रुपये मन बिक रहा है। इस प्रकार से जो भावों में डिस्पेरिटी है उसके कारण वहां के लोगों में असंतोष है। आप जिलेबन्दी का काम करते हैं तो वहां माल खरीदने की आपके द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए।

कोटा और झालावाड डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा डिस्पेरिटी नहीं है; एक ही तरह की फसलें पैदा होती हैं, वहां एक ही तरह के नियम भी लागू हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरूआत ही की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): इसे तो आप मुख बन्द करवाकर ही पास करलें।

श्री जुझारसिंह: मैं उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट वाइज ही निवेदन कर रहा हूं।

कोटा और झालावाड दोनों जिलों में एक सी ही परिस्थिति है। झालावाड में मक्का ३६ रुपये क्विन्टल है तो कोटा में ४३ रुपया क्विन्टल। इस तरह से झालावाड में ज्वार ४३ रुपया क्विन्टल है और कोटा —

(श्री जुझारसिंह)

में ४६ रुपया इस तरह से भावों में असमानता की वजह से लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक है। सरकार की ओर से बताया गया है कि झालावाड के व्यापारियों द्वारा गल्ला खरीदा जा रहा है, व्यापारियों द्वारा ३६ रुपये का भाव निकाल देने से काश्तकारों को नुकसान है।

आप कोई भी प्रोग्राम भावों के बारे में निकालते हैं, वहां आप जिले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहां के लोग-बागों के फायदे को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाने चाहिए। व्यापारियों से कन्सल्ट करके, उनके द्वारा सुझाये गये भावों पर आप चल रहे हैं, उससे ६-६ रुपया प्रति क्विन्टल का फर्क रहा है। इस तरह से मिले हुए इलाको में भावों में फर्क हो जाता है, इससे जनता को नुकसान होता है। भविष्य में जो कोई भी भाव कायम किये जायें तो उसमें प्रेक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। अपने तरीके के भाव निकालने से कोई फायदा नहीं होता है।

दूसरे जिले के भावों में और हमारे जिले के भावों में काफी असमानता है। कोटा और झालावाड के मुकाबले, जहां ६५,६० और ५५ के भाव हैं वहां हमारे यहां ४३,४६ के भाव खरीदा जा रहा है। उन जिलों में जिलाबन्दी की हुई है। इन भावों पर जहां खरीदा जाता है उसमें डिस्पेरिटी नहीं बल्कि ड्योढी दुगनी भावों में जो जिलेबन्दी किये हुए हैं उनमें असमानता है।

आपका कोस्ट आफ मैनेजमेन्ट है वह भी प्रेक्टिकल होना चाहिए। आपके हिसाब से १०-१५ रुपया क्विन्टल फर्क पड़ता है। ४६ रुपये क्विन्टल के भाव से जो माल खरीदा जाता है उस पर आपके मैनेजमेन्ट का खर्चा दस रुपया पडता है, जब कि व्यापारी एक रुपया या दो रुपया क्विन्टल में एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाता है। आप उसको दस रुपया क्विन्टल पर भी मैनेज नहीं कर पाते। जब आप निर्धारित भावों पर माल खरीदते हैं तो वैसी हालत में निर्धारित भावों पर कम से कम खर्च करते हुए दूसरी जगह आपको भेजना चाहिए। जिलाबन्दी करने की वजह से किसानों को नुकसान होता है, क्योंकि वे एक जिले से दूसरे जिले में अपने माल को ले जाकर बेच नहीं सकते और उस जिले में उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस तरह से दोनों तरफ से काश्तकार का नुकसान है। मेरा यह निवेदन है कि आप जो भी नीति अपनावें उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। एक जिले से आप जिस भाव पर खरीदते हैं दूसरे जिले में आप उसको उससे भावों पर नहीं दे सकते। इस तरह से जो इलाका मध्यप्रदेश से लगता हुआ है, जैसे रामगंज मंडी, वहां पर खाद्यान्नों के खरीदने की व्यवस्था नहीं है। यह इलाका मध्यप्रदेश के इलाके से दस मील की दूरी पर है। उस मंडी में आस पास के गावों से अनाज आता है। पहले आपकी मंडी थी, लेकिन अब वहां पर मोटा अनाज खरीदने का प्रबन्ध नहीं। तहसील हैडक्वार्टर में अनाज के खरीदने की व्यवस्था नहीं होने से वहां के लोगों को काफी दिक्कत है। काश्तकार जो अनाज बेचने जाता है उसको सहूलियत हो, उसका एक्सप्लोइटेशन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरह से कोटा जिले में . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष : आपका लघु सिंचाई के विषय में भी है।

श्री जुझारसिंह : उस पर भी निवेदन करूंगा।

(श्री जुझारसिंह)

कोटा जिले का ३५ हजार बोरी गल्ला जिसमें ज्वार, मक्का भी शामिल है, पड़ा है। उसके लिए सरकार के सामने भी रिप्रेजेन्टेशन व्यापारियों ने किया है। उसके बारे में सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया। इससे उस सारे गल्ले के अधिकांश हिस्से के बरबाद होने का खतरा है। सरकार शीघ्र कोई निर्णय उसके बारे में ले। सरकार की ओर से मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार उसे ४२-४३ के भाव में खरीदने को तैयार है, पर व्यापारी देना नहीं चाहते। पर जहां तक मेरी जानकारी है सरकार का यह कहना नितान्त गलत है, सही नहीं है। आप कोई भी भाव निकालें; रुपया, दो रुपया कम निकालें पर जो आज पड़ा हुआ गल्ला सड़ रहा है उसको उठाने का या तो सरकार प्रबन्ध करे या व्यापारियों को परमिशन निकालने की दी जावे, ताकि समय पर उसका उपयोग हो सके और सड़ने से बचाया जा सके।

अगर सरकार के डिसीजन में देरी होती है तो वह गल्ला सड़ेगा, कुछ परसेन्टेज तो निश्चित् रूप से खराब हो जावेगा। इससे आज के इस अन्न संकट के काल में कठिनाई और बढ़ेगी ही; तो सरकार के यह तुरन्त सोचने की बात है।

गेहूं का नियन्त्रण आपने तोड़ दिया; अच्छा किया। पर इस बारे में भी आपने देर से निर्णय किया है। इससे कल्टीवेटर को नुकसान हुआ और समय पर निर्णय नहीं करने की वृत्ति सरकार की बनी रही तो आगे भी नुकसान होगा।

बीज की बोनी के बाद में काश्तकार गल्ले को बेचता है तो उस समय भाव का बन्धन हटा दिया गया होता तो इसका पूरा लाभ काश्तकार को मिलता। आज हटाने से व्यापारी को लाभ हुआ है। फिर भी जो भी निर्णय देर से भी किया, स्वागत योग्य है। पर साथ ही में यह भी आश्वासन सरकार से चाहता हूं कि आगे जाकर, दो-तीन महीने बाद, जब काश्तकार अपना गल्ला लेकर बाजार में आने लगे तो आप फिर से बन्धन न लगादो। इसको दुबारा लगाने से काश्तकार को नुकसान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह आश्वासन दे कि दो-तीन महीने बाद वह फिर से कन्ट्रोल भाव का वापिस कायम नहीं करेगी।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : जिलेबन्दी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है?

श्री जुझारसिंह : इससे काश्तकारों का नुकसान हो है। अगर जिलेदारी कायम करने की जिद्द पर सरकार कायम रहना चाहती है तो कम से कम प्रोपोर्शनेटली अच्छे भाव उसे काश्तकार को देने चाहिये।

(विरोधी पक्ष से 'हीयर-हीयर')

सरकार को इससे सहूलियत हो सकती है, पर भावों की व्यवस्था आपने समय पर बिठादी होती तो बिना किसी प्रकार जिलाबन्दी के भी सरकार को काफी गल्ला समय पर मिल सकता था। समय पर कदम नहीं उठाने से जिलाबन्दी की नौबत सरकार को आई है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि काफी तादाद में गेहूं और मोटा अनाज आपके भाव पर अवेलेबिल था। तो जिलेबन्दी के कारण वहां के काश्तकार को नुकसान है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री जुझारसिंह)

बार बार, उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजाते हैं तो इसलिये दूसरी मांग पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कट मोशन मांग संख्या ३९ पर है जिसका सम्बन्ध माइनर इर्रिगेशन से है।

कोटा में सरकार ने मेजर और मीडियम का प्रोग्राम बनाया है। मेजर चम्बल का है, दूसरे मीडियम के हैं। इनमें दो मुख्य हैं; भीमसागर और कालीसिंध। २३ में से ये दो ही ऐसे हैं जो कम्पलीट नहीं हो पाये; बाकी कम्पलीट हो गये; इसलिये उनके बारे में यह निवेदन करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय।

इनके अलावा कोटा में माइनर इरिगेशन के भी काफी प्रोस्पैक्ट्स हैं। दो-दो, तीन तीन मील के फासले पर ऐसा कोई एरिया नहीं जहां नदी-नाले आदि छोटे छोटे सिचई के साधन न हों। सिचाई के छोटे-मोटे इस तरह के साधनों से यह जिला भरा पड़ा है। "Grow more food" के सिलसिले में सरकार ने यहां इसके लिये सर्वे भी कराया था। मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में और पंचायत समिति सांगोद में सर्वे करके इरिगेशन विभाग ने सरकार को रिपोर्ट भी दी है, जिसमें कहा गया है कि वहां इस तरह के छोटे छोटे इरिगेशन के बहुत से साधन हैं। टेम्पोरेरी यूज के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये वहां पर सरकार ने डीजल पम्पिग सैट्स भी बांटे हैं। २० कोटा डिस्ट्रिक्ट में भेजे गये हैं, जिसमें से १४-१५ सांगोद पंचायत समिति में बंटे हैं। और अब भी वहां पर लोग महसूस करते हैं कि ये भी काफी नहीं है। इसी तरह दूसरे इलाके हैं, वहां भी माइनर इर्रिगेशन के लिये काफी प्रोस्पेक्ट्स हैं इसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास है। तो इस तरह की व्यवस्था जल्दी में की गई है, वह उन इलाकों में भी करनी चाहिये। साधन छोटे इर्रिगेशन के सारे जिले भर में बहुत हैं।

तो जहां आपने डीजल सैट्स बांटे हैं वहां तो परमानेन्ट कर दिये जावें उनको, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वह आगे के सालों में भी रहने वाली है, आगे भी साधन उपलब्ध होते रहने वाले हैं और अगर हो सके तो उन इलाकों में डीजल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी भी दें ताकि किसानों को और भी सस्ते भाव पर लिफ्ट का साधन मिल सकें। अभी डीजल मंहगा पड़ता है, पर फिर भी जो व्यवस्था सरकार ने की है इसके लिये धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की व्यवस्था जिला कोटा भर में सभी पंचायत समितियों में भी करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से कोटा डिस्ट्रिक्ट में पुरानी रियासत के जमाने के बांधे हुए बान्ध हैं जो आज टूट-फूट गये हैं, निग्लेक्टेड पड़े हैं; उनकी मरम्मत बरसों से नहीं हो पाई है; उनकी मरम्मत कराई जावे।

बहुत से ऐसे टैंक्स भी हैं जिनको सरकार और ठीक-ठाक कर दे तो सिंचाई के काफी साधन उपलब्ध हो सकते हैं। उनकी सर्वे कराई जानी चाहिये। कोटा जिले की पंचायत समितियों में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में तथा और कई अन्य जगहों में बहुत से साधन ऐसे हैं जिनके बारे में सदन का और मंत्री महोदय का ध्यान मैं समय समय पर आकर्षित करता रहा हूं। उनको सबको ठीक करके, उनकी मरम्मत करवा कर सिंचाई के लिये उपलब्ध कराया जाना नितान्त जरूरी है।

(श्री जुझारसिंह)

जो रियासत के समय के हजारों रुपये खर्च करके बनाये गये बांध वगैरा हैं, जिनके आज टूट जाने से सोइल इरोजन भी हुआ है जमीनें कट रही हैं, उन बांधों के टूटे होने से जो पानी वहां इकट्ठा होकर बहता है उसके नीचे की जमीन बराबर कटती जा रही है, तो वहां सोइल कन्जर्वेशन का कार्य भी शुरू किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४६ और मांग संख्या ३९ पर ...

श्री उपाध्यक्ष : काफी संक्षेप में आप बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो कहना है वह तो कहना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जितना कह सकें उतना ही कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सरकार ने जो मोटे अनाज को खरीदने के संबंध में कदम उठाये हैं और एक सरकारी व्यापार का दृष्टिकोण जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके का दृष्टिकोण न होते हुए भी थोड़ा बहुत जो कदम उठाया है, वह भी स्वागत के योग्य है। लेकिन सरकार जो मोटे अनाज का प्रबन्ध करना चाहती है या उसे किस प्रकार से करना चाहिये और तहसील हैड क्वार्टर्स या मंडी में अपने एजेन्ट्स के द्वारा या कोरपोरेशन के द्वारा या जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके द्वारा मोटा अनाज किस समय पर खरीदना चाहिये, किन भावों पर खरीदना चाहिये और किस प्रकार से उनको एप्रोच करके वह सामान मुहय्या करना चाहिए, इस व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी नजर आती है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वे समय समय पर, जहां पर भी उनको अवेलेबिलिटी है कि यह सामान वहां से मिल जायगा, और सुगमता से मिल जायेगा, उसी स्थान पर एप्रोच करके काश्तकारों को कीमत वगैरह की लुभावना देकर, जिस प्रकार से सामान खरीदते हैं उस प्रकार की एफीशियेन्सी राज्य सरकार के कर्मचारियों में नजर नहीं आती है। जहां भी खरीद का सवाल आता है तो काश्तकारों से कहते हैं कि जिनके तहसील हैड क्वार्टर्स या मण्डियों से बीस-बीस मील दूर गांव हैं उनको भी अपना अनाज लेकर ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जोकि असुविधाजनक हैं और कई प्रकार की कठिनाइयां डाली जाती हैं जिससे राज्य के व्यापार को, जिसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जिसके द्वारा सुगमतापूर्वक लोगों के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहते हैं प्रोक्योरमेन्ट करके, उसमें बहुत बड़ी असुविधा आती है और लोगों को जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसमें कमी नजर आती है और लोगों को राज्य सरकार में इस व्यापार के प्रति अविश्वास सा होता है। इसलिए सबसे प्रमुख बात यह है कि राज्य सरकार व्यापार करना चाहती है तो उसे अपने कर्मचारियों के अन्दर इस प्रकार की एफीशियेन्सी लानी पड़ेगी और उन व्यापारियों के कॉम्पीटीशन में जाना पड़ेगा जो कि रातदिन इस प्रकार का धन्धा करते हैं और वे लोग अपना सामान एक दूसरे स्थान से लाकर कम मुनाफे में दूसरों को बेचते हैं, जहां राज्य सरकार जो व्यापार करती है और खरीद करती है और उसके ऊपर १०-१२ रुपये क्विन्टल पर मुनाफा उठाकर लोगों को दे, तो वह व्यापार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

व्यापार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतना ज्यादा मुनाफा लिया जायेगा तो वह बहुत बड़ी कीमत पर लोगों को मिलेगा और उससे जो कन्ज्यूमर्स हैं उनको असंतोष होगा और जो काश्तकार हैं उनको भी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और उधर कन्ज्यूमर्स को भी ज्यादा पैसों में सामान मिलेगा। तो इससे प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स हैं इन दोनों को ही असंतोष रहता है। इसलिए राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इस व्यापार में तो ऐसी एफिशियेन्सी लाई जाये कि जिससे दोनों का उसमें विश्वास जमे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से अधूरे कदम से कोई काम नहीं चलेगा। जब तक आप पूरा कदम नहीं उठायेंगे, जब तक आपकी नीति इस प्रकार की नहीं बनेगी, क्योंकि आज खाद्य समस्या सारे देश में ही बहुत विकट है और जब भी आप ढिलमिल कोई कानून बनाते हैं-उसे आज बनाते हैं और कल तोड़ देते हैं और कई प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स लाते हैं-तो इस प्रकार के कायदे-कानून से लोगों में असंतोष बढ़ता है और जिस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों को देना चाहते हैं वह नहीं हो पाती है। कभी हम यह कानून बनाते हैं कि अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जायेगा और दूसरे रोज उसमें अमेन्डमेन्ट लाते हैं और पहले वाले कानून को तोड़ देते हैं, इससे जो बिचोलिये हैं वे लोग उसका फायदा उठाते हैं और जनता का शोषण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप सही तरीके से व्यवस्था करना चाहते हैं और इस अनाज को ठीक तरीके से डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो जो अधूरे तरीके के कन्ट्रोल का, राशनिंग का सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है वह ठीक तरह से नहीं चल सकता। इसलिए सही तरीके से, जैसी चीज चल सकती है और जैसा कि बहुत से देशों ने इस अनाज की सारी व्यवस्था को सरकार ने अपने हाथ में ली है, उसी तरीके से जब तक सारा का सारा प्रबन्ध, चाहे मोटा अनाज हो या दूसरा अनाज हो, उसकी सारी की सारी व्यवस्था जब तक सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक बिचोलियों द्वारा जो शोषण काश्तकारों का और कन्ज्यूमर्स का हो रहा है वह कभी समाप्त नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की ढिलमिल और अधूरी नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है उससे कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। सिर्फ उसी हालत में कामयाबी मिल सकती है जब कि सरकार खुद कन्ट्रोल करे और इसके प्रोक्योरमेन्ट और डिस्ट्रिब्यूशन दोनों को अपने हाथ में ले और राज्य सरकार के द्वारा अपने तौर पर-यानी पूरे स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा इस अनाज का व्यापार चलाया जाये, तभी जाकर यह व्यवस्था पूरी तरह से चल सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि मण्डियों के अन्दर जाकर अनाज खरीदें और दूसरी तरफ ऐसी जो संस्थायें हैं जैसे बैंक वगैरह हैं, जिनके द्वारा लोगों को पैसा मिलता है और वे उस पैसे के द्वारा जगह जगह जाकर अनाज को होर्ड कर लेते हैं तो इस व्यवस्था को भी हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तभी जाकर इन कीमतें वगैरह का सवाल हल हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ जो मांग लघु सिंचाई के संबंध में रखी है उसके संबंध में मैं निवेदन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करना चाहता हूं कि जब हमारे यहां खारी की बाढ़ आई तो उसके द्वारा बहुत से तालाब जगह-जगह मेरी तहसील के अन्दर फूट गये और वे आज भी फूटे पड़े हैं। हम यह चाहते हैं कि सिंचाई के साधनों के द्वारा हम खेती का प्रोडक्शन बढ़ायें और खेती का प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब कि सिंचाई के साधन ठीक तरह से मिल सकें। तो राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि जो तालाब फूटे पड़े हैं वे बनवाये जायें और उनसे सिंचाई के साधन बढ़ाये जायें।

दूसरा पोइन्ट यह है कि बहुत से जागीरदारों के द्वारा ऐसे तालाब हैं कि जिनके ऊपर जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है और उन तालाबों के बंड में उनकी खेती होती है और पाल के ऊपर भी किसी से मिलजुल कर खुदकाश्त में उस पाल को दर्ज करा लिया है। जब कि उनके पास जागीरें थीं तो वे ठिकानों के पैसों से जागीरों की पालें वगैरह बनीं थीं और उन पालों के ऊपर डिपार्टमेन्ट से या वहां के कर्मचारियों से मिल कर उनको अपने खुदकाश्त के नाम पर दर्ज करा लिया है और उसकी वजह से जो भी पानी उसके अन्दर आता है उसको या तो बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं या फिर निकाल देते हैं, जिससे सिंचाई के जरिये खत्म हो जाते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे तालाब, जो कि जागीरदारों के नाम पर हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और गलत तरीके से अपने नाम पर करवा लिया है, ऐसे तालाबों को फिर से उनके नाम से काट कर सरकार अपने नियंत्रण में ले ताकि सिंचाई की व्यवस्था बढ़ सके।

इसी तरह से कूओं के संबंध में मेरा निवेदन है कि पिछले दो-तीन सालों से हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत से स्थानों में अकाल की समस्या छाई हुई है जिससे कूओं में पानी नीचे चला गया है और वह इतना नीचे चला गया है कि उसकी सतह काफी नीची हो गई और लोगों को फसलें पैदा करने में कठिनाइयां आ रही हैं। सवाल यह है कि हम खेती को बढ़ाना चाहते हैं तो कूओं को गहरा कराना पड़ेगा और उन कूओं में पानी हो सके और खेती-बाड़ी को बढ़ा सकें, उस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समितियों को पैसा दिया जाता है, किसी पंचायत समिति को ३० हजार और किसी पंचायत समिति को ३५ हजार रुपया दिया जाता है और उनसे अपेक्षा यह करते हैं कि खेती-बाड़ी के साधन बहुत बढ़ जायें और हम सेल्फ-सफिशियेन्ट हो जायें और हमारा प्रोडक्शन प्रोग्राम व्यवस्थित तरीके से चले, लेकिन जब तक आप लोन की पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप काश्तकारों को पूरा पैसा देकर पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं देंगे तब तक प्रोडक्शन प्रोग्राम, चाहे आप बिजली लगायें या दूसरी व्यवस्था करें, उससे पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो कृषक हैं उनको पूरे साधन नहीं मिलते हैं।

आप कूओं के लिए ५०० रुपया तकावी का देते हैं और चाहते हैं कि वह कूआ खुदवा लें और कूआ तैयार होता है तीन-चार हजार रुपये में, तो ऐसी हालत में पूरा लोन प्रोवाइड करने की व्यवस्था होनी चाहिए और वह तभी हो सकता है जब कि हमारा इस देश में

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
पैसे के ऊपर नियंत्रण हो और जो पैसा बैंक्स में रखा हुआ है, जिसका फायदा एक ही इन्डस्ट्री वाले उठाते हैं जो कि मिलिओनर्स हैं या और दूसरा धंधा करते हैं वही फायदा उठाते हैं और जब कि एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री इस भारतवर्ष के अन्दर सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है, जिसको इस पैसे का समुचित फायदा नहीं मिलता ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए इस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इन कृषकों को पूरा पैसा दिलाया जाये ताकि वे अपनी सिंचाई आदि की व्यवस्था को ठीक कर सकें ।

इसी प्रकार से खारी बांध के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । खारी बांध ऐसा है कि जिसके द्वारा १० हजार एकड़ जमीन की पिलाई होती है; उसमें इस प्रकार का झगड़ा डाल रखा है कि ३५ हजार बीघा जमीन उसके कमान्ड में ले रखी है । पास की जमीन पड़ी हुई है और दूर की जमीन को सिंचाई कर लेते हैं जिससे पानी का भी नुकसान होता है और प्रोडक्शन भी फेल होता है । तो व्यवस्था यह होनी चाहिए कि जितनी जमीन उससे पिलाई जा सके उतनी जमीन को कमान्ड में लेकर दूसरी जमीन को उससे निकालें । लेकिन जो कर्मचारी हैं एस० डी० ओ० गुलाबपुरा के हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि उस आदमी ने इसका दुरुपयोग करके हजारों रुपया पानी को बेच कर पैदा किया है और कई स्थानों पर जहां पानी नहीं छोड़ा जाता है ऐसे तालाबों को कभी नहीं भरा गया । ऐसे तालाबों से पैसा ले लेकर भर दिया है और हजारों बीघा का पानी बेकार कर दिया है और ऊपर की जमीन· · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये पैसा लेते हैं तो कहां जाता है; सरकार में जाता है या और कहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सरकार में नहीं, उसकी अपनी जेब में जाता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में सरकार से कि मैंने इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर के समक्ष निवेदन किया, कई दरख्वास्तें भी दी गई, कई रिप्रेजेन्टेशन्स दिए गए, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी नहीं की गई और हजारों बीघा जमीन का पानी खराब हो गया और जो हमारे आसीन्द के खास में बांध बंधाया हुआ है वहां की फसल भी समय पर पानी नहीं मिलने से, फसलें सूख रही हैं । वहां पर पानी न देकर तीस मील दूर, जिसमें वह आदमी इंटरेस्टेड है वहां जाकर पानी दिया गया है । उस बांध के पेटे में जो जमीन आई और वहां पर जो खेती हो रही है वहां पर महीने, डेढ़ महीने से पिलाई के लिए पानी नहीं दिया गया । तो इस प्रकार के आपके कर्मचारी रहेंगे तब तक आपका यह प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, चाहे आप कितने ही बड़े प्लान बना लें, लेकिन आपकी व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो मैंने सर्व प्रथम निवेदन किया था कि जो लाखेरा, दांतड़ा, सिंहसागर, जयसागर और तहसील आसीन्द के अन्दर नाखेड़ी के बांध के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि इन बांधों को बंधाया जाय जिससे वहां पर पैदावार भी बढ़ सके और जो हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ जाता है तो वहां पर पानी की व्यवस्था भी इस बांध के द्वारा हो सके, जिससे आपकी सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री ओंकारसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इस सरकार से तंग हैं, इस सरकार की डिमाण्डों से तंग हैं और सरकार की इन सप्लीमेन्ट्री डिमाण्डों से तंग हैं। समझ में नहीं आता है कि ये सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स सरकार के बजट से भी ज्यादा हो गई हैं। सरकार का बजट ७० करोड़ का था और सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड पहले आई थी, जब हमारा अक्टूबर में सेशन हुआ था, उसमें १७ करोड़ की सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड पास हो गई और फिर यह डिमाण्ड ले आए। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने यह सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड रखी है या सप्लीमेन्ट्री बजट रखा है? आपका तो यह तरीका हो गया है कि पहले तो मनमाने ढंग से खर्चा कर डालो और फिर उनको पास करा लो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जितनी बातें होती हैं वे सब बड़ी ऊंट-पटांग बातें होती हैं और उनको देखने में हंसी आती है। अब सरकार व्यापार करना चाहती है। सरकार देश की रक्षा नहीं कर सकी, सरकार न्याय की रक्षा नहीं कर सकी और अब सरकार व्यापार करेगी और उसमें करोड़ों रुपयों को स्वाहा करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार अगर इस प्रकार से करेगी तो सरकार फैल हो जाएगी।

जो सरकार हमारे देश की रक्षा नहीं कर पायी, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यहां पर बड़ी २ बातें करती है नाज के बारे में कि हमने इतना नाज ज्यादा बोया। इसके बारे में आपको फिगर्स बताता हूं। जो आपकी बेसिक स्टेटिस्टिक्स में छपे हैं, जिससे साफ जाहिर होगा कि क्या स्थिति है। आपके ६२-६३ के आंकड़े हैं उसमें ज्वार ११४२ हैक्टर में बोई गई और १९६३-६४ में १०३० हैक्टर में बोई गई और इस तरह से बुआई का एरिया कम होता गया। इसी तरह से मक्का ७०२ हैक्टर में बोई गई १९६२-६३ में और ६३-६४ में ६७० हैक्टर हो गई। इसी प्रकार बार्ली ४६७ हैक्टर में बोई और बाद में वह ४१८ हैक्टर रह गई। सरकार की योजनाएं समझ में नहीं आती हैं कि एक ओर तो सरकार अधिक अनाज बोने की बात करती है और दूसरी ओर उसके फिगर्स कम होते जा रहे हैं।

आज किसान नाज कम बोने लगा है। इसका कारण सरकार खुद है, इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है। अमेरिका में जो होता है, जो उनका पी. एल. ४८० है, वह कोई नाज की क्वालिटी नहीं है, बल्कि नाज के बारे में वहां की सरकार ने नियम बनाए हैं कि किसानों से वह महंगा खरीदती है और जनता को सस्ते भाव से देती है। इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि हमारे जो किसान अनाज पैदा करते हैं उनको उस भूमि पर रियायत करे जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज खेत में बोयें। हमारे यहां पर जो किसान पहले खेत बोते थे और जिस पर अनाज पैदा होता था, आज वह सारा का सारा कम हो गया है। इसका कारण यह है कि किसानों को कोई रियायत नहीं है। अगर हमारी सरकार चाहती है कि किसान ज्यादा से ज्यादा तादाद में खेत बोयें और देश की पैदावार बढ़ाएं तो सरकार को चाहिए कि वह किसानों को रियायतें दे, उसका

(श्री जोधसिंह चौहान)
हासिल माफ करे, उनका रेवेन्यू माफ करे और उनको पिलाई की फैसिलिटी दे, उनको लिफ्ट इरिगेशन की फैसिलिटी दे।

अभी मंत्री महोदय ने बताया था कि बारह हजार एकड़ के अन्दर लिफ्ट इरिगेशन किया गया। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर में जयसमन्द नामक झील है। भारतवर्ष में यह सबसे बड़ी झील है और कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पानी की झील है। उसका पाट ६६ माइल का घेरा है और २ माइल चौडा है, जिसमें गेहूं बोया हुआ है, लेकिन अगर उसी पानी का पूरा उपयोग किया जाता और उसको लिफ्ट इरिगेशन से फैलाते तो आज जो ६६ माइल के घेरे और २ मील चौड़े हिस्से में खेती हो रही है उस से चौगुनी खेती हो सकती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? वहां के जो किसान उससे पानी पिलाते हैं उनकी आधी खेती सूख रही है। सरकार इस बारे में गौर करे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की झील जो है वह दुनिया की सब से बड़ी आर्टिफिशियल झील है, जयसमन्द लेक है, वहां पर नाज लहलहा रहा है, लेकिन वहां के आधे भाग में पिलाई नहीं होने से वह सूख रहा है। अगर वहां से लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पिलाई की व्यवस्था हो तो उसके अन्दर से और अधिक भूमि पिलेगी और उसमें और फसल होगी, जिससे करोड़ों रुपयों का लाभ हो सकेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

यही नहीं मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पास में ही सामरी-गोमती नदी आती है। वहां पर किसानों ने कुए खोद रखे हैं। वहां पर दस-बारह हाथ खेत में कुए खोद लेते हैं और उनको पानी मिल जाता है, इसलिए सरकार वहां पर कुओं के लिये जो सीमेंट की नाली बनाती है वह वहां के लोगों को सप्लाई करे और सरकार अपनी तरफ से कुए खोदे और कुए खोद कर सरकार पिलाई के साधन अपने हाथ में ले तो हजारों बीघा जमीन में पिलाई हो सकती है और अनाज की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका कटौती प्रस्ताव है—सरकार मोटे अनाज को खरीदने की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकी, इस पर चर्चा के लिए......

श्री **जोधसिंह चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव रख रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप दूसरे पर्व पर जा रहे हैं जिसे आप किसी और समय पर रखें, अभी तो आप इसी विषय पर आवें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : हां, तो मैं इस विषय पर अभी आ जाता हूं, लेकिन जो मैं इरिगेशन के बारे में अर्ज कर रहा हूं तो इस सम्बन्ध में एक सैकण्ड और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे गिरवा क्षेत्र में कई बड़े २ कुए हैं जहां पर माइन्स निकाली गई हैं सरकार द्वारा। जहां पर मुड़ियों की पचोली है वहां पर जो माइन्स खोदी गई तो उसमें इतना पानी आया कि वहां पर माइन्स बन्द करनी पड़ी। अगर उस जगह पर लिफ्ट

(श्री जोवसिंह चौहान)

इरिगेशन से व्यवस्था की जाए तो चार-पांच सौ एकड़ जमीन को पानी पिलाया जा सकता है। इसी तरह उदयपुर में कई बांध हैं, बड़ी का तालाब है, पिछोला है, जयसमन्द और राजसमन्द हैं, जहां पानी भरा रहता है। उस पानी को खेती के काम में लाया जा सकता है। हमेशा तो अकाल रहता नहीं है, इस साल अकाल है, लेकिन आगे तो वर्षा हो सकती है और जब ये पानी से भर जावें तो इनको सिंचाई के काम में लाया जा सकता है, यही मेरा सरकार से निवेदन है।

मोटे अनाज के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अनाज के लिए जोनल सिस्टम बना रखा है। उनको सोचना चाहिए कि सारा देश हमारा एक है। अगर हम यहां से गुजरात में अनाज नहीं भेजेंगे तो वे भी हमारे लिए तेल नहीं भेजेंगे। इसी प्रकार सारी समस्यायें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सारे देश को एक निगाह से देखे और साम्प्रदायिकता की दृष्टि से न देखें, छोटी दृष्टि से न देखे। अब आपको छोटी दृष्टि छोड़ देनी चाहिए। पहले आप जोधपुर की बात सोचते थे, लेकिन अब सारा राजस्थान है। सारे राजस्थान को आप एक दृष्टि से देखें और अगर आपके कार्य से किसानों को अधिक पैसा मिलेगा तो वे ज्यादा अनाज बोयेंगे और हमारे देश की ज्यादा पैदावार बढ़ेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर अमेरिका से अनाज आता है उसको भी हमें इस तरह से आंकना चाहिए कि जैसे आपको मालूम होगा कि जब अमेरिका ने अनाज देना बन्द कर दिया तो हमने कहा कि हम गेंहूं नहीं खायेंगे, हम मक्का खायेंगे, हम ज्वार और बाजरा खायेंगे और हमने महसूस किया कि जो हमने पैदा किया है हम उसी को खाकर अपना पेट भरेंगे। जब अमेरिका ने गेहूं की आड़ में हमसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की और हमें उसमें गुलामी की गन्द आई, तो हमने अपना पैदा किया हुआ अनाज खाना पसन्द किया। तो इसी तरह से हमें आगे भी कार्य करना चाहिए और हम अमेरिका का नाज कम मंगायें जिससे ज्यादा से ज्यादा मोटा नाज खा सकें; अपना पेट भर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(४. म. प.)

प्रतापगढ़ से सरकार ने ३७-३८ रुपया क्विन्टल में मक्का खरीदी और ६५ में बेची। यह व्यापार चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि यह ब्लेक मार्केटिंग है। ४०)रु. से कम में नाज खरीदा; प्रतापगढ़ से लेवी में वसूल किया और सरकार ने ६५) रुपये क्विन्टल में बिहार गवर्नमेन्ट को बेचा है।

यही नहीं उदयपुर में चना पड़ा हुआ सुल रहा है। उसको भी बाहर निकालें। सरकार से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नाज बड़ी मुश्किल से पैदा किया है। किसान की कीमत करें; ८० पर्सेन्ट किसान हैं। उनको पूरा पैसा मिलने का प्रावधान करें जिससे हमारे किसानों को लाभ होगा, ताकि किसान समझे कि हमारा राज्य है और किस तरह से देश की तरक्की हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल बाट (सादड़ी) : मेरा कट मोशन है उसके बारे में कहना है। सरकार की ओर से जो व्यापार होता है उसमें एक तो ढिलाई बहुत होती है और पैसा भी अधिक खर्च होता है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां सन के बीज मंगाये पंचायत समिति में। दूसरी जगह दूकानों पर जब कि १८ रुपये मन का भाव था और वह वहां आकर २४) रु. मन पड़ा तो सब का सब बीज यों ही पड़ा रहा और पंचायत समिति से किसी ने बीज नहीं लिया। इस प्रकार की अव्यवस्था से सरकार को बचना चाहिए और थोड़ासा अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी जगह जब १८) रु. मन है तो २४) रु. मन कैसे लगा ?

दूसरी बात यह है कि जो रासायनिक खाद आता है उसमें क्या होता है कि कभी कृषि प्रचार अधिकारी गया, कभी दूसरा गया तो उसमें इसका भी खर्चा बहुत बढ़ जाता है।

और भी मैं आप से निवेदन करूं कि बड़ी सादड़ी स्टेशन पर रासायनिक खाद आया तो ५५०) रु. डेमरेज के लग गये। वहां पर कृषि अधिकारी जी आये और ग्राम सेवक जी गये और स्टेशन मास्टर से बात की कि देगी तो गवर्नमेन्ट देगी हमारा क्या बिगड़ता है, चलो। इस प्रकार से जो ढीलापन इसमें है उसमें मेरा निवेदन यह करना है कि इसको तंग करें ताकि सही भाव पर चीज मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अच्छा बीजवारा मंगाया जाय, लेकिन भाव जब बढ़ जाता है तो लोग खरीदने से वंचित रह जाते हैं।

तीसरी बात यह है कि इस में थोड़ा-सा निवेदन कर दूं कि यह जो प्रतिबन्ध लगा रखा है कि दूसरी जगह नहीं जाने दें और इधर ५५-६० रु० में खरीदते हैं और वहां १००) रु० में बिकता है। ये भाव आपके आंकड़ों में रह गये हैं। इधर रतलाम और मन्दसौर का सारा एरिया लगा हुआ है मध्यप्रदेश का। कोई आदमी ऐसा मूर्ख नहीं है कि जहां एक रुपये के दो रुपये होते हैं वहां न ले जाये। प्रतापगढ़ में ४५) रु० का भाव रखते हैं और मन्दसौर वाले ७५) रु० का भाव देते हैं; तो यह प्रतिबन्ध हटा देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरी बात यह है कि पंचायत समितियों के द्वारा जो जो बिजनेस होता है उसमें तो आप थोड़े से ऐसे आदेश दें कि वे इस प्रकार की लापरवाही न करें कि ६)-८) रु० मन ज्यादा देकर ले आयें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा; संक्षेप में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मेरे तीन मांगों पर कटमोशन्स हैं। पहले तो मेरा एतराज . . .

श्री उपाध्यक्ष: दो का है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तीन का है। एक आबकारी का भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आबकारी पर रहने दें। दो पर बोल लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है कि अनाज के बारे में समस्या को जितना ही सुलझाने की कोशिश की गई उतनी ही उलझती चली गई। मेरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मान्यता है कि सन् ६३ से भाव बढ़ने लगे हैं और उस बढ़ने पर हर तरह से कीमतों को रोकने की कोशिश सरकार की रही, लेकिन उसके बावजूद उन पोलिसीज से सब से अधिक फायदा उन लोगों को हुआ जिनके पास जाने नहीं देना चाहते थे। सवाल तो यह है कि हम ज्यों-ज्यों किसी चीज की दवा करते हैं उसकी उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। एक दिन ऐसा था कि हमने समझ कर एक कदम उठाया कि हम किसी तरह से भी जो कुछ भी हो, चाहे जिस तरह से भी हो, हमको चाहे जाना पड़े, हमने ६-६ महीनों की तनख्वाह अपने नौकरों को दे दी। हम खुद व्यापार करेंगे जब कि व्यापारियों ने हड़ताल की। उसका नतीजा क्या हुआ ? न व्यापार किया और न हमारी मान्यता यह थी। जिस तरह से नाज को इकट्ठा किया गया, इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि जैसे ही कीमतों की रोक को हटाया तो उसका नतीजा यह हुआ कि बाजार में नाज आ गया। अगर यह सही है थ्योरी आपकी है कि अगर रेस्ट्रिक्शन्स नहीं लगाये जांय तो बाजार ठीक चलेगा, तो फिर रेस्ट्रिक्शन्स क्यों लगाये गये ? और अगर रेस्ट्रिक्शन्स लगाये थे तो आपकी सारी मशीनरी नाकामयाब रही उस नाज को निकालने के अन्दर जो नाज आज बाजार में आ रहा है। जिसके पास पैसा है वह आपके कानून की अवहेलना मजे से करता है। आपके पास में मशीनरी नहीं है कि जो आप इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति के लिए आपकी मशीनरी उनसे मनवा सके। मैं अगर गलत नहीं हूं तो १८०० क्विन्टल नाज जो जमाखोरों से निकाला गया है, उसमें चालान हुए और उन चालानों में सब के सब छूट गए। क्या इतना ही नाज था जमाखोरों के पास ? आज उससे ज्यादा नाज आपके भाव की रोक हटाते ही बाजार के अन्दर आ गया। तो आपको मान लेना चाहिए कि आपके पास जो मशीनरी है उसमें यह ताकत नहीं है कि आप जो कानून बनायें, आप जो हुक्म दें, उस हुक्म को ये मेहनत से मनवा सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए यह रेस्ट्रिक्शन था और आप जमाखोरी पर कन्ट्रोल करना चाहते थे तो कुल १८०० क्विन्टल नाज पकडा। इतना नाज कहां था ? उसके बाद आपको मजबूर होकर रेस्ट्रिक्शन्स हटाने पड़े। मैं अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि जब किसान मंडी में नाज लाये और नाज लाने के वक्त भावों की रोक को हटा दें तो व्यापारी मैदान में आ जायेगा नाज को लेने के लिए जो कि किसान लायेगा और डिमान्ड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर उसकी कीमत उसको चूकती की जायगी। किसान का क्या खर्चा हुआ, किसान ने किन मान्यताओं के साथ खर्च किया अपने खेत पर कि नाज बाजार में ले जायेगा तो इतनी कीमत मिल जाये गी ? बाजार में आने पर जब कीमत पर से रोक हटादें तो उस कीमत की रोक हटाने का मतलब होगा कि आज डिमान्ड एण्ड सप्लाई के आधार पर व्यापारी के रहमोकरम पर किसान को छोड़ दें; ऐसा मुझे लगता है। आप समझा दें तो अलग बात है। आप समझायेंगे तो समझने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ है। मैं समझता हूं कि हर वक्त जब कि फसल आती है तब सरकार ऐसे फैसले लेती है, उस वक्त कुछ न कुछ एनाउन्समेन्ट्स इस तरह के होते हैं कि जिन एनाउन्समेन्ट्स से सब रिलेक्सेशन्स हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कि क्यों तो आपने गेहूं की कीमत पर से रोक हटा दी और क्यों मोटे अनाज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स रखे ? अगर रेस्ट्रिक्शन्स रहे तो सब के ऊपर रहें। उसके लिए मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि लोगों को गलतफहमी

Page No. 81

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

क्यों होती है ? गलतफहमी यों होती है कि अजमेर में नाज की कमी है तो वहां का आदमी नाज लेने जाये कोटा और बूंदी में, तो उसको पहले कलेक्टर की पर्मीशन लेनी पड़ेगी नाज खरीदने की। वहां का कलेक्टर किसी व्यापारी से नाज खरीदने की परमिट देगा तब वह अजमेर में लायेगा। यह जो मशीनरी है आपकी इसमें जितने भी जो स्टैप्स हैं उन स्टैप्स पर कागज जब चलते हैं तो लोगों को स्पष्ट होता है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों है ?

क्या कलेक्टर को आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि जहां पर डेफिसिट है वहां पर बूंदी और कोटा से डाइरेक्टली कलेक्टर की मार्फत खरीद कर मंगवा लें और यहां के व्यापारियों को दे दें ? यह तो नहीं करेंगे। व्यापारी ही खरीदेंगे और वे ही लायेंगे; हावा साहब हवा होंगे, व्यापारी जायेंगे वही खरीदकर लायेंगे और फिर ज्यादा दामों पर बेचा जायगा। क्या तर्क है ? क्या लोजिक है ? जब कीमत खोलते हैं तो आज गेहूं सवा सेर का मिलने लगा। यदि आप मूवमेन्ट का रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे और मोटा अनाज आने देंगे तो गेहूं का भाव और भी घटने वाला है। इसलिये इसका लोजिक होना चाहिए। आपके जितने भी आदेश होते हैं, जितने गजट नोटिफिकेशन्स होते हैं, जब वे चेलेन्ज होते हैं हाई कोर्ट में, तो कानून ही उड़ा दिया जाता है, नहीं रहता है। मैं व्यापारियों का हिमायती या उनका सपोर्टर नहीं हूं। आप व्यापारियों को और पैसे वालों को सजा दिला नहीं सकते। आप चाहें तो भले ही अपने अफसर को सस्पेन्ड कर दें। लेकिन ६ साल से मैं एम० एल० ए० हूं, मैं जानता हूं कि इस अर्से में आप किसी भी सरकारी अफसर को सजा नहीं दे सके। यह मेरी मान्यता है कि सीरियस से सीरियस ऑफेन्स करने पर भी आप उनको सजा नहीं दिला सकते। हाई कोर्ट में चले जाते हैं और आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप कहते हैं कि फलां आदमी चोर है, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप उसको सस्पेन्ड करते हैं, फिर उसकी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होती है, फिर क्वाजी जुडिशियल इन्क्वायरी होती है, इस तरह से दो-दो, तीन-तीन साल एक एक केस में लग जाते हैं; फिर इतने अर्से में जब भूल जाते हैं तब वह बहाल हो जाता है और पिछले दो-दो, तीन-तीन साल का पैसा आपसे लेता है। आप मोरली कन्विन्स्ड हैं, फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आप नौकर को सजा देने की पॉवर में नहीं हो तब तक आपकी यह मशीनरी नहीं चल सकती, चाहे आप कितने ही कानून बना दें। अच्छा राज्य बनाना चाहते हैं तो जब तक ये चमचे ठीक नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता।

इसके साथ साथ में सिंचाई के बारे में निवेदन करूंगा ....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपके क्या सुझाव हैं ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मेरा सुझाव है कि या तो स्टेट ट्रेडिंग हो; इस मशीनरी को ठीक करके व्यापारियों पर पूरा कन्ट्रोल हो। जब तक सरकार यह नहीं कर सकती तब तक व्यापारी सरकारी अफसरों को फंसा देते हैं . . .

श्री भीमसेन : स्टेट ट्रेडिंग भी इन्हीं ऑफिसरों के जरिये करेंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग इन्हीं से करवाया जायगा। मैं कहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग पूरा कामयाब हो

Page No. 82

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तभी कन्ट्रोल चलता है, अखबारों के कागज से काम नहीं हो सकता। यह मेरी मान्यता है। इसके विपरीत होगा तो फिर करेंगे, फिर करेंगे। व्यवस्था खराब है इसलिए नहीं किया जाय, क्योंकि आदमी नहीं है इस लिए नहीं किया जाय, यह भी मैं गलत मानता हूं। मैं अर्ज कर दूं, जिस तरह चावल बाहर भेजते हैं दूसरे प्रान्त को उसी तरह से नसीराबाद वालों को परमिट मिला पंजाब पर वहां से चावल लाने के लिए; उसका क्या हुआ? हुआ यह कि कागज काफी समय तक पड़ा रहा, इनके दफ्तर से कलेक्टरों के नाम सर्क्यूलर आया, उसके बाद कलेक्टर ने परमिट इश्यू किया। इस तरह के चावल का परमिट नसीराबाद वालों को भी मिला। फिर वे पंजाब चावल लेने के लिये गए, वहां जाकर उन्होंने अपने यहां का कागज पंजाब वालों को दिखाया। कागज देख कर उन्होंने कहा कि यह माल तो चला गया। तीन दफा हमने आपके यहां रिमाइन्डर भेजे कि चावल उठाओ और उन्होंने कहा कि परमिट इश्यू कर रहे हैं। बहुत दिनों तक परमिट इश्यू नहीं हुए इसलिए हमने वह चावल दूसरों को बेच दिया। आपके नाम पर परमिट इश्यू हो गया पंजाब में चावल लाने के लिए; उन्होंने कहा कि लेने के लिए भेज दो, चावल दे देंगे। आपने देरी कर दी, इसलिये आपको चावल नहीं मिल, आप चावल नहीं ले सके। कलेक्टरों से १२-१२ परमिट ले लिए; वे बनिये परमिट का चावल ले गये और ५-७ रुपये का फायदा उठा कर वहीं बेच दिया ब्लेक मार्केटिंग में। यह फूड पॉलिसी को सोल्व करने का तरीका नहीं है। आप इसकी जांच करिये। किस तारीख को आपके यहां से जाकर गवर्नमेन्ट से लिखा हुआ आया, किस तारीख को आपने सर्क्यूलेट किया कि कलेक्टर इसके लिए परमिट दें। कलेक्टरों ने कब परमिट दिये और जो परमिट दिये उनका क्या हुआ? कलेक्टर ने बारह-बारह परमिट दिये, वह चावल यहां नहीं आकर वहीं पर बिक गया ब्लैक मार्केटिंग में। यहां पर तो चावल के लिए सिंधी और पंजाबी ताकते रहते हैं। जहां पर चावल की कमी है वहां पर इस तरह से खिलवाड़ आपका डिपार्टमेन्ट करे, यह गलत चीज है।

अब मैं सिंचाई की बात पर आता हूं। वैसे इस दिशा में काम काफी हुआ, काफी काम चल रहा है, लेकिन मेरा एक रचनात्मक वो (सुझाव) है। आज आपका तरीका यह है कि कोई कानून बनाकर कानून की सारी जिम्मेदारी जनता पर डालकर आप बैठ जाते हैं, इस राज्य को कुछ नहीं करना है, सब कुछ जनता को करना है और जिसको करना है वह मर्जी दे। वही तकावी ले, वही भटकता भटकता सब जगह पहुंचे। मैं कहता हूं कि आप इसके विपरीत करिये। आप एक डिस्ट्रिक्ट छांटिए। जब तक कोई डेटा इकट्ठा नहीं होता तब तक प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं कर सकते। आप कोई तहसील छांटिये और उसमें आप इन्टेन्सिव ढंग से काम करिये। उस तहसील में कितने कूएं हैं उनकी जांच करने के लिए आपके आदमी जायें और वे ही लोगों से कहें कि हम इतनी तकावी देंगे, कूओं में इतना पानी होगा। यह छोटा सा एक्सपेरीमेन्ट करके दें, हमें आपका डिपार्टमेन्ट। इसके विपरीत आज जो आप काम करते हैं वह पूरा नहीं होता जो तकावी आप देते हैं वह पूरी नहीं होती। रुपये इधर-उधर चले जाते हैं। आप एक दफा एक्सपेरीमेन्टल तौर पर ही सही इन्टेंसिव तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

काम करके उसके रिजल्ट्स दीजिए। किसानों को परेशान करने के बजाय आप प्रेस्क्राइब कीजिए अपने नौकरों के लिए कि तुम्हें इतना अनाज लाना है, इतना इम्प्रूवमेन्ट करना है, एक छोटे से यूनिट में पूरा पैसा खर्च करके किसानों को ऊंचा उठाने के लिए काम करिए जिससे राजस्थान लाभान्वित हो सके।

जहां तक छोटी सिंचाई की बात है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो सिंचाई के लिए कानून बनाते हैं उसका उपहास होता है। जो पैसा मिलता है वह उनको मिलता है जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। मैं अदब से कहूंगा, मुझे याद है, पर यह बात मैं बाद में कहूंगा। मैं कह सकता हूं पंचायत समितियों के लिए और उनके लिए कहूंगा। मिनिस्टर महोदय जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि रुपये उन्होंने लिए हैं जिनको रुपयों की जरूरत नहीं है। जिनके पास खेत नहीं हैं, जिनके पास पहले से ही माल है, वे कर्जे पर रुपये लेकर अपना धंधा चलाते हैं। उनकी लिस्ट बनाकर परसेन्टेज लगाया जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ६० या ७० परसेन्ट पैसा उन लोगों के पास गया है जो लोग नेता कहलाने का दावा करते हैं, जो लोग साधन सम्पन्न हैं उनके पास पैसा गया है। जो मशीनरी हमने क्रिएट की थी वह लीडरशिप क्रिएट करने के लिए की थी, लीडरशिप क्रिएट करने के लिए इसलिए की थी कि उनके जरिए विकास के साधनों का उपयोग करके लोगों की गरीबी दूर करेंगे। मैं उनका नाम बताऊंगा तो पता चलेगा कि ज्यादातर रुपया उन लोगों ने लिया है जो अच्छी हालत में है। मैं बता सकता हूं, मेरे यहां के ठाकुरों ने रुपया लिया है, बनियों ने लिया है, जिनको पैसे की जरूरत नहीं थी और उस रुपये से उनका व्यापार चल रहा है। आप इसको काम में नहीं लेते, सही जगह पर पहुंचा नहीं सकते अपनी मशीनरी के जरिए; कागज के जरिए आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। कागज और करणी में फर्क डालेंगे तभी तरक्की हो सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूंगा कि आप मेरी बातों पर गौर करके उस ओर कदम उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न और सिंचाई की मदों पर जो बहस हो रही है उसमें मैं सरकार का ध्यान कुछ मिनटों में, सरकार की जो खाद्य सम्बन्धी नीति है, उसके सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, खाद्य की जो नीति है उसको मैं दो तरह से देखना चाहता हूं—एक खाद्यान्न को किसानों से कुछ और किसी दामों में खरीदा जाय और फिर कृषक-दूसरी जनता और उपभोक्ताओं को किस तरह से, किन दामों में वितरित किया जाय। माननीय उपाध्यक्षजी, गये सालों से हमारे प्रान्त में खाद्यान्न की कमी कहिये, या सरकार की बदइन्तजामी कहिये, खाद्यान्न संकट किसी न किसी रूप में हमारे सामने रहा है। उपाध्यक्षजी, मैं सरकार को कुछ मुद्दे की बात, खरीदने के लिए बताना चाहता हूं। हमें यह तजुर्बा हुआ है कि जब भी किसानों को उनका खाद्यान्न तैयार करके मंडियों में, बाजार में, बेचने का समय होता है उस समय सरकार इस तरह के प्रयत्न में रहती है, सरकार इस तरह के आदेश देती है, इस तरह की कोशिश करती है कि खाद्यान्न के भाव नीचे गिरें और

(श्री जयनारायण सालोदिया)
उस किसान को, जिसने खाद्यान्न को पैदा किया है इतनी मुसीबतों के साथ, उसको कम पैसे मिलें और हमें यह भी देखने को मिला है समय समय पर, जब यह मालूम हो जाता है सरकार को कि किसानों ने अपना पूरा खाद्यान्न बेच दिया है उस समय फिर कोई दूसरा ही तरीका, दूसरा ही हुक्म, दूसरी ही पॉलिसी सरकार की होती है, जिससे उन लोगों को मुनाफा होता है-या जो उनमें सरकारी कर्मचारी हों जो इस विभाग से सम्बन्धित हैं उनको, या कुछ व्यापारियों को। मैं सरकार से यह पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा, इस तरह की नीति उस सरकार की है जो सरकार यह कहती है कि हम किसानों के लिए हैं, किसान हमारे लिए हैं, हमारी हर पॉलिसी, हमारा हर कानून, हमारे सारे हुक्म उस दृष्टि में जायेंगे जिसमें किसानों का हित हो। माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने यह तो किसानों से अनाज खरीदने के सम्बन्ध में सरकार से कहा। लेकिन खुद सरकार भी, माननीय उपाध्यक्षजी, किसानों से सस्ते दामों में खरीद कर उसे चाहे किसी व्यापारी को या किसी प्रान्तीय सरकार को इतने बढ़े हुए दामों में बेचती है जिसका अन्दाज हमें है और सरकार एक व्यापारी की दृष्टि से नहीं बल्कि एक ब्लैक-मार्केटिअर के रूप में किसानों के साथ व्यवहार करती है-इससे भी मैं यदि बुरी बात कहूं तो वह भी कम होगी।

मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं, गये साल में वहां सरकार ने किसानों से ३७ रुपये मन के हिसाब से गल्ला खरीदा और उसे कुछ महीने बन्द करके रखा। फिर कुछ महीने के बाद सरकार ने कुछ व्यपारियों से मिल कर उस गल्ले को, जिसको किसानों से ३७ रुपये मन के हिसाब से खरीदा था, ६७ रुपये के भाव से बेचा। वह गल्ला कोई एक-दो बोरी नहीं था बल्कि सत्तरह सौ बोरी था। इस तरह की जो सरकार की नीति है कि किसानों को वह कम दाम देना चाहे, उस आदमी को वह डाउन करना चाहे जो उस अनाज का सही मालिक है और उसे सही कीमत उस अनाज की मिलनी चाहिए, उस किसान को सरकार के अपने गलत हुक्म के द्वारा, अपने गलत निर्णय के द्वारा और अपने समय समय पर हुक्मों में परिवर्तन करने की परिपाटी के द्वारा, नुकसान पहुंचाती है। जिस सरकार के हुक्मों से नुकसान हो किसान को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि उस सरकार में न तो समाजवादी विचारधारा है और न किसानों के साथ में भलाई करने की भावना है। इस तरह का सोचने का तरीका एक है और वह तरीका यह है कि इनके कुछ चन्द एजेन्ट हैं उनके हित में यह काम करती है..

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कौन हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : बताना चाहिए, कौन हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने निवेदन किया अभी कि किसानों से हमारे यहां टोंक डिस्ट्रिक्ट में ३७ रुपये मन के भाव से गल्ला खरीदा और वह एक दो बोरी गल्ला नहीं बल्कि सत्तरह सौ बोरी था और उसे सरकार ने कुछ व्यापारियों से मिल कर ६७ रुपये मन के भाव से बेचा। इस सरकार ने सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केट किया है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा विनम्र शब्दों में यह निवेदन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

करना चाहूंगा कि वह अन्य विभागों में अपनी मनमानी के द्वारा, अपनी धांधली के द्वारा कुछ भी करे-उससे हमें कम तकलीफ हो सकती है, लेकिन खाद्यान्न का जो मामला है, यह ऐसा मामला है जिससे प्रान्त के सारे जन-जन का रिश्ता है और इससे सारे जन-जन पर प्रभाव पड़ता है—ऐसे मामले में सरकार खिलवाड़ करे, ऐसे मामले में सरकार सीरियसली नहीं सोचे, ऐसे मामले में सरकार जनता की तकलीफ को महसूस न करे तो ऐसी सरकार को क्या अधिकार है, क्या हक है कि वह इन कुर्सियों पर बैठे ? जनता के जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वहां इस तरह अपनी दलगत नीति के आधार पर, या आप यह कहिये अपनी इस तरह की हठधर्मी के आधार पर जनता की जान-माल के साथ यों खिलवाड़ करे, इसका इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार जनता को अन्न नहीं दे सके, जो सरकार जनता को सहूलियतें नहीं दे सके उस सरकार को क्या अधिकार है राज्य करने का ? जनता की जो प्रारम्भिक तकलीफें हैं उनके बारे में आपको सोचना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक निवेदन एक मिनट में और कर देना चाहता हूं। जो राजकीय व्यापार खाद्यान्न के सम्बन्ध में करने की नीति है, उसका मैं विरोध करता हूं । सरकार ने व्यापार में जो भी हाथ डाला है वह व्यापार या वह धन्धा जनता के लिए दुखदायी तो हो ही गया है लेकिन साथ ही बहुत पेचीदा भी हो गया है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार की प्रारम्भिक ड्यूटी है, सरकार की प्रारम्भिक जिम्मेदारी है—उसमें वह चोरियां बन्द नहीं कर सकी, रिश्वतखोरी बन्द नहीं कर सकी, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकी, जनता के लिए सड़कें अच्छी नहीं बना सकी । इस तरह इस सरकार की जो प्रारम्भिक जिम्मेदारियां हैं उनसे अलग हट कर........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : जनरल बहस आ रही है तब यह सब कह दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तरह की बातें करें कि अनाज का धन्धा करेंगी, रोडवेज हम चलायेंगे, हम ही गुड़ खरीदेंगे, हम ही कपड़ा खरीदेंगे........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन कामों को सरकार की उस समय करने की जिम्मेदारी होती है जब इन प्रारम्भिक कामों से उसे फुर्सत मिले . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी टाइम नहीं है । जनरल बहस के समय कह दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सिंचाई के सम्बन्ध में दो मिनट माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरी मान्यता है कि जहां जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं, समयाभाव के कारण उनके सम्बन्ध में सारी बातों में न जाकर, मंत्रीजी को ज्यादा निवेदन नहीं करके, कुछ बातें ही बताना चाहता हूं . . .

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : यह जनरल डिबेट के वक्त बता दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो बारानी जमीन होती है, जो किसानों के कब्जे में पीढ़ियों से होती है उस पर किसान अपने पैसे से, अपनी पूंजी से यदि कुआ खुदवाता है तो

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कूआ खुदवाने के साथ ही जमीन चाही में बदल जाती है। अब क्योंकि चाही कहलाने लगती है इसलिए आप उस पर हासिल बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूं, क्या अधिकार है सरकार को टैक्स बढ़ाने का? उसने अपनी मेहनत से, अपनी पूंजी लगा कर, कूआ खुदवा कर उस जमीन को चाही किया है, उसको सरकार प्रोत्साहन देने के बजाय यदि उसके सामने दिक्कत पैदा करे, क्योंकि उसने जमीन पर कूआ खुदवा दिया है इसलिए उस जमीन पर अनाज ज्यादा पैदा होने लगा है, इसलिए उस पर हासिल ज्यादा लगेगा, टैक्स ज्यादा लगेगा। सरकार सोचे, उस बारानी जमीन को किसान अपनी मेहनत से, अपना पैसा लगा कर, कूआ खुदवा कर, चाही करता है इसलिए उसको राहत मिलनी चाहिए, न कि यह कि उस पर ज्यादा लगान हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं सदन को निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय के भाषण के बाद मुख-बन्ध का प्रयोग किया जावेगा और उसके बाद में मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा कि सदन का समय जब तक यह कार्यवाही आज की खत्म न हो जावे बढ़ाया जावे।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष दो मांगें रखीं। एक तो खास तौर से माइनर इरिगेशन के लिये-जिसमें करीब ५२ लाख रुपये की मांग की गई है-जिसमें करीब ४८ लाख रुपये कम्प्रेशर, ड्रिलिंग ऐड्स ब्लास्टिंग, बोरिंग आदि का सामान खरीद रहे हैं। हमने पहले प्रोवीजन, १००० का टोकन प्रोवीजन किया था और भारत सरकार से रुपया लाने की बात कर रहे थे। ५० कम्प्रेशर्स और १३ ड्रिलिंग एड्स के लिये चाहिये जो किसानों को कूओं की खुदाई के लिये देने के लिये यंत्र हैं, इसलिए यह ४८ लाख रुपये की हमने फाइनल मांग की है। और दूसरा जो जो कुछ रुपया था वह नोमेडिक केटल ब्रीडर्स के नीचे अन्डर

(४.३१ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति),

ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को नल कूपों के लिये एडीशनल खर्चा था उसके लिये मांग है। और जो ट्यूब वेलस जैसलमेर एरिया में लगाये गये उसकी कुछ नालियां लगानी थी। पहले यह काम पी. डब्ल्यू. डी. में था। इस पर कुछ नालियों के लिये पैसा लगाना है। इसलिये यह मांग की है।

माननीय सदस्यों ने सारे इरिगेशन को माइनर इरिगेशन मान कर चर्चा की और कई माननीय सदस्यों ने टूटे-फूटे तालाबों को बनाने के लिये कहा कि उनके यहां पर टूटे-फूटे तालाब बनने चाहियें। वे इसको मेजर इरिगेशन तक ले गये। फिर भी जो कुछ उन्होंने कहा उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइनर इरिगेशन दो बातों से ताल्लुक रखता है। एक तो खेती-बाड़ी से और दूसरा इरिगेशन से जो १५ लाख से नीचे की लागत का हो और जिसके जरिये पुराने टैंक्स आदि की मरम्मत करें। उस हिसाब से हम अलग अलग हैड्स में काम करते हैं और काम हाथ में लेते हैं। एग्रीकल्चर के हैड के नीचे कूओं को बनाने के लिये पैसा देना, बनवाना, ट्यूब वेल्स आदि बनाना, यह सब एग्रीकल्चर हैड से चलते हैं।

माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले और अन्य माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कुछ तरक्की अवश्य हुई है। जहां तक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माइनर इरिगेशन का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि हमने पहली योजना और दूसरी योजना में काफी बड़ा काम किया है। पहली योजना में १०६ लाख के करीब खर्च किया और १८६ वर्क्स को हाथ में लेकर पूरा किया और २४४ काम हाथ में लिये उसमें से ५८ काम को पूरा नहीं कर सके, जिसको दूसरी योजना में किया। इसी तरह से दूसरी योजना में १६६ लाख रुपयों की धन-राशि खर्च करके हमने ६६ काम नये लिये और ५८ काम पुराने हाथ में लिये और ७० काम पूरे किये और तीसरी योजना में हमने ५ साल में २४२ लाख रुपये खर्च किये और इस साल में करीब ६६ लाख खर्च होंगे। कुल मिला कर तीसरी योजना में ३४२ लाख रुपये खर्च करके जो इरिगेशन पोटेन्शियल बढ़ाया है वह १ लाख ८० हजार एकड़ भूमि का है। इस साल वर्षा की कमी से सिंचाई १ लाख ६० हजार एकड़ भूमि में होनी थी वह नहीं हो सकी, लेकिन जो कुछ लक्ष्य हमने माइनर इरिगेशन में रखा था उसको हमने पूरा ही नहीं किया बल्कि इससे दो योजनाओं में-पहले से दूसरी और तीसरी योजना में-दूना लक्ष्य पूरा किया। ओरीजिनल योजना से देखें तो दुगुना लक्ष्य पूरा किया है। फिर भी हमारा राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत से पुराने तालाब हैं जिनकी मरम्मत करवा कर और यहां पर ऐसे साइट हैं जिनको पूरा करने से इरिगेशन काफी तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन इतने साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये सभी माननीय सदस्यों के सभी के सभी इलाकों में पूरे काम नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि एक तहसील में प्रेक्टिकल रूप से पैसा खर्च करके साधन बढाये जावें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ काम किसी न किसी इलाके में हाथ में लिया जावे, यह नहीं हो कि एक ही तहसील को लेकर हम कन्सेन्ट्रेट करें और जो धन-राशि उपलब्ध है उसको एक जगह खर्च न करके सभी जगह खर्च कर दी जावे तो यह उचित होगा। यह उचित नहीं होगा कि सब धन-राशि एक ही जगह खर्च कर दी जावे क्योंकि सदन के माननीय सदस्य कुछ यह आशा रखते हैं कि माइनर इरिगेशन के द्वारा उनके यहां पर कूओं आदि में कुछ न कुछ काम किया जावे। इसलिये इस दृष्टिकोण के लिये माननीय सदस्यों ने कहा वह संभव नहीं है। यह मैंने आपको माइनर इरिगेशन के बारे में कहा है। माइनर इरिगेशन में ५० कम्प्रेशर्स और १३ नये ड्रिलिंग एड्स के लिये यह मांग की है, यह बहुत बड़ा एसेट्स किसान वर्ग के लिये होगा। इस से बहुत काफी पैमाने पर हम पानी, खास तौर से ट्यूब वेल्स के द्वारा, दे सकेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: हमारे सांचोर में सायला में काफी पानी है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपको बताना चाहता हूं कि सायला और खारी नदी के बीच में एक ऐसा क्षेत्र मिला है जिसमें ५० हजार से ७० हजार गैलन वाटर का डिस्चार्ज है और इसलिये वहां पर २००-३०० ट्यूब वेल्स खुद सकते हैं। वहां पर एक एक वेल से ३०० और ३५० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। इसके अलावा वहां पर ६० परसेन्ट लैन्ड गवर्नमेन्ट की है। उस पर अगर कुछ बेटरमेन्ट लेवी लगा कर ३५० एकड़ जमीन का इरिगेशन करें तो कर सकते हैं और वहां पर ३०० और ३५० ट्यूब वेल्स बन सकते हैं। यह मैंने आपको एक इलाका बताया है। इसी प्रकार धौलपुर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में भी है; वहां पर भी ट्यूब वैल्स बन सकते हैं और जहां पर काफी ऊंचा पानी है और पानी भी वहां पर काफी मात्रा में उपलब्ध है।

यदि यह मशीन हमारे पास नहीं होती है तो हमारे सीमित साधन होते हैं और हम किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिये यह जो मांग मैंने रखी है उसका उपयोग किसानों के लिये बहुत लाभप्रद होगा। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस मांग को पास करेंगे।

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कहा कि हमारे यहां पर टैंक टूटे हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी कुछ टैंक्स बने हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): वहां पर बहुत से टैंक्स फूटे पड़े हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: वे काफी पीढ़ियों से पड़े हुए हैं। ७८८ लाख रुपये आपकी एक तहसील में माइनर इरिगेशन में खर्च किया है।

श्री बलपतसिंह (आबू): जैसा अभी आपने जालोर में साधना के लिये कहा वैसे सिरोही में भी है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने इन्वेस्टीगेशन जालोर और सिरोही का कराया है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के लिये इसके लिये ५-६ लाख रुपयों की योजना है जिसको हमने, राजस्थान सरकार ने, मंजूर किया है और भारत सरकार ने भी। जमीन में कितना वाटर है इसके लिये हमारे यहां पर एक डिवीजन है जो काम कर रहा है।

मैं माइनर इरिगेशन के बारे में इतना कहने के बाद, दूसरी मांग जो ६ करोड़ की रखी है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें पहले थोड़ी रकम रखी थी, यह वह हैड है जिसके नीचे चाहे चना हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, ५० परसेंट के बेसिस पर ट्रान्जेक्शन चने के बारे में किया, आगे ज्वार के बारे में कर रहे हैं, उसके लिये प्रावधान मांगा है। ४ करोड़ ७० लाख रुपया की जो खरीद की है और लोगों को बेचा है, बेचन है, उससे प्राप्त हो जायगा। एक करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपयों की धन-राशि; जो दाल, चना खरीदना चाहते हैं, पुराना है, व्यापारियों से लेना चाहते हैं, उसमें खर्च होगा। इसलिये यह धन-राशि रखी है।

(४.४१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुछ माननीय सदस्यों ने स्टेट ट्रेडिंग की बात कही, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अलग-अलग जोन्स नहीं होने चाहियें। इसके बारे में मेरा यही निवेदन करना है कि यह एक बड़ा मसला है, यह एक नीति का प्रश्न है। देश ने जोन्स बनाये हैं तो सोच-समझ कर बनाये हैं। जो प्रोब्लम अनाज की कमी की है उसमें हम सारे देश में बराबर बराबर अनाज का बंटवारा करके इस स्थिति का सामना कर सकें इसके लिये जोन्स बनाये गये। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि जहां अनाज की कमी है वहां पर भी दिक्कत और जहां सरप्लस है वहां पर भी वही दिक्कत, कमी को लोकेलाइज नहीं कर सकें और सब जगह ट्रबल पैदा करें, या जो सरप्लस स्टेट्स हैं वहां से कमी के इलाकों में अनाज जाय या सारे देश में इस समस्या को पैदा करें, यह बहुत बड़ा मसला है, जिसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बारे में भारत सरकार ने जोन्स की बात को सोचा। कमी वाले क्षेत्र जोन्स के खिलाफ कहते हैं, वे अपने यहां की हालात को देख कर कहते हैं, पर उस मुसीबत को सारे देश में फैला देना, व्यापारियों को होर्डिंग करने की खुली छूट देना, आज जो दिक्कतें कमी वाले क्षेत्रों में हैं, उन दिक्कतों को सारे देश में पैदा करना, कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। मैं तो कहता हूं जोन होने की वजह से हिन्दुस्तान की ८-९ सरप्लस स्टेट्स हैं उनकी वजह से कमी वाले क्षेत्रों की समस्या काफी हद तक हल की गई है। कमी वाली स्टेट्स की तरफ सरप्लस स्टेट्स का ध्यान है, वहां पर अनाज का वितरण हो यह दृष्टिकोण हमारे सामने है, इसलिये जोन्स को खत्म करने की बात एक दम यहां कह देना, यह नामुमकिन है, न यह राजस्थान सरकार कर सकती है और न भारत सरकार ही तुरन्त फैसला करने की स्थिति में है।

स्टेट ट्रेडिंग के बारे में सदन के माननीय सदस्य बात उठाते हैं, पहले व्यापारियों ने जब नॉन-कोआँपरेट किया था तो उस समय हमने भी विचार किया था स्टेट ट्रेडिंग का। पर यह एक बड़ी भारी समस्या है। इतनी बड़ी कॉप को सरकार अपनी मशीनरी के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा खरीदवाये, इकट्ठा करवाये, स्टॉक्स को रखे और उन सारी कॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे, यह एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसकी कई पेचीदगियों को देखते हुए राजस्थान सरकार भारत सरकार की सलाह के अनुसार इस कार्य को हाथ में नहीं ले सकी है। इन सारी बातों में राजस्थान सरकार उलझी हुई है। अकेली राजस्थान सरकार, भारत सरकार का कुछ ध्यान नहीं रख कर, दूसरी स्टेट्स की कमी का ध्यान नहीं रख कर स्टेट ट्रेडिंग करने की स्थिति में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: एक साहसिक कदम है।

श्री नाथूराम मिर्धा: साहसिक कदम तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न धन का आता है। योजनाओं की अहमियत को देखते हुए इन योजनाओं में पैसा खर्च करके ज्यादा अनाज पैदा करें या जो कुछ अनाज हमारे यहां पैदा होता है उसको इकट्ठा करने में ही पैसा खर्च कर दें। तो मैं समझता हूं बुद्धिमानी इसी में होगी कि हम योजनाओं में खर्च करके जो कुछ अनाज हमारे यहां पैदा होता है, उससे ज्यादा और अधिक पैदा करें।

फिर यह पहलू आया कि यह नाकाबन्दी कर दी, यह नाकाबन्दी करदी जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। मैंने पहले भी बताया और फिर कहना चाहता हूं कि स्टॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे खराब साल में जो भी कुछ हुई है उसको सरकार ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है। मैं खास तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि गेहूं की प्राइस के बारे में बात चली कि यह ऐसे समय में किया गया है कि इससे किसानों को लाभ नहीं होगा, इससे किसानों को नुकसान होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गहराई से लेने की बात है। मिनिमम भाव तय करने का मसला हमारे सामने है, पांच-सात दिन में इस सदन में इसके सम्बन्ध में ऐलान करेंगे कि इस हद से नीचे दाम अगर आयेंगे तो सरकार खरीदेगी। किसान ऊंचे दामों में फ्री मार्केट में बेच सकता है तो आज जो कमी की है उसमें आने वाली फसल में

Page No. 90

(श्री नाथूराम मिर्धा)
किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला है; ज्यादा अच्छे दाम गेहूं और चर्ने के मिलने वाले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप यह बतलाइये कि इतना जखीरा इकट्ठा कर रखा था व्यापारियों ने, जो आज बाजार में आ रहा हैं, यह व्यापारियों के पास रह जाता और फिर किसान बेचने आते तो व्यापारी होर्ड नहीं कर सकते थे। अब व्यापारी लोग अपना पुराना माल निकाल कर नया अनाज स्टॉक करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपके अहम पहलू पर आ रहा था, आप बीच में ही खड़े हो गये। आपने खास तौर से जोर दे कर कहा कि गेहूं की मेग्जिमम कीमत हटते ही बाजार में गेहूं आया है और इससे जाहिर है कि व्यापारियों के पास गेहूं होर्ड किया हुआ था। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वे असलियत को टटोलें। यह जो जखीरा आज बाजार में आ रहा है इसके लिये केवल यही मान कर नहीं चलें कि यह सब व्यापारियों के पास ही था। वास्तव में यह व्यापारियों के पास भी था और किसानों के पास भी था। इस पर आप यह कह सकते हैं कि आपकी मशीनरी बड़ी इनएफिशियेन्ट थी जो व्यापारियों के पास से और दूसरे लोगों के पास से नहीं निकलवा सकी। यह दलील देखने में बड़ी सुन्दर लगती है पर वास्तविकता देखेंगे तो यह है कि किसान २५ क्विन्टल गेहूं रख सकता है, सारे धानों का मिलाकर ५० क्विन्टल रख सकता है। व्यापारी बिना स्टॉक दिये नहीं रह सकते थे, यह प्रावधान रखा था कि उनको अपने स्टाक्स डिक्लेअर करने पड़ेंगे। उन्होंने स्टॉक्स डिक्लेअर किये, वे तो कागजों में थे। जब गेहूं बीच में बिकवाया गया और वे स्टॉक्स खतम हो गये तो इस कानून को डिफीट करने के लिये, क्योंकि आज जनता बड़ा दिमाग रखती है, हम तो सोचते हैं कि कानून हमने खूब सोच–समझ कर बनाया है, कानून में अब किसी तरह की कसर नहीं रही, पर लोग बड़े होशियार हैं, २५ क्विन्टल की बात करते हैं तो ५ बोरी अपने दोस्तों के यहां रख देता है, ५ बोरी किसी दूसरे के यहां रख देता है और इस तरह व्यापारी और किसान शरीक हो जाते हैं। एक आदमी के पास काफी स्टॉक है गेहूं का, वह अपनी २० बोरी किसी एक आदमी के पास रख दे, २० बोरी किसी दूसरे के यहां रख दे तो इस तरह वह न सी. आई. डी. के कब्जे में आयेगा, न पुलिस के कब्जे में आयेगा, न कानून के शिकन्जे में ही आयेगा। फिर गेहूं की लिमिट कम करें तो बेईमानी की ज्यादा सूरत आती है।

तो आज जो हमारे समाज की स्थिति है वह स्थिति इस सदन में बैठने वाले किसी माननीय सदस्य से छिपी हुई नहीं है; इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। कानून को दोष देना, अफसरों को दोष देना व्यर्थ है, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि सभी अफसर ईमानदारी से काम करते हैं, पर जो कानून बनते हैं, उनका उल्लंघन करने के लिये जो दिमाग लोगों का चलता है, सलाह देने वालों का चलता है वह हम जानते हैं। नई से नई तरकीबें लोग कानून से बचने को काम में लाते हैं। तो जो माल आज बाजार में आ रहा है वह केवल व्यापारियों का ही माल नहीं है, वह व्यापारियों और किसानों का मिला-जुला माल हो सकता है। तो हम यह कहें कि जो कुछ हम करते हैं वह पूरा इम्प्लीमेन्ट हो जाता है, यह बात नहीं है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आंकड़े तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने माल इकट्ठा किया, उनमें से कई लोगों को सजा हुई। झुंझुनू और दूसरे इलाकों में हुआ है। यह तो है कि कई छूट भी गए। इसलिए उन दलीलों को हम इतना जोर से कहें, किसी आर्ग्यूमेन्ट को, यह ठीक नहीं। हालात बदलते हैं। दो साल पहले मेक्जिमम प्राइस ऑर्डर लागू किया उस वक्त आशा थी कि ज्यादा पैदावार होगी लेकिन अकाल पड़ गया, कम पैदावार हुई, माल रुक गया, आया नहीं। करीब ७० प्रतिशत पैदावार होने की आशा है। हमने सोचा था कि जब किसान को भी अच्छे पैसे मिल जायं, जो देशी गेहूं खाने के आदी हैं, उनको भी माल मिल जाय। इस दृष्टिकोण से हमने मेक्जीमम प्राइस हटाया। चारों तरफ से सदन में आवाज उठी उसका ख्याल करते हुए मैं समझता हूं कि जो फैसला किया गया वह उपयुक्त समय पर किया गया। इससे जो पुराने स्टॉक्स हैं या नये स्टॉक्स हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा किसान को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ज्यादा न बोल कर यही निवेदन करूंगा कि इन पूरक मांगों को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६ करोड़ रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१,४६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

(४.५२ म. प.)

अनुपूरक अनुदान को शेष मांगों पर मुख-बन्द

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २—राजकीय आबकारी कर।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्ति राज्यपाल महोदय को १५,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस पर डिस्कशन तो नहीं हुआ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पोइन्ट ऑफ आर्डर, मैं इसके अन्दर कुछ प्रोसीजर पोइन्ट आउट करना चाहता हूं। जो कट मोशन्स थे उनको विड्ड्रा करने का आपने मौका नहीं दिया, वोटिंग पर रखने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : जब वह वोट पर रख दिया तो अपने आप निगेटिव हो जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी तो समय है, मुखबन्द की क्या जरूरत है? आबकारी पर बहस हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह मैंने घोषणा कर दी थी उसके अनुसार····

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपने कहा था कि आबकारी भी आएगा, नहीं तो मैं उसके साथ साथ बोल लेता।

श्री उपाध्यक्ष : **I had said that after the Minister's reply** मुख-बन्द का प्रयोग किया जायगा।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११—कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११—स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३—विविध विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७—जन स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,५४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनूपूरक अनुदान की मांग संख्या १७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८—कृषि

प्रश्न यह है कि अनूपूरक मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २२—सामुदायिक तथा विकास परियोजनाएं आदि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक तथा विकास परियोजनायें, राष्ट्रिय विस्तार सेवा और स्थानीय

(श्री उपाध्यक्ष)

विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,३४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २२ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २५ बहुप्रयोजन नदी योजनाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाएं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,०५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६– सिंचन, नौचालन आदि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट-बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०५,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट-बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,२५,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६– सिंचन–स्थापना तथा औजार आदि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २८– अकाल सहायता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२७,७४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३१– भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)
तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४९,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई।

(५ म.प.)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३२--लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृति)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४--विविध

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,२०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४०--औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१--सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तट-बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८५,७५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७--राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने

(श्री उपाध्यक्ष)

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,६०,०२,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४०-मांग स्वीकार की गई ।

(५.१३ म.प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६६

(पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय अपने इस एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा विधान सभा से अधिकार चाहते हैं कि उनको कन्सोलिडेटेड फण्ड से ६० करोड़ ५४ लाख ६४ हजार रुपये की राशि प्रदान की जाय, उस पर स्वीकृति दी जाय । मैं, जहां तक डिमाण्ड का प्रश्न है, उनके मेरिट्स पर डिबेट का प्रश्न है, उस पर अधिक न जाकर केवल वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह कौनसी संसदीय परम्परा है जिसका वे यहां समर्थन कर रहे हैं ? सन् १९६५-६६ के बजट के समय जब पिछली बार यहां बैठे थे और लगभग डेढ़-दो महीने तक अलग अलग डिमाण्ड्स को लेकर यहां पर चर्चा की थी और बजट पास किया था उस समय राजस्व खाते से जो खर्च करते हैं, बजट का अनुमान था, उपाध्यक्ष महोदय, वह केवल ६६ करोड़ १४ लाख का था । ६६ करोड़ १४ लाख राजस्व खाते से खर्चे के बजट का अनुमान विधान सभा अपनी स्वीकृति के द्वारा उस पर मोहर लगाती है, उसके विपरीत आज सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड के द्वारा, आज उस एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा वित्त मंत्री महोदय विधान सभा से आज यह अधिकार चाहते हैं कि उनको ६० करोड़, लगभग ६१ करोड़ के एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा कन्सोलिडेटेड फण्ड से रकम लेने का अधिकार दिया जाय, मैं सोचता हूं कि यह विधान सभा की परम्परा के खिलाफ है, उसके सम्मान के खिलाफ है और यह विधान सभा के सदस्यों की मानहानि है कि पूरा समय देकर विधान सभा ने ६७ करोड़ का बजट पास करके स्वीकृति दी थी कि राजस्थान की भिन्न भिन्न योजनाओं पर खर्च करो, आज अकस्मात एक साल के बाद ६१ करोड़ के लगभग सप्लीमेन्टरी ग्रांट पास कराना चाहते हैं, मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय हमसे अधिकार लेना चाहते हैं । क्या यह विधान सभा की परम्पराओं के अनुकूल है ? यह रकम खर्च काहे पर हुई ? बजट के समय भिन्न भिन्न मदों पर विधान सभा के सदस्यों को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कहते हैं कि ग्रमुक ग्रमुक राशि ग्रमुक ग्रमुक योजना के लिये हमें दी जाय, विधान सभा वाद-विवाद के बाद ग्रापको यह रकम देती है, फिर कौनसा ऐसा पहलू है, कौनसा ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार को सप्लीमेंन्टरी ग्रांट केवल एक ही दिन में ग्रौर वह भी मुख-बन्ध लगा कर पास करवाना चाहती है, विधान सभा के सदस्य पूरी तरह से एक दिन में वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकते, किस प्रकार, कौनसी संसदीय परम्पराग्रों के ग्रनुसार यह सरकार विधान सभा की स्वीकृति की मोहर लगाना चाहती है ? ऐसी कौनसी बात है, कौनसी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस पर विधान सभा के सदस्यों को विश्वास दिला सकते हैं कि ग्रमुक ग्रमुक डिमाण्ड इस प्रकार की है ग्रौर इस पर पहले खर्चे का ग्रनुमान नहीं लगाया जा सका है। केवल बिल पेश कर दिया ग्रौर उस पर बहुमत के ग्राधार पर ग्राप सदन के सदस्यों से मोहर लगाना चाहते हैं। जब तक सदन के सदस्य यह नहीं मान जायं कि यह जो रुपया लिया जा रहा है, ऐसी कौनसी एमरजेंन्सी ग्रा गई थी, क्या ग्रापको इसका पहले कयास नहीं था ? दुर्भिक्ष की बात मानी जा सकती है। ग्रचानक ग्रकाल पड़ा है। उसमें ग्रापको पैसा खर्च करना पड़ा है। फैमिन में करोड़ों रुपया खर्च हुग्रा उसके लिये जो कहना है वह बजट के समय वाद-विवाद होगा तब प्रकाश डालूंगा। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रॉडिट पार्टी ने फैमिन रिलीफ का ग्रॉडिट किया है, मेरी यह मान्यता है कि ५० प्रतिशत रुपया बेकार गया है, पता नहीं है उसका ग्रौर गबन हुग्रा है, उन स्थानों पर लगा या नहीं, यह पता नहीं, ग्रधिकारियों ने पाया है उसको जिस काम के लिये उस पर लगा या नहीं, ग्राज तक उस ग्रॉडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। वह ग्रलग कहानी है। फैमिन पर पैसा लगाया, उसका उपयोग हुग्रा या दुरुपयोग हुग्रा, बाद में बात ग्रावेगी उस विषय में तब कहूंगा। यहां पर ग्रापने फैमिन रिलीफ में रुपया मांगा है वह है २७,७४,००० । यह ग्राप एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा हमसे स्वीकृत करवाना चाहते हैं। उसके बाद प्रिवी पर्सेज ग्रॉफ इण्डियन रूलर्स के लिये पैसा मांगने की ग्राज क्या जरूरत पड़ गयी ? स्टेशनरी ग्रौर प्रिंटिंग के लिये ग्राज यह रुपया मांगा जा रहा है, वह क्यों मांगा जा रहा है ? ग्रौर इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मदों पर लाखों करोड़ों रुपयों की मांग की है उनको मांगने की क्या जरूरत पड़ गयी है ?

शिक्षा विभाग के लिये जो ग्रापने मांग रखी ग्रापकी क्या सरकार है या तमाशा है जिसको यह तक पता नहीं था कि हमें शिक्षकों के एरियर्स को चुकाना है। उस समय ग्राप यह नहीं ग्रन्दाज लगा सकते थे कि हमें इतना एरियर चुकाना है। " गत वर्ष जब बजट ग्राया था उस वक्त क्या यह मांग स्वीकार नहीं कराई जा सकती थी। ग्रापने भिन्न-भिन्न मदों पर ६० करोड़ रुपये की स्वीकृति चाही है, क्या कारण है, क्या ग्राप उस समय इसका ग्रन्दाज नहीं लगा सकते थे जिस समय हमसे बजट की स्वीकृति ली गई थी ?

(५.१२ म.प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। वित्त मंत्री को ग्राप इस प्रकार की ठोकर मारें जिससे ये इस प्रकार से ग्रनुपूरक मांगें ग्रायन्दा नहीं रख

(श्री . कृष्णकुमार गोयल)
सकें, वह आप इन मांगों को ठुकरा कर ही कर सकते हैं। एक बार इन मांगों को ठुकरा दें इससे दूसरा बजट वे लेकर आयेंगे, सही बजट लेकर आयेंगे।

जो बजट पेश किया है उसमें आंकड़ों के जंजाल में लोगों को फंसा दिया है। वित्त मंत्री जी से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जब वे बजट लायें तो इस प्रकार करोड़ों रुपयों की सप्लीमैन्टरी मांगें न रखनी पड़ें, इसका ध्यान रखें। आज आप हमें गुमराह कर सकते हैं कि हमने टैक्सेज़ नहीं लगाये, बिल लेकर आ रहे हैं। १३ करोड़ का घाटा लग गया, उसकी पूर्ति कर आपने सरप्लस बजट बना दिया। आप जादूगरों के कारण और बहुमत के बल पर उसको स्वीकार करा लेते हैं। अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सम्माननीय सदस्यों से ये सब ग्रांट्स जो लाई गई हैं, एप्रोप्रिएशन बिल में, ६० करोड़ के खर्च करने की बात की गई है आप में स्वाभिमान है, संसदीय परम्पराओं का ध्यान है तो आपको चाहिये कि आप इन मांगों को ठुकरायें।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सभापति महोदय, जनसंघ के प्रतिनिधि ने बहुत जोरों से कुछ बातें रखीं और इस बात पर जोर दिया कि मैंने जो अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन के सामने रखी हैं उन पर जितना बहस मुबाहसा होना चाहिये वह नहीं होने के कारण जो परम्परायें पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी की रही हैं उसकी मैं अवहेलना कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि कौनसी परम्पराओं की अवहेलना में कर रहा हूं और कौनसा नया दस्तूर आज अनुपूरक अनुदान की मांग रखने से हो रहा है और कौनसा नया दस्तूर बन रहा है? मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से, अगर उन्होंने मेरी स्पीच पढ़ी होती मेरी बजट स्पीच पढ़ी होती तो उनमें सब बातों की व्यवस्था की हुई है, शायद उनको वह पढ़ने का समय नहीं मिला....

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप प्रिवी पर्स के सम्बन्ध में और स्टेशनरी के सम्बध में, उसमें क्या कहा है, बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपकी हरेक बात का जवाब दूं; एक प्रकार की परम्परा चली आ रही है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके सामने जो मुद्दा उठाया गया है उसका तो जवाब दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं उसके बारे में अभी नहीं कहूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस कारण कि आप बहुमत में हैं, आपके सिर पर सींग लग गये हैं इसलिये आपको डेमोक्रेसी का ध्यान नहीं रहता। जायज नाजायज जो भी हो आप बहुमत द्वारा पास करवा सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे सींग लग गये हैं तो किसी के खुर भी लग गये हैं, जो इस तरह से टांगें उछाल उछाल कर बोले चले जा रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि जो अनुपूरक मांगें सामने रखी हैं उतना खर्चा नहीं है वह केवल बुक एडजस्टमेन्ट है। जब तक ये मांगें सदन द्वारा पास नहीं हो जातीं तब तक बुक एडजस्टमेन्ट नहीं हो सकता, इसलिये आपके सामने लायी गई हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : एडजस्टमेन्ट का मतलब यह होता है कि जितना जमा किया गया है उतना ही नावें बतावें, १६ करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ गई है खर्चे में, केवल दस करोड़ रुपये बताये गये हैं। यह कैसा एडजस्टमेन्ट हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : बुक एडजस्टमेन्ट में प्लस-माइनस की जाती है। माइनस और प्लस में एडजस्टमेन्ट किया जाता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दोनों बराबर होनी चाहिये। जब आपके रेवेन्यू में जितना आया तो उतना ही एक्सपेन्डीचर में आया है तो वह सदन के सामने लायें।

श्री बालकृष्ण कौल : इसीलिये मैं अर्ज कर रहा था, यह केवल एडजस्टमेन्ट का सवाल है। ७८ करोड़ रुपये का एडजस्टमेन्ट किस प्रकार से किया है वह मैं आप चाहें तो बता सकता हूं :

एज्यूकेशन में ३.१०
एग्रीकलचर में २
राजस्थान केनाल १८०.६६
इरिगेशन में १०५

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो बजट में आ चुका है।

श्री बालकृष्ण कौल : इसीलिये मैं अर्ज कर रहा था, माननीय सदस्य ने मेरी बजट स्पीच देखी नहीं है इसलिये उनको ऐसा ख्याल रह गया है। ७८ करोड़ नीयरली बुक एडजस्टमेन्ट के लिये चाहिये। एक्सपेन्डीचर साइड में जब तक सदन पास नहीं करता है कानूनी खाते में ले नहीं सकते।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : राज्यपाल अधिकृत हैं वे कर सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : उस पर भी सदन की स्वीकृति लेनी होती है। सात करोड़ रुपया वह है जो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से आता है जो आता रहेगा। इस सात करोड़ की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर नहीं पड़ रही है। सिर्फ खर्चा पड़ा है पांच करोड़ का; नया खर्चा है जिसका ब्योरा लिखा हुआ है। बजट स्पीच में उसका ब्योरा दिया है कि किन किन कारणों से यह खर्च हुआ।

फेमिन की वजह से, लड़ाई के सबब से ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप इतना ही बता दीजिये पाकिस्तान के एग्रेशन के कारण अन-एक्सपेक्टेड एक्सपेन्डीचर कितना हुआ; वही आप बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : गिनती बता दूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तसल्ली से।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : कल बता देना।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे ख्याल से रह गया है, एडजस्टमेन्ट और कहीं हो गया है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सात करोड़ का तो अभी बताता हूं। दो पुलिस बटालियनें जो नई हुई भारत—पाकिस्तान के झगड़े की सबब से, उसका खर्चा हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खर्चा जरूर हुआ होगा, पर आपने जो डिमान्ड दी है उसमें वह कहां है, यह आप बता दीजिये ? यह बता दीजिये कि अमुक डिमान्ड मे यह लिखा हुआ है ?

श्री जोधसिंह चौहान : मुख्य मन्त्रीजी तो कह गये हैं कि हमारे जिम्मे उसका खर्चा नहीं था, फिर खर्चा कहां से हो गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप सुन लीजिये ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री बालकृष्ण कौल : अण्डर फेलीन लैस रिकवरीज में, मैं पढ़ रहा हूं । पेज नम्बर चार पर । देख लीजिये । नीचे लिखा हुआ है । तीसरी लाइन में देख लीजिये ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कहां हैं, कौल साहब ?

श्री बालकृष्ण कौल : चौथे पेज में जहां सेन्ट्रल दिया है वहां के नीचे की लाइन पढ़ें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें तो यह लिखा है कि इसके कारण काया-पलट हो गई । वसूलियों में कमी होने के कारण और घाटा बढ़ गया । अनुपूरक मांगों में ५१६ लाख का घाटा हो गया और अब १३ करोड़ का घाटा हो जायेगा, यह लिखा है इसमें तो ।

[illegible] : आप ही काया-पलट करें, कौल साहब !

श्री बालकृष्ण कौल : हो रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां हो रही है? कहां है इसमें, कौल साहब, बतावें तो सही ?

श्री बालकृष्ण कौल : बताया तो मैंने ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस पेज में है, आप ही पढ़ कर सुना दें, ताकि वह प्रोसीडिंग्ज में आ जाये ।

श्री बालकृष्ण कौल : कुल अनुपूरक मांग अनुदान को ६,०५,४६४) रुपया होती है । जिसमें से ७२,२७६ तो भारत सरकार आदि से सहायता के रूप में प्राप्त हो जावेगी । ७८,१५६८ का सिर्फ समायोजन है जो रकम राजस्थान सरकार को अधिक खर्च करनी पड़ेगी वह ५१६.२० लाख सन् ५५-५६ में बजट में ३९ लाख का घाटा था जिसकी पूर्ति भारत सरकार आदि से अधिक अनुदान और बकाया की वसूली से पूरा करने का विचार था; परन्तु एमर्जेन्सी, आपत्काल व अकाल के कारण वह स्थिति पलट गई और इस घाटे को पूरा करना था वह तो दूर रहा वसूलियों में कमी के कारण व खर्चे अधिक होने के कारण घाटा बहुत बढ़ गया । वह ५०२.२४ लाख था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें डिफेंस का कहां आया ?

श्री बालकृष्ण कौल : घाटा अनुपूरक मांग की कॉलम में बताया गया था वह ५१६.२० का घाटा इन मांगों में निहित है । इन तीनों को जोड़ने से घाटे की पूर्ति हो जाती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५१६.२० लाख में एमर्जेन्सी का खर्चा कौन सा है ? आर० ए० सी० का जैसा आपने बताया, वह खर्चा कहां है ?

श्री बालकृष्ण कौल : अनुपूरक मांग के १३ पेज पर आ जाइये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आ गये साहब ।

श्री बालकृष्ण कौल : भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के कारण निष्क्रांत एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ४ लाख ६१ हजार की राशि अपेक्षित थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो भारत सरकार से प्राप्त हो जावेगी ।

श्री बालकृष्ण कौल : पर सवाल तो इस वक्त का है। हो जायेगी, या नहीं हो जायेगी, यह तो बाद की बात है। पर जो खर्चा हो गया है उसके लिये तो आपसे स्वीकृति लेनी होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भी चार लाख ६३ हजार है सिर्फ।

श्री बालकृष्ण कौल : आगे चलिये। अल्प बचत को प्रोत्साहन देने हेतु गत तीन वर्षों की औसत से अधिक धन एकत्रित किया गया था। अनुदान विकास योजना हेतु फ फण्ड के लिये विकास समितियों को देने के लिये अपेक्षित था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप खर्च बताइये, आइटम बताइये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आइटम बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिर्फ ४ लाख ६३ हजार का और वह भी केवल पुनर्वास का है। आर० ए० सी० की बटालियन का कहां है ?

श्री बालकृष्ण कौल : सात लाख के दूसरे आइटम बताये।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : यह तो पुनर्वास के लिये और व्यक्तियों की सहायता आदि के लिये है। यह तो रिहैबिलिटेशन की सहायता है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने एक आइटम लिये नहीं कहा, बहुत से आइटमों के लिये कहा है। कुल पांच करोड़ का खर्च मिस्लेनियस हुआ है जो हमारे बजट में प्रोवाइडेड नहीं था। तो आपने आइटम के लिये कहा, वह बताने लगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार लाख ४६ हजार है वह भी, थोड़ा थोड़ा ही है।

श्री बालकृष्ण कौल : आप सुनते चलिये, मैं बताता चलता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बताया करोड़ में वहां नहीं है, वह तो चार लाख ४६ हजार है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसके आगे भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिलिटरी का तो वहां आइटम है।

श्री बालकृष्ण कौल : ३ लाख ६५ हजार की अतिरिक्त राशि आवद्ध व्यक्तियों के व्यय हेतु।

तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सब हमने इसमें लिख रक्खा है उसको आप पढ़ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर० ए० सी० का खर्चा करने का, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान वह इसमें कहां पर है ? प्रवासी निष्क्रान्त व्यक्तियों को रिहैबिलिटेट करने की दृष्टि से है, बाकी इसमें और कहीं पर भी नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप गणित में कमजोर हैं। लिस्ट में देख लीजिये न।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आइटम सामने ला रहा हूं। जितना अनुपूरक मांगों के साथ विश्लेषण दिया हुआ है उसको एक एक चीज को मुझे यहां पढ़ना पड़ेगा, यह मैं सोच कर नहीं आया था। फिर भी मैं एक एक चीज पढ़कर सुना देता हूं। जिस पर्चे में यह सब है, वह आप सबको बंटा हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन केवल यह था कि एप्रोप्रियेशन बिल के साथ शिड्यूल में पुलिस जहां पर है उसके अन्तर्गत देखें तो चार्ज में लिखा है बाकी वोटेड में एक भी पैसा नहीं लिखा है। अब जो सरकार का कहना है कि आर० ए० सी० के चलाने में खर्चा हुआ तो उसे पुलिस के मद में बताना चाहिये था। पर पुलिस के शिड्यूल में कुछ नहीं लिखा, इसलिये शक पैदा हुआ। तो या तो आप गल्ती स्वीकार कर लीजिये कि सेक्रेटेरियेट की गल्ती हुई है या फिर बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : सेक्रेटेरियेट की गल्ती कैसे मान लें। अगर गल्ती हो सकती है तो मुझसे हो सकती है। सेक्रेटेरियेट की कैसे हो सकती है? तो मैं अर्ज कर रहा था...

श्री कृष्णकुमार गोयल : रहने दें, आप और थक जावेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : जुबानी मैं याद रक्खूं छोटे छोटे आइटम और सब आपके सामने रख दूं, यह थोड़ा मुश्किल है। पर आपकी मनोवृत्ति मुझे मालूम हो गई कि जनरल डिबेट में जब कि एप्रोप्रियेशन बिल की लास्ट डिबेट होती है उसमें आप एक एक चीज का आइटम चाहेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये तो जानबूझकर आपको थकाने के लिये करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने यह सोचा नहीं था कि एक एक आइटम पर जानकारी देनी होगी। फिर भी जितनी मैं दे सकता था मैंने दी। बताने की मन्शा यह थी कि ५ करोड ही खर्चा ज्यादा हुआ है और उसका कारण मैंने बता दिया है कि मोटे मोटे कारण ये हैं और किसमें कितना हुआ, क्या हुआ, यह अनुपूरक मांगों के साथ में रिव्यू दे रखा है उसमें दे रखा है। आपको यह एतराज हो कि जितनी बहस इस पर होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, तो इसका सारा रिव्यू मेरी बजट स्पीच में दिया हुआ है और उसके अलावा आपको ५ दिन और मिलेंगे और आप उस पर एक एक चीज पर बहस करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। अभी थोड़ा टाइम बढाने के लिए आपने अपने हक को पूरा लेना चाहा, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आपके दिलों में और बातें रह गई हैं वे आप ५ दिन जनरल डिबेट है उसमें रखें, और उन दिनों में आप ही आप हैं और उसमें कौनसी डिटेल आप चाहते हैं, कौनसी नहीं; यह मुझे मालूम हो जायेगा। इसलिये अगर कुछ मेरी बातों में इधर उधर आइटम रह गया हो तो मैंने कहा कि वह मैं सेक्रेटेरियेट की गल्ती नहीं मानता, उसे मैं मेरी गल्ती मानता हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो आपका बड़प्पन है।

श्री बालकृष्ण कौल : ये जितनी बातें मोटी मोटी थी वे मैंने रखी कि इसमें ७२ करोड़ रुपया तो ऐसा है कि जो एडजस्टमेन्ट का है और वह आपके सामने इसलिए लाना पड़ा कि क्योंकि उसको बगैर आपके पास कराये फोर्मली उसके कोई माने नहीं होते। बाकी मैंने कहा कि ७ करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से स्कीमों के आने वाले हैं और हमने खर्च किया है उसको पास आपसे करवाना जरूरी है और घाटा जो है वह सरकार का ५ करोड़ के करीब है और जिसको मैंने अपने भाषण में भी और अब भी मैं निवेदन करता हूं कि वे ऐसी चीजें हैं कि आज इस तरह की हालात में कभी लड़ाई आ गई, कभी फैमिन

(श्री बालकृष्ण कौल)
आ गया, कहीं जमा नहीं हो सका, बेटरमेन्ट लेवी नहीं आई और बहुत से इस किस्म के हैं जिनके कारण से हमें खर्च ज्यादा करना पड़ा। इन सब में ५ करोड़ हुआ। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसको पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६६ जिस के द्वारा राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष १६६५-६६ के लिये ६० करोड़ और कुछ लाख रुपया राज्यपाल महोदय को दिये जाने के लिए यह विधेयक माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में सभापति महोदय, मैं यह अनुभव कर रहा था कि इस पर विचारार्थ लिए जाने के समय, जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार रखे हैं और जो इस बहस में और भी मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके संबंध में श्रीमान् वित्त मंत्री महोदय कुछ नई बातें सदन के सामने रखेंगे। उन्होंने उन सारी बातों का जवाब कुल इस आधार पर कि मेरे आज के बजट भाषण को यदि आप पढ़ लें तो उन सब बातों का जवाब मिल जायेगा। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह बजट के जवाब और अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब नहीं देने की जो असमर्थता है उसका परिचायक है। ऐसा लगता है कि यहां पर उठाये गए मुद्दों का जवाब जब तक उनको कोई स्लिप नहीं मिले तब तक वे शायद नहीं दे सकें। यह सही है कि बहुत सी बातों का जवाब आंकड़ों की दृष्टि से वे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सदन में अपेक्षा की जाती है कि हमारे राज्य का वित्त मंत्री उन आंकड़ों के बारे में इतनी जानकारी कम से कम रखेगा कि सदन में कोई सवाल किसी प्रकार का उठाया जाये तो मोटे तौर से उसका उत्तर तुरन्त दे सके। मुझे सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि आज हमारे राज्य का वित्त मंत्री इतना उदासीन है इस दृष्टि से या कहना चाहिए कि इतना निष्क्रिय है या इतना इनकॉम्पोटेन्ट है कि आज राज्य में आर्थिक दृष्टि से क्या हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सारी फिजूल खर्चियों को रोकने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, ऐसे उपाय सदन के सामने रखे जायें, सदन को विश्वास में लाया जाये और सदन के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया जाये कि राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो आप विनियोग विधेयक के द्वारा राज्य सरकार को देते हैं या कहना चाहिए कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वित्त मंत्रीजी के हाथ में दिया जाता है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, सरकार किस प्रकार से सदुपयोग करने जा रही है–मुझे अफसोस इस बात का है कि वित्त मंत्री जी न सदन को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आश्वासन दे सके हैं और न सदन को इस मामले में विश्वास में ही ला सके हैं और यह बात दूसरी है कि केवल बहुमत के आधार पर इस विधेयक को पारित करा लिया जाये। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले ७ दिनों से और उससे पहले भी इस सदन में अनेक बातें हम सुनते आ रहे हैं। सभापति महोदय, आपने भी वे बातें सुनीं और हमारी इस पर एक व्यवस्था इस प्रकार की है कि हम राजभवन के लिये नई कारें खरीदना चाहते हैं, हम फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, गलीचे और कार्पेट और अन्यान्य व्यवस्था करना चाहते हैं; मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं·······

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): सभापति महोदया कहां हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने 'महोदया' नहीं कहा है। शायद आपके मन में उनके पास बैठे रहने के कारण 'महोदया' कहने की आ रही है।

लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर राजभवन के संबंध में इसमें जो उन्होंने व्यवस्था की है मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर पिछले ७ दिनों तक सदन में वाद-विवाद खड़ा रहा, आपने राज्यपाल महोदय की ऑडिट रिपोर्ट मंगा कर देखी है, किसी प्रकार की आपने उसके संबंध में कार्यवाही की है? राजभवन में होने वाली चीजों को रोकने की दृष्टि से आज तक इस सदन में सरकारी स्तर पर कोई कदम उठाया है? जो वहां पर दी जाने वाली ग्रान्ट और धन-राशि है उसका दुरुपयोग होता है या नहीं, आपने कभी इसको देखने की कोशिश की? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, सदन के सदस्यों द्वारा आपको दिया हुआ पैसा, उसका कितना सदुपयोग होता है, आपने कभी उसकी चिन्ता की है? कभी वहां के लिए जो ऑब्जेक्शन्स होते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया है? वहां की गाड़ियों का कितना दुरुपयोग होता है, इसका और आपने ध्यान दिया है? वहां पर नया रीमोडलिंग कराना है, पर्दे बदलने हैं, गलीचे लगाने हैं, यह सब कुछ तो आप करते चले जा रहे हैं; लेकिन आपका चेक क्या है? ऑडिट रिपोर्ट में होने वाले घोटाले, वहां के मिस-एप्रोप्रियेशन और एम्बेजलमेन्ट के केसेज के बारे में भी कोई ध्यान दिया है? या राजभवन के नाम पर यह नॉन वोटेड है चार्ज्ड है इसलिये हाउस को पास करना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की फिजा बनाना चाहते हैं कि लोग बचत में पैसा लगायें और राष्ट्र पर आई हुई आपत्ति में लोगों को पैसा बचाना चाहिए आप इस प्रकार की मांग करते हैं कि राज्यपाल महोदय के लिए गाड़ियां चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो यह विधेयक रखा गया है इसमें राज्यपाल महोदय के बारे में कहीं जिक्र है? इसमें राजभवन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई उनका नाम तक नहीं है। फिर आप उन पर किस तरह से बहस करे जा रहे हैं। आपके पास पहले ये छपे हुए पर्चे भेज दिए गए हैं उनमें बता दिया गया है कि पांच करोड़ रुपया किस किस तरह से खर्च होगा। यह पर्चा आपके पास मौजूद

Page No. 104

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
है, इसमें राज्यपाल महोदय की एक पैसे की मांग नहीं है और उस पर भी आप बहस करते जा रहे हैं · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा · · · ·

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसमें राज्यपाल महोदय की कोई चीज नहीं है। पांच करोड़ के खर्च की वक्तृफियत दी हुई है, इसमें कहीं राजभवन के बारे में नहीं है और आप बोले जा रहे हैं। जब इस पर विचार हो तब आप बोलेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर इसमें राजभवन के बारे में होगा तो आप फिर खड़े होकर बोलेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सदस्य से।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जो पांच करोड़ ... करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड है उसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं और ये वित्त मंत्रीजी से कोई बात कहते हैं तो उस समय उनके पास वह पर्चा नहीं होगा इसलिए नहीं बता सके होंगे, लेकिन यह तो सभी के पास पहले से ही पहुंच चुका होगा। इसके अन्दर राजभवन के बारे में कोई मांग नहीं है · ·

श्री सभापति : Order please,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल . मैं माननीय सदस्य को इसमें राजभवन की डिमाण्ड बता दूं कि क्या वे उन सब बातों को सदन में रखेंगे जो राजभवन के बारे में वे जानते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर मैं उनको इसमें राजभवन के बारे में डिमाण्ड बता दूं तो वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और जो कुछ वे राजभवन के बारे में जानते हैं उसको सदन में रखेंगे। मैं माननीय सदस्य की आत्मा को चुनौती देना चाहता हूं और · · ·

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राज्यपाल के पक्ष की कोई डिमाण्ड नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर मैं डिमाण्ड बता दूंगा तब तो आप मानेंगे ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई प्रश्न नहीं है डिमाण्ड होने का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे कह रहा हूं माननीय सदस्य गोकुलप्रसादजी ! सदन के जागरूक माननीय सदस्य !! मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री गोकुलप्रसादजी शर्मा, ब्राह्मण पुत्र, आपके अन्दर जो आत्मा है, मैं आपकी आत्मा को चुनौती देता हूं और आपसे कहता हूं कि अगर आपके अन्दर आत्मा है, और मैं जानता हूं कि आपके अन्दर आत्मा है तो अगर मैं आपको राजभवन की डिमाण्ड उसमें बता दूं तो जो कुछ आप राजभवन के बारे में जानते हैं उसको सदन के सामने रखना आपका परम कर्तव्य है।

सभापति महोदया

श्री रघुनाथ बिश्नोई :. यह क्या हुआ आपको ?

श्री चन्दसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : आप माफी मांगिये जो आपने सभापति महोदय को 'महोदया' कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am sorry, Sir. आप देखिए गोकुल प्रसाद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जो, यह पृष्ठ संख्या २ है। इसमें सामान्य प्रशासन को मांग संख्या १६ है। यह १६ है और यह ४६,०००) की मांग है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:—

"(१) राजभवन के लिये नई गाड़ियों के क्रय हेतु अतिरिक्त प्रभृत व्यय की पूर्ति के लिए १५,०००) रु० अपेक्षित हैं।"

श्री रघुनाथ विश्नोई : "सभापति महोदय" कहा है, उसको प्रोसीडिंग्स से हटा दिया जाय।

(कोई उत्तर किसी की ओर से नहीं)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई खास बात नहीं है। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, वे महिला हैं तो भी उनको प्रधान मंत्री ही कहते हैं। संकट में कोई खास अन्तर नहीं पड़ता।

तो, सभापति महोदय, राजभवन के लिए बिजली व पानी और बिजली प्रतिस्थापन (१२,०००) के हेतु अतिरिक्त प्रभृत व्यय की पूर्ति के लिए १५,००० रुपये अपेक्षित हैं। राज्यपाल के परिवार, राज्यपाल के सचिवालय के कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय, उनकी यात्रा के लिए और उनके टेलीफोन के लिए इतना जरूरी है, यह सब कुछ राज्यपाल महोदय के लिए चाहिए। अब श्रीमान् गोकुलप्रसाद जी शर्मा, सदन के जागरूक सदस्य, ब्राह्मण पुत्र, जागृत आत्मा वाले, अब आप खड़े हो जाइए और राजभवन के अन्दर जो घोटाले हो रहे हैं, जो गड़बड़ियां राजभवन के अन्दर हो रही हैं, उनके बारे में जो कुछ जानते हों उनको सदन के सामने रख दीजिए और एक सदन के सदस्य के नाते जो आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा कीजिए। मैं जानता हूं कि ब्राह्मण पुत्र कभी झूठ नहीं बोलता और खास तौर से गोकुलप्रसादजी तो कभी झूठ नहीं बोलते, इसका मुझे पूरा भरोसा है। उनको शायद यह संशय था कि इसमें यह मांग नहीं है, अब उनका संशय दूर हो गया।

(व्यवधान)

गोकुलप्रसादजी, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा से एक ही बात निकल रही है, मैं उस आवाज को सदन में रखने को तैयार हूं, अब आप भी तैयार हो जाइए। आप खड़े हो जाइए, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। मुझे राजस्थान की जनता के हित में राजभवन में जो घोटाले हो रहे हैं, राजभवन में जिस प्रकार के खर्चे हो रहे हैं, जिस तरह से जनता की धन-राशि खर्च की जा रही है, राजभवन की गाड़ियों का जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदी जाती हैं, उनका जिस तरह से दुरुपयोग होता है, उसको सदन में रखना होगा।

राजभवन की गाड़ियां इसलिए नहीं हैं कि वहां के किसी अधिकारी की पत्नी ऑल इण्डिया रेडियो पर भाषण देने जावे तो राजभवन की गाड़ियों में जावे · · ·

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राज्यपाल के लिए आप क्या बात करते हैं? राज्यपाल के लिए गाड़ियां हैं, अगर वे उसमें बैठ कर जाते हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? राज्यपाल हमसे कहीं बड़े हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने गाड़ी खरीद कर रखी है, वे उसमें बैठ कर जाते हैं, यह आपको बर्दाश्त नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो बर्दाश्त होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्यपाल बैठे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्यपाल के कर्मचारी गाड़ियों को दौड़ाते फिरें, उनके टेलीफोनों पर जनता के हजारों रुपये · · ·

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर राज्यपाल के टेलीफोन पर हजार, दो हजार रुपये ज्यादा खर्च हो गए तो क्या आफत हो गई ? राज्यपाल आपसे हमसे ज्यादा बड़े माने जाते हैं, उन पर थोड़ा सा खर्चा हो गया तो उसको लेकर आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, यह कोई मजाक है ? हम तो 'माननीय सदस्य, माननीय सदस्य' कर रहे हैं और आप राज्यपाल को 'राज्यपाल', 'राज्यपाल' करे जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्रीमान् राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, महामना राज्यपाल महोदय! मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि राजभवन में . . .

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय सदस्य आपस में ही बातें करते जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज जिस प्रकार से कर्मचारियों को रख रखा है, क्या उनको रखे रखना चाहिए, क्या यह सही है? अब श्रीमान्, (श्री फूलचन्दजी की ओर मुखापेक्ष) आप अपनी बात कहें, हमने सुनी नहीं।

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह कह रहा था कि आप दोनों आपस में ही बातें मत करो, अपना 'भाषण' सुनाओ, हम भाषण सुनना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं इस सिलसिले में अपनी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन श्रीमान् फूलचन्दजी जैन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट रखी है, शायद कौल साहब ने उसको अभी पढ़ा नहीं है, मैं समझता हूं कि मैं सही कह रहा हूं। क्यों कौल साहब, मैं सही कह रहा हूं ना (अल्प विराम) उनको यह भी पता नहीं है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है या पेश करने वाले हैं।

तो जो रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने श्रीमान् फूलचन्दजी की चेयरमैनशिप में इस बार पेश की है उसको पढ़ने के बाद पता ऐसा लगता है या तो वे कोई कांग्रेस के मेम्बर नहीं हैं और अगर हैं तो वे ईमानदार कांग्रेस के मेम्बर हैं। आपने पूर्ण ईमानदारी के साथ रिपोर्ट रखी है और सरकार की सारी कारगुजारियों का भण्डाफोड़ कर दिया है। अगर इस रिपोर्ट को ही कौल साहब पढ़ लें तो राज्य में जो लाखों करोड़ों का गबन हो रहा है, जो राज्य में घोटाले हो रहे हैं जो जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है वह सब सामने आ जाएगा और जो लोग ऐसी कार्यवाहियों में लगे हुए हैं उनकी कार्यवाहियों को रोका जा सकेगा। आज कृषि के नाम पर, कृषि उत्पादन के नाम पर, खाद्यान्न के उत्पादन के नाम पर, श्रीमान् नाथूरामजी साहब! मैं आपके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, मेरा सारा अटैक इन्हीं पर है, क्या हो रहा है। आपके सारे सीड के फार्म एग्रीकल्चरल फार्म मुनाफे में चल रहे हैं सिवाय टोंक और डिग्गी के। मैं, सभापति महोदय, आपको नम्रतापूर्वक . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर सभापति महोदया :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो सभापति महोदय कह रहा हूं। यह तो वही हुआ कि 'जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी प्रभु तिन तैसी'। सभापति महोदय, उन सारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शीड्स फार्म पर राज्य सरकार ने, चालीस शीड फार्म्स पर ६० लाख ४२ हजार रुपये खर्च किए। इन चालीस फार्मों में से २० फार्म्स के बारे में उपलब्ध सूचना से ज्ञात हुआ कि १५ फार्मों में मार्च, १६६४ तक कुल हानि ८ लाख ४० हजार की हुई है। ६० लाख रुपये का खर्च कर सरकार ४० फार्म बनाती है और उसमें से बीस का तो पता ही नहीं क्या हुआ लेकिन बीस फार्म्स के बारे में जो जानकारी मिली उससे ही ये फार्म्स घाटे में चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण इस पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में शामिल हैं। और सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि जैसे आपके स्टेशनरी विभाग से रजिस्टर बनाते हैं जिसमें दर्ज किया जाता है कि इतने कागज दे दिये जायं। कागज के लिए लेकिन रजिस्टर बने नहीं, रजिस्टर आए नहीं, कागज आए नहीं, सरकार की ओर से अदालत में मुकदमा . .

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, किसी बिल को थर्ड रीडिंग पर किस प्रकार बहस होती है, मेरे माननीय सदस्य, इतने बुजुर्ग और काफी अर्से के तजुर्बेकार सदस्य, जो इस तरह की बहस में शामिल होते हैं, वे इस थर्ड रीडिंग के मौके पर किसी तरह की बहस कर रहे हैं इस बारे में सोचें। अगर और कोई माननीय सदस्य ऐसा करते तो बात दूसरी थी, लेकिन उन जैसा नियमों का जानकार माननीय सदस्य इस तरह की बहस थर्ड रीडिंग के अवसर पर करे, यह कहां तक वाजिब है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इतना बता दें कि . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो अभी ५ दिन आ रहे हैं। आप खूब भाषण दें और हम सुनेंगे और एक एक चीज पर विचार करेंगे और जबाब देंगे। लेकिन थर्ड रीडिंग पर आप जैसे बुद्धिमान आदमी इस तरह से बहस करेंगे तो समझ में नहीं आता है। आप करना चाहें तो करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नाथूराम जी से पूछना चाहता हूं कि आप जैसा चाहें वह करूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : थर्ड रीडिंग में जो लिखा हुआ है नियमों में, उसके अनुसार करें। आप नियम पढ़े हुए हैं और रोज हाउस में सुनाते हैं कि फुलस्टाफ, कामा की गलती हो तो उसको ठीक कर लें। आप थर्ड रीडिंग में इस तरह से बोलते हैं और कहां की बहस पर आ गए। कागजों की बहस पर आ गये तो यह आप जैसे बुद्धिमान को शोभा नहीं देता है। अगर आप करना चाहें तो करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कागजों की बात करने लग गया तो आपको यह वहम कैसे हो गया . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कागज की करें, आप मुर्गी की करें, आप चिड़िया की टांग की करें, लेकिन आगे पांच दिन इस पर बहस होगी उस समय करें। सदन आपको काफी समय दे चुका है। आप जैसे बुद्धिमान आदमी इर्रिलेवेन्ट जायें तो शोभा नहीं देता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कैसे वहम हो गया है ? मैं इन रजिस्टर के मामले में न तो उस सज्जन का नाम बता रहा हूं, न प्रेस का नाम बता रहा हूं, और न यह कह रहा हूं कि प्रेस में किन किन का साझा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : भाई सतीश जी ! आप रजिस्टर का कहें, रजिस्टर के पेज का कहें, कागज का कहें, पांच दिन अपने को यही काम करना है, लेकिन अभी क्यों सता रहे हैं ख्वामख्वाह ? वह चीज आज इस कानून से रिलेवेन्ट नहीं है, यही मेरा निवेदन है । आप जैसे समझदार आदमी को और क्या कहें ? आप जबरदस्ती करना चाहें तो करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बता दें कि विनियोग विधेयक के थर्ड रीडिंग पर किस विषय पर बोलना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स मेरे पास नहीं हैं । अगर श्री अतीर्पसिहजी दें तो मैं पढ़ कर बता दूं । (श्री सचिव से) रूल्स बताना, भाई !

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्कोप क्या है ? मैं समझता हूं कि जिन डिपार्टमेन्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ हो या जिनके बारे में डिस्कशन हो चुका हो लेकिन कोई बात नहीं आई हो तो उनके बारे में रैफरेन्स दिया जा सकता है । उन पर खूब बोला जा सकता है, बोला गया है और बोला जाता है । इसके विपरीत बता दें आप रूल्स ।

श्री नाथूराम मिर्धा : श्रीमान्‌जी, सुनिये । रूल नम्बर ८६—

'Scope of debate—The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.'

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वही तो दे रहा हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : थर्ड रीडिंग पासिंग स्टेज होती है । वह मैंने पढ़ा है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कौनसे बिल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं ? वह लेजिस्लेटिव बिल्स के बारे में है और यह एप्रोप्रिएशन बिल है । उसके बारे में पढ़ दें ।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, उनको देख लेने दें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : १५४ नियम है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे ८४ पढ़ रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एप्रोप्रिएशन बिल के लिए १५४ है, जनरल डिबेट का ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें हाउस में इन चीजों का रैफरेन्स दिया जा सकता है और वह मैं दे रहा हूं । उदाहरण के तौर पर मैंने एक-दो कम रखे हैं ।

Page No. 109

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वापिस रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो, सभापति महोदय, मैं इस संबंध में केवल आपसे यह निवेदन कर रहा था कि प्रिन्टिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेन्ट का एक केस रख रखा था, जिसमें रजिस्टर तैयार करने के लिए एक प्राइवेट फर्म को काम दिया गया था। फर्म ने कुछ रजिस्टर सप्लाई किये और बाकी के लगभग आधे रजिस्टर सप्लाई नहीं किये। उसके बाद कोर्ट में केस गया कि रजिस्टर सप्लाई किये जायं तो वहां पर उन्होंने कहा कि आपने कागज नहीं दिया और सरकार कहती है कि कागज दिया; लेकिन सरकार उसको साबित नहीं कर सकी कि रजिस्टर बनाने के लिए उनको कागज दिया गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह पुरानी बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ६५ वाली रिपोर्ट में है। उसी को मैं रेफर कर रहा हूं। रिपोर्ट भरी पड़ी है ऐसे मामलों से, एम्बेजलमेन्ट के केसेज से, धन के दुरुपयोग के केसेज से। मैं वित्त मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा करें और पढ़ कर आप जिन विभागों से संबंधित मामले हैं उनके बारे में कार्यवाही किया करें। और मैं आपसे (श्री गोकुलप्रसाद जी शर्मा) से पूछना चाहता हूं कि पुराने मामले हैं तो पुराने मामलों पर क्या कार्यवाही की आपने, क्या एक्शन लिया गया ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इस चीज को सामने लाने वाले हम हैं। आपने इसमें नई बात क्या की है ? हमारी बताई हुई बात को ही बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप नहीं समझते हैं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में सभी पार्टियों के मेम्बर्स होते हैं। उसमें हमारी पार्टी के भी मेम्बर्स हैं जो रिपोर्ट हाउस में आई है वह हाउस की प्रोपर्टी है। डेमोक्रेसी में यह कह कर चलें कि यह रिपोर्ट हमारी है, तो यह भी कह कर और मान कर चलना पड़ेगा कि आपके राज्य के राज्यपाल के राजभवन में होने वाले घोटालों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उस की जिम्मेदारी गोकुलप्रसादजी के ऊपर है। मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि राजभवन को गाड़ियां मूर्तिकारों के यहां खड़ी होती हैं, साग-सब्जी वालों के यहां खड़ी होती हैं। सैक्रेटरी के द्वारा उनका दुरुपयोग होता है, राज्यपाल के सचिवालय के कर्मचारियों के द्वारा उनका दुरुपयोग होता है। उनमें राज्यपाल महोदय नहीं बैठे रहते हैं। उनमें कौन बैठा रहता है ? उनमें झण्डी नहीं होती है।

(विराम)

अगर सरकार से नहीं रुक सकता है तो बाजार में उन गाड़ियों को रोक देंगे। उनके दुरुपयोग को रोका जायेगा। यह राजभवन के नाम को बदनामी है, राजस्थान की बदनामी है। राजस्थान सरकार इसको नहीं रोक पाई है बदनामी को। राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा आप भी रखना चाहते हैं और हम भी रखना चाहते हैं। हम राज्यपाल महोदय को दी जाने वाली . . .

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जिस गाड़ी में राज्यपाल महोदय बैठे हुए हैं उसको कैसे रोक सकते हैं ? जिस गाड़ी में राज्यपाल महोदय बैठे हुए होंगे उसका सवाल ही नहीं खड़ा होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो गाड़ी चोरी की मूर्त्तियां लेने जाय, जो गाड़ियां राजभवन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की मूर्तियों को चोरी से बेचने जायं, जो राजभवन के कार्टेट्स को बेचती हैं, जिन गाड़ियों में वहां के गलीचे बेचे जाते हों, जिन गाड़ियों में वहां की इज्जत बेची जाती हो . . .

(विराम)

शराफत बेची जाती है, जिन गाड़ियों में सारे घोटाले होते होंगे तो उनको रोकेंगे, हजार बार रोकेंगे; चाहे कुछ भी करना पड़े। राज्यपाल महोदय की गाड़ी रोकने का सवाल नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने सारी बात न कह कर राजभवन की सारी बातों को मुझसे कहलवाया है जिनको कि मैं कहना चाहता था। वे भी इस ओर दिलचस्पी रखते हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वे भी इस संबंध में इस चीज को महसूस करते हैं। आज उनको नाथूराम जी का डर हो, लेकिन परसों वे इनको वाद-विवाद में कहें। उन्होंने संविधान की सौगन्ध खाई है, मैं उनको उसकी याद दिलाता हूं। आपने जो उच्च पद ग्रहण किया है उसकी याद दिलाता हूं। आप सदन के सम्माननीय सदस्य हैं उसकी याद दिलाता हूं। आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, उसकी याद दिलाता हूं। आप क्रांतिकारी श्री ज्वालाप्रसादजी के साथी हैं, उसकी याद दिलाता हूं। आप जिस समय बजट पर डिसकशन हो तो सब चीजों को कहें। आपकी आत्मा में जो चीज राजभवन के घोटालों के संबंध में है, उसकी सौगन्ध दिलाना चाहता हूं कि आप उन चीजों को कृपया सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखें। आपको यदि राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा बढ़ानी है या आपको राजभवन की प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो सदन में उन सब चीजों को लाना चाहिए। उसमें राजस्थान का हित है। उसमें संविधान की प्रतिष्ठा है, उसमें आपकी और हमारी सबकी प्रतिष्ठा है, उसमें राज्यपाल का हित है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे इस बात का आश्वासन सदन में दें कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को वे पढ़ेंगे और पढ़ कर उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आवश्यक कार्यवाही सख्त से सख्त किसी भी महकमे के खिलाफ हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, किसी भी मंत्री के खिलाफ हो--मंत्रियों से डरेंगे नहीं, मुख्य मंत्री बनने के लिए मिलने वाले वोटों के ख्याल से उनके खिलाफ कार्यवाही को रोकेंगे नहीं। इस तरह का आश्वासन सदन में दें।

इन्हीं शब्दों के साथ में जो इस प्रकार का विनियोग विधेयक पेश किया गया है, जिसमें एस्टीमेट बनाते समय एस्टीमेट गलत रखते हैं।

(६ म०प०)

संकटकाल और फेमिन के कारण इतने गलत एस्टीमेट्स हो गये। ६४ में ३६ लाख का घाटा बतावें वह १३ करोड़ हो जाय, इससे ज्यादा जगलरी और फीगर्स की बाजीगरी और इससे ज्यादा धोखा राजस्थान की जनता को और राजस्थान विधान सभा को नहीं हो सकता। ३६ लाख का घाटा १३ करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो जाय, यह आप अनुचित बात करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आप के आंकड़े संतुलित होने चाहिए। आपके एमर्जेन्सी के आइटम्स के बारे में सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स होनी चाहिए, रेगुलर आइटम्स के बारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में नहीं होना चाहिए। ये सारे खर्चे हम आप को देते हैं, लेकिन यदि आपने रोक नहीं लगाई, दुरुपयोग को नहीं रोका, गबन को नहीं रोका गया तो वित्त मंत्रीजी इस सब की जिम्मेदारी आप पर होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विनियोग विधेयक पर अपने विचार रखता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इतनी बहस के ऊपर जो माननीय सदस्य ने रखी, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, सिवाय इसके कि उन्होंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला और यह कहा कि वित्त मंत्री ने यह रिपोर्ट नहीं पढ़ी; मैं भी यकीन दिला सकता हूं कि जिस तरीके से पढ़नी चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ी, क्योंकि जिस मौके पर रिपोर्ट आई है उस वक्त वित्त विभाग के सामने और कई मसले थे, लेकिन यह आज तक नहीं हुआ कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट आवे उस पर डिपार्टमेन्ट की कार्यवाही न हो। ज्यादा जिम्मेदारी हर डिपार्टमेन्ट की अलग अलग है। वित्त विभाग का काम उन डिपार्टमेन्ट्स को संकेत करने का है कि किस के लिए क्या पी० ए०सी० ने लिखा, वित्त विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट नहीं है कि जिस तरीके से माननीय सदस्य चाहते हैं उस तरीके से कार्यवाही की जाय। तब भी मैं यकीन दिलाता हूं कि जो वाजिब या मुनासिब कार्यवाही वित्त विभाग को करनी होती है पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर, वह पहले भी करते आये हैं और अब भी करते हैं। माननीय सदस्य ने जो और बातें उठाई हैं वे न तो इस सदन की शोभा बढ़ाती हैं और न उनका मुझे जवाब देना चाहिए। इसलिए यह उनका काम है कि कहीं उंगली नहीं उठाई जा सके तो दूसरे पर उंगली उठावें।

आज कुछ इस तरह का दौर चल रहा है, जब से यह सदन बैठा है। कुछ सदस्यों ने जिस वक्त भाषण हुआ गवर्नर का उस समय उन्होंने दृश्य दिखाया वह सदन के सामने है। अब अपोजीशन के बड़े वकील उलेमात हैं, वे जनसंघ के हैं, अपनी इस लियाकत को बताने के लिए राज्यपाल पर जिस तरीके से आरोप लगाये हैं . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : मैंने राज्यपाल पर कोई आरोप नहीं लगाए। उनके सेक्रेटेरिएट में होने वाली बातों की ओर सदन का ध्यान खींचा है, राज्यपाल के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। इससे राज्यपाल की प्रतिष्ठा गिरेगी नहीं बढ़ेगी। राज्यपाल की जो प्रतिष्ठा गिरी है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर है और कौल साहब पर भी है . . . .

श्री बालकृष्ण कौल : मुझ पर होगी, सदन पर होगी या संविधान पर होगी; लेकिन सवाल यह है कि बहस करने का मौका है, वोट करने का नहीं है, सदन को यह बात समझनी चाहिए, सदस्यों को समझनी चाहिए। जो सीमा है उसका उल्लंघन करते हैं तो खूबसूरती नहीं रहती।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता

विपक्षी दल के सदस्य : Noes have it.

श्री बालकृष्ण कौल : अभी तो आपने कहा था कि इसको पारित कर रहे हैं फिर क्या हुआ, २ मिनिट में ही बोलने लगे, अब गलत

(श्री बालकृष्ण कौल)
बयान शुरू कर दिया। तकरीर खत्म करते वक्त माननीय सदस्य ने इस हाउस में यह कहा था कि ये सब चीजें सदन को दिखाना चाहते हैं; इस आश्वासन के साथ हम इसके साथ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बिलकुल नहीं कहा, आप गलत बात रखते हैं।

श्री सभापति : मैं फिर प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता

विपक्ष के माननीय सदस्य : "ना पक्ष जीता।"

श्री सभापति : Do you claim division ?

विपक्ष के माननीय सदस्य : जी हां।

(विभाजन घंटी)

श्री बालकृष्ण कौल : अपनी आत्मा की आवाज सुनें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८ महीनों में आवाज सुनाई दी। आप, कौल साहब, जनता को क्या मुंह दिखायेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप दामन में मुंह डालकर देखिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपकी किताब छप रही है। आप में फेस करने की हिम्मत नहीं है।

(६.०६. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की बैठक कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० ६ बजकर ७ मिनिट पर दिनांक १० मार्च, १९६६ को म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

[बुधवार, दिनांक ९ मार्च १९६६ (सायंकालीन)]

स्तम्भ	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१४२३ व १४२४	२	[संख्या ८	[संख्या ९
१४२३	१	बुधवार, दिनांक ९ मार्च, १९६६	बुधवार दिनांक ९ मार्च, १९६६ (सायंकालीन बैठक)
,,	२	म० पू० १२.२५ बजे	म० प० १२.२५ बजे
१४२५	२ व ३ के मध्य	—	मांग संख्या १५
१४२६	४	श्री दुर्गालाल बाडदार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
,,	२१	मे	में
,,	अन्तिम से ३	य	ये
,,	अन्तिम	ह	है
१४२७	अन्तिम से १०	ओर	और
,,	,, ,, ५	पूति	पूर्ति
१४२८	३	मिखेगा	मिलेगा
१४३७	१५	पार्टि	पार्टी
१४३८	अन्तिम से ८	कालेज	कॉलेज
१४४०	अन्तिम से ६	विशष	विशेष
१४४१	७	मे	में
१४४२	२६	भजा	भेजा
१४४६	२२	इन्स्टीट्यूश्नस	इन्स्टीट्यूशन्स
,,	२४	उनक	उनके
१४५१	अन्तिम से ६ व ८	काफा	काफी
,,	,, ,, २	नहा	नहीं
,,	अन्तिम	दत	देते
१४५२	१८	मौजद	मौजूद
,,	१९	क्षत्र	क्षेत्र
,,	२७	नहा	नहीं
१४६२	३	श्री **दयाचन्द सोन**	श्री **दयाचन्द सोन**
,,	१३	तारातम्य	तारतम्य
,,	अन्तिम	पाठय	पाठ्य
१४६४	१३	आकर्षित	आकर्षित
१४६६	अन्तिम से ८	डाईरेक्टर	डाइरेक्टर
१४६७	,, ,, ५	यूनीर्वासिटी	यूनिवर्सिटी
१४७०	७	इन्डिपेन्डेंन्ट	इन्डिपेन्डेन्ट
१४७७	शीर्ष	(डा० पोहूमल ईसरदाल)	(डॉ० पोहूमल ईसरदास)

१	२	३	४
१४७६	शीर्ष	(डा० पोहूमल ईसरदास)	(डॉ० पोहूमल ईसरदास)
१४८१	५	कालेज	कॉलेज
,,	१५ व १७	आंडिट	ऑडिट
,,	१६	इकटठे	इकट्ठे
१४८२	१८	करे।	करें।
,,	२३	वर्षो	वर्षों
१४८५	अन्तिम से ३	उ।	उन
१४८६	४	एम्पलोयमेन्ट	एम्प्लॉयमेन्ट
,,	८	आपक	आपके
१४८८	अन्तिम से १० व २	एंड	एड
१४९०	२०	निवदन	निवेदन
१४९१	शीर्षक	(श्री चौसरसिंह बाबेल)	(श्री चौसरसिंह बाबेल)
,,	अन्तिम से ८	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत**	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत**
१४९३	शीर्ष	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
१४९४	अन्तिम	इन्पिक।	इन्सपेक्टरी
१५०२	अन्तिम से २	संस्थाऐं	संस्थाएं
१५०३	अन्तिम से ६	भा	भी
१५०४	अन्तिम से १२	विल्कुल	बिल्कुल
१५०५	१४	क्लासज	क्लासेज
१५०८	११	श्री **कृष्णकुमार गोयल**	**श्री कृष्णकुमार गोयल**
१५११	२४	अध्यापक	अध्यापक
१५१५	२३	नहा	नहीं
१५१६	१८	श्री गिरधारीलाल व्य,स	श्री गिरधारीलाल व्यास
१५१७	अन्तिम से २	क्रषि	कृषि
१५१८	अन्तिम से ८	हुए]:	हुए:--
१५१९	१३	समयप रन	समय पर न
१५२०	अन्तिम से १२	ंख्या	संख्या
१५२०	अन्तिम से ८	चचा के यि	चर्चा के लिये
१५२१	१४	क	के
१५२२	अन्तिम से ७	हु ग्रा	हुआ
१५२३	१	कना	कमी
,,	अन्तिम से ३	फि	फिक्स
१५२४	६	खरदिने	खरीदने
,,	अन्तिम से ८	पा।	पास
१५२५	५	व्या ारियों	व्यापारियों
,,	१८	निकालन	निकालने
,,	अन्तिम	दर	दस
१५२६	शीर्षक	व ि ाओं	व कृषि योजनाओं
,,	अन्तिम से ३	िचाई	सिंचाई
१५२७	६	औरसे	ओर से
१५२८	१८	जिलेदारी	जिलेबन्दी

१	२	३	४
१५२८	१६	जिट्ठ	जिद्द
,,	अन्तिम से ६	विठादी	बिठादी
,,	अन्तिम से २	की नुकस न	को नुकसान
१५२६	१३	निबेदन	निवेदन
,,	१५	इरिगेशत	इरिगेशन
,,	१८	छोट सिचई के	छोटे सिचाई के
,,	अन्तिम से ८	इरिगेशन	इरिगेशन
,,	अन्तिम से ८	बहत से	बहुत से
,,	अन्तिम से ६	बढाने कें	बढाने के
१५३०	१	कें	के
,,	३	गइ	गई
,,	६	वाली	वाली
,,	१२	तांिक	ताकि
,,	१२	सकें	सके
,,	१६	हं	हूं
,,	१८	सीमिति यो	समितियों
,,	१६	(सवय-समाप्ति-सूबक घंटी)	(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)
,,	२१	हए	हुए
,,	,,	जी	जो
,,	२३	उनधी	उनकी
,,	२५	टैक्स	टैक्स
१५३१	शीर्ष	(श्री	(श्री
,,	२	जिनक	जिनके
१५३३-३४	शीर्षक	६ माच	६ मार्च,
१५३४	१६	ओर	और
,,	१६	´तोर	तौर
१५३५	अन्तिम से ७	्से	ऐसे
१५३६	६	ाह	सतह
,,	७	फालें	फसलें
१५३८	४	म	में
१५४१	१	रेवेन्य	रेवेन्यू
,,	३	ाीलस्ट	लिफ्ट
१५४२	५	मे	में
,,	६	इं ालिए	इसलिए
१५४७	५	हुहा	हुआ
१५४८	अन्तिम से ३	ऊ ार	ऊपर
१५४६	१६	लायेंग	लायेंगे
,,	२०	ेहूं	गेहूं
१५५१	१	चलाा	चलता
,,	७	चाा	चना
,,	८	नसीर–	नसीरा--
,,	अन्तिम से ६	मिल	मिला

१	२	३	४
१५५१	अन्तिम से ६	फादा	फायदा
,,	,, २	ंजाव	पंजाब
१५५२	अन्तिम से २	एकापेरीमेन्टल	एक्सपेरीमेन्टल
१५५३	शीर्ष	श्री ज्वालाप्र साद	श्री ज्वालाप्रसाद
,,	४	इनना	इतना
१५५४	३	पहू ंचा	पहुंचा
१५५६	अन्तिम से ७	ओर	और
१५५६	३	हांास	हांसिल
१५६०	१५	लि े	लिये
,,	अन्तिम से २	ओर	और
१५६२	१५	रुम्प्रेशर्स	कम्प्रेशर्स
१५६४	१०	बेचन	बेचना
,,	१४	वर्च	खर्च
१५६८	अन्तिम से ६	काम म	काम में
१५६६	६	पेदावार	पैदावार
,,	१६	इस े	इससे
१५७०	४	माच	मार्च
,,	११	को	की
१५७१	६	आाकारी	आबकारी
१५७२	६	सनाप्त	समाप्त
,,	अन्तिम से ३	प्रश्न	प्रश्न
१५७३	३	जान	जाने
,,	११	क	के
१५७७	शीर्षक	मुखबन्ध	मुखबन्द
१५७८	अन्तिम से ४	यही वधान	यह विधान
१५८३	११	होाी	होती
,,	,,	रेवेन्	रेवेन्यू
,,	,,	ोा	पैसा
,,	१६	रुनये	रुपये
,,	अन्तिम से ७	स्पीा देनी	स्पीच देनी
,,	,, ५	लिने	लिये
,,	,, ३	कानूाी	कानूनी
१५८४	१२	एग्रेशन	एग्रेशन
,,	१३	एक्सपेक्टेड	एक्सपेक्टेड
,,	अन्तिम से ५ व ७	डिमाण्ड	डिमाण्ड
१५८२	,, १०	अग्रवाल	अग्रवाल
१५८६	,, ६	बालटण	बालकृष्ण
१५८७	६	ओसत	औसत
१५८६	२ व २२	एप्रो ोप्रियेशन	एप्रोप्रियेशन
,,	३	अन्गर्गत	अर्न्तगत
,,	३ व ८	शिड्यूल	शिड्यूल
,,	अन्तिम	है कि	बता दिया है कि

१	२	३	४
१५६०	६	ओर	और
,,	७	निलेंगे	मिलेंगे
१५६१	१	का्ी	कमी
१५६२	२	आ ुपूक	अनुपूरक
,,	१६	इाना	इतना
,,	२३	उपा ा	उपाय
१५६३	१६	अग्रवाल	अग्रवाल
१५६४	१६	हे	है
१५६६	१	रखें ो	रखेंगे
,,	३	क	के
,,	५	में	में
,,	५, ६ व अन्तिम से २	अग्रवाल	अग्रवाल
१५६८	१७	कनाई	कमाई
,,	अन्तिम से ४	अग्रवाल	अग्रवाल
१५६६	८	ओर	और
१६००	शीर्षक	विनियोा।	विनियोग
१६०४	अन्तिम	कस	केस
१६०५	८	फर्न	फर्म
१६०७	अन्तिम से २	ग्रतिष्ठा	प्रतिष्ठा